वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

2007-08

4165 (MIBC)
9-6-2010
नई दिल्ली NEW DELHI

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

सिंहावलोकन
OVERVIEW

भारतीय मानक ब्यूरो पूर्व भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों को लेते हुए एक व्यापक विषयक्षेत्र तथा अधिक अधिकारों सहित संसद के एक अधिनियम, दिनाँक 26 नवम्बर 1986 के माध्यम से दिनाँक 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। इस परिवर्तन के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वयन में गुणता संस्कृति और सचेतता तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी का माहोल निर्मित करने की कल्पना की।

ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में तथा केन्द्रीय एवं राज्य, दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, संसद, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों के सदस्यों सहित एक निकाय कॉर्पोरेट है।

भा मा ब्यूरो की संरचना पिछले पृष्ठ के बाहरी आवरण पर दी गई है।

संगठनात्मक नेटवर्क

नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ कोलकता (पूर्वी), चेन्नई (दक्षिणी), मुम्बई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, राजकोट, तिरूवनन्तपुरम और विशाखापटनम स्थित शाखा कार्यालयों (पिछले कवर पृष्ठ के बाहरी भाग पर दिया गया है) के एक नेटवर्क सहित क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करता है।

गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो की गतिविधियाँ को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता हैं:

क) मानक निर्धारण

ख) प्रमाणनः उत्पाद/पद्धतियाँ

ग) प्रयोगशाला सेवाएँ

घ) भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ड.) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

Bureau of Indian Standards (BIS) came into existence, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, on 1 April 1987, with a broadened scope and more powers taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile Indian Standards Institution (ISI). Through this change over, the Government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of National Standards.

The Bureau is a Body Corporate consisting of 25 members representing both Central and State governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies with Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and with Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

The structure of BIS is given on the front cover of the backpage.

Organizational Net Work

With BIS Headquarters at New Delhi, a network of 5 Regional Offices (ROs) at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central) and Branch Offices (BOs) at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Bhopal, Coimbatore, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Rajkot, Thiruvananthapuram and Vishakhapatnam (depicted on the back cover page) serve as effective links between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc of the region.

Activities

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation

b) Certification : Product/Systems

c) Laboratory Services

d) Sales of Indian Standards/ other publications

e) International Activities

च) उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ

छ) प्रवर्तन गतिविधियाँ

ज) प्रशिक्षण सेवाएँ

झ) सूचना सेवाएँ

ञ) वित्तीय, संसाधन–उगाही और उपयोगिता आदि

भारतीय मानक ब्यूरो ने इस बदलते समग्र वैश्विक परिदृश्य में प्रतिबल और गतिशीलता बनाए रखी है तथा वर्ष 2007–08 के दौरान चहुँमुखी प्रगति की है। ब्यूरो में 16460.57 लाख रु. की कुल आय दर्ज़ की गई और पिछले वर्ष की आय में 13.27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई जो कि 14532.27 लाख रु. थी। लगातार उन्नीसवें वर्ष भी भा मा ब्यूरो ने अपने व्यय और देयताएँ अपने संसाधनों से पूरी की।

वर्ष 2007–08 के दौरान कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- व्यापक विषयों पर 321 राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया गया है। सार्वजनिक हित के कुछ महत्वपूर्ण मानक विशिष्टियाँ है लाइफ जैकेट, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं की विशेष अपेक्षाएँ, परम्परागत मशीनी उपकरणों के बिना लिफ्टों की संस्थापना तथा रख–रखाव रीति संहिता, पालिश हीरों की ग्रेडिंग–परीक्षण पद्धति, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति को ऑडिट एवं प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाएँ, अग्नि प्रतिरोधी फाइलिंग कैबीनेट, प्रशीतन संघनित इकाईयों की अपेक्षाएँ, कंक्रीट प्रबलन के लिए विरूपित इस्पात छड़ें तथा तारें, वस्त्रादि–उपभोक्ता वस्त्रों की लेबलिंग और मुहरांकन की अपेक्षाएँ–विशिष्ट, 10 प्रतिशत एथलॉन मिश्रण, सुरक्षा से जुड़े मानक जैसे विद्युतचुम्बकीय सक्षमता तथा सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री, गुणता प्रबंध पद्धति–सार्वजनिक सेवा संगठनों द्वारा सेवा के दिशा–निर्देश तथा कार्यस्थल पर संगठनों का उत्तरदायित्व–अपेक्षाएँ। 1 मार्च 2008 तक कुल 18424 मानक लागू है।

- अब तक 4495 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया है। मौजूद आईएसओ/आईईसी मानकों को ध्यान में रखते हुए लगभग 78 प्रतिशत मानकों का सुमेलित किया गया है।

- वर्ष के दौरान 2436 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च, 2008 तक कुल 20025 लाइसेंस (हालमार्किंग को छोड़कर) प्रचालन में थे।

- वर्ष के दौरान पहली बार 11 उत्पादों को प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद हैं पैथालोजिकल कार्यों के लिए कांच की नलियाँ; क्विनअलफॉस 5 प्रतिशत दाने; पॉलिएस्टर स्ट्रेपिंग; प्रेटीएक्लर ईसी 50 प्रतिशत; आंशिक मलाई रहित दूध पॉउडर; उपभोक्ता सामान के सिंथेटिक हुक तथा लूप

f) Consumer Related Activities

g) Promotional Activities

h) Training Services

i) Information Services

j) Financial, Resources – Mobilization and Utilization etc

Bureau of Indian Standards has maintained the thrust and dynamism in the changing global scenario and exhibited an all round progress during the year 2007-08. It recorded a total income (excluding interest) of Rs 16460.57 lakhs and a growth of over 13.27 percent over the income in the previous year which was Rs. 14532.27 lakhs. For the nineteenth consecutive year, BIS continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities.

The highlights of achievements during 2007-08 are:

- Formulation of 321 National Standards covering wide range of subjects. Some important standards of public interest are on specification for Life Jackets, Particular requirements for Health Care facilities, Installation and maintenance of Lifts without conventional machine rooms – Code of Practice, Grading of Polished Diamonds – Test Methods, Food Safety Management Systems – Requirements for bodies providing audit and certification of Food Safety Management Systems, Fire resisting (Insulating) filing cabinets, Requirements for refrigerants condensing units, High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement, Textile – Requirement for labelling and marking of consumer textiles – Specification, Motor gasoline with 10 percent Ethanol blending, a set of standards for safety from Electro-magnetic compatibility (EMC) of electronic and IT goods, Quality Management Systems – Guidelines for service quality by Public Service Organizations and Organizational accountability at the workplace – Requirements. The total numbers of standards in force were 18424 as on 31 March 2008.

- 4 495 Indian standards have been harmonized with International Standards so far. Considering number of standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 78 percent standards are harmonized.

- 2 436 Product Certification licences have been granted during the period under consideration. The total number of operative licences as on 31 March 2008 were 20025 (excluding Hallmarking).

- During the year 11 new products were covered for the first time under the product certification scheme. These products are Glass tube for pathological works; Quinalphos 5 percent Granules; Polyester strapping; Pretilachlor EC 50 percent; Partially skimmed milk powder; Fasteners for consumer

टेप के बंधक; अनुवर्ति प्रतिपादित पूरक खाद्य; क्रॉसलिंक ऊष्मारौधी थर्मोप्लास्टिक अवरित तारें; विशेष प्रकार की कुंडलन तारें; पेविंग के लिए पूर्वढलित ब्लॉक।

- 31 मार्च, 2008 तक स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 5403 हो गई जबकि 31 मार्च, 2007 तक यह संख्या 3466 थी। जबकि चाँदी के आभूषणों / शिल्पकारी हॉलमार्किंग के लिए रजत लाइसेंसों की संख्या 31 मार्च, 2008 को बढ़कर 405 हो गई जबकि 31 मार्च, 2007 तक यह संख्या 242 थी। दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चेन्नई को स्वर्ण मूल्यांकन के लिए निर्देशित प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया गया।
- 73 गुणता प्रबंध पद्धति लाइसेंस, 16 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस तथा 6 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए।
- भा मा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर 125 छापे मारे गए और आईएसआई मुहर दुरूपयोग के 18 मामलों का निर्णय भा मा ब्यूरो के पक्ष में हुआ।
- भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या 25321 रही।
- सत्र के लिए 2007–08 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन परिषद के सदस्य के रूप में भा मा ब्यूरो ने अपने दायित्व का निर्वाह किया। आईएसओ परिषद्, आईएसओ का उच्चतम शासी निकाय है। भा मा ब्यूरो के महानिदेशक को 2009 तक के सत्र के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के संपर्क क्षेत्र अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- विकासशील देशों को मानकीकरण और गुणता आश्वासन पर चालीसवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और विकासशील देशों के लिए प्रबंध पद्धतियों पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन स्थापना को मनाने के लिए 14 अक्तूबर, 2007 को विश्व मानक दिवस का आयोजन। 2007 का **"विषय मानक एवं नागरिक - समाज के प्रति योगदान"** था।
- दिनांक 12 से 16 नवम्बर, 2007 के दौरान "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया। गया
- 1 से 15 सितम्बर, 2007 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- दिनांक 31 मार्च 2007 को भा मा ब्यूरो में लगभग 1760 व्यक्ति कार्यरत थे।

(महानिदेशक)

goods synthetic hook and loop tape; Follow-up formulae complimentary food; Crosslinked polyethylene insulated thermoplastic sheathed cables; Particular types of winding wires; Precast concrete blocks for paving.

- The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 3466 on 31 March 2007 to 5403 as on 31 March 2008. While, the number of silver licences for Hallmarking of silver jewellery / artefacts has grown from 242 on 31 March 2007 to 405 as on 31 March 2008. Southern Regional Laboratory, Chennai has been developed as a referral Laboratory for gold assaying.
- 73 Quality Management System certification licences, 16 Environmental Management Systems certification licences and 6 Occupational Health and Safety Management Systems certification licences were granted.
- 125 enforcement raids were carried out all over India on firms misusing the BIS Standard Mark and 18 misuse cases of ISI mark have been decided in favour of BIS.
- Number of Test Reports issued by BIS Laboratories was 25321.
- Fulfillment of obligations by BIS as a member of International Organization for Standardization (ISO) Council for the 2007-08 term. ISO Council is the highest governing body of ISO. DG, BIS was appointed as Regional Liaison Officer for South Asian region till the term 2009.
- Holding of the fortieth International Training Programme on Standardization and Quality Assurance for developing countries, and the fourth International Training Programme on Management Systems for developing countries.
- Celebration of World Standards Day on 14 October 2007 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO). The theme for 2007 was **"Standards and the Citizen: Contributing to Society"**.
- Observance of the 'Vigilance Awareness Week' 12th to 16th November 2007.
- Celebration of Hindi Pakhwara during 1st to 15th September 2007 where a lot of different competitions in Hindi were organized.
- As on 31 March 2008, a total of 1760 persons were on roll in BIS.

(Director General)

नीतिगत कार्यप्रणालियाँ और आयोजना

भारतीय मानक ब्यूरो वर्ष 1947 से भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में देश में मानकीकरण अभियान का प्रवर्तन और पोषण करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करता रहा है। भा मा ब्यूरो ने अपने प्रचालन को और अधिक उन्नत बनाने के लिए सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

नई नीतियों/निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन में भा मा ब्यूरो को सलाह देने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की छः बैठकें की गईं, जबकि वर्ष के दौरान वित्तीय समिति की दो बैठकें हुईं।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलें की गईं:

1. उत्पाद प्रमाण के अन्तर्गत निरीक्षणों एवं प्रर्वतन गतिविधियाँ की आउटसोर्सिंग जारी रखना।
2. भारत–अमरीका मानक पोर्टल बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2007 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और अमरीकी राष्ट्रीय मानक संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
3. ग्यारवीं योजना (2007-12) के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से **"शैक्षणिक संस्थानों में मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण"** के नाम से एक केन्द्र प्रायोजित योजना चलाने का दायित्व भा मा ब्यूरो को सौंपा गया है जिसके लिए 7.00 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति दी गई है। आरंभ हो चुकी इस परियोजना के लिए 2007–08 में 50 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई है।
4. भारतीय मानकों की ई–बिक्री की तैयारी।

मानक

मानक निर्धारण

मानकों के निर्धारण के लिए भा मा ब्यूरो क्रमानुसार विभाग परिषदों द्वारा गठित अनुभागीय समितियाँ विषय/विषयों के विशिष्ट समूहों पर कार्य करने के लिए अनुभागीय समितियों द्वारा गठित उपसमितियों और मानक निर्धारण की दिशा में एक केंद्रित मद के लिए गठित पैनलों के संदर्भ में एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है। अनुभागीय समितियों, उपसमितियों और पैनलों में उद्योग, सरकार, अनुसंधान और विकास संगठनों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

किसी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, उपभोक्ता संगठन, औद्योगिक इकाई आदि द्वारा भारतीय मानक(कों) के निर्धारण का प्रस्ताव दिया जा सकता है। विभाग परिषद द्वारा अनुमोदन हो जाने पर प्रस्ताव को भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त विषय समिति को अग्रेषित किया जाता है।

अलग–अलग क्षेत्रों से संबंधित 14 तकनीकी विभाग परिषदों द्वारा मानक तैयार किए जाते हैं। वर्ष के दौरान मानक निर्धारण गतिविधि का

POLICY STRATEGIES AND PLANNING

The Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India has been successfully promoting and nurturing the standardization movement in the country since 1947. BIS has initiated several steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading of services.

The Executive Committee had six meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/directives while the Financial Committee met two times during the year.

The important initiatives were taken in the following areas during the year:

1. Continuation of outsourcing of inspections under Product certification and Enforcement activities.
2. An MoU with Confederation of Indian Industry (CII) and the American National Standards Institute (ANSI) on establishment of India-US Standards Portal was signed on 20 December 2007 at New Delhi.
3. Under the eleventh plan(2007-12), BIS has been assigned to carry out the centrally sponsored scheme viz. **"HRD & Capacity Building in educational institutions"** on behalf of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Government of India wherein an amount of Rs. 7.00 crores has been approved for the entire plan period. An amount of Rs. 50 lakhs has been received for this project in 2007-08, which has been initiated.
4. Preparing for e-sale of Indian standards.

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

For formulation of standards, BIS functions through the Committee mechanism in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under respective Division Councils. The Sectional Committees, Subcommittees and Panels comprise of representatives from the industry, government, research and development organizations, consumer organizations and individual experts.

A proposal for formulation of Indian Standard(s) can be submitted by any stakeholder including Ministries of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Individual Consumer or Consumer Organizations, Industrial Units etc. The proposal when approved by the concerned Division Council is forwarded to an appropriate Sectional Committee for formulation of Indian Standard(s).

Standards are made by 14 Technical Division Councils pertaining to specific fields. To take stock of standards

जायज़ा लेने के लिए खाद्य एवं कृषि, पैट्रोलियम एवं कोयला संबंधी उत्पादों, सिविल इंजीनियरी, उत्पादन और सामान्य इंजीनियरी, चिकित्सा उपकरण और अस्पताल आयोजना, जल संसाधनों, परिवहन इंजीनियरी, धातु कर्म इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, वस्त्रोद्योग प्रबंध पद्धतियों और विद्युत–तकनीकी विभाग की बैठकें हुईं। 214 विषय समितियों की बैठक के साथ बड़ी संख्या में उपसमितियों पैनलों और कार्यकारी समूहों की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनमें मानकों के मसौदों और तकनीकी दस्तावेज़ों पर विस्तार से विचार किया गया। भा मा ब्यूरो की नीति उभरती प्रौद्योगिकियों पर मानक निर्धारण करने और पुराने मानकों को वापस लेने की है।

वर्ष 2007–08 में भा मा ब्यूरो ने 321 मानकों (170 नए और 151 पुनरीक्षित) का निर्धारण किया जिससे 31 मार्च, 2008 तक लागू मानकों की संख्या 18424 हो गई (*देखें* आकृति 1)।

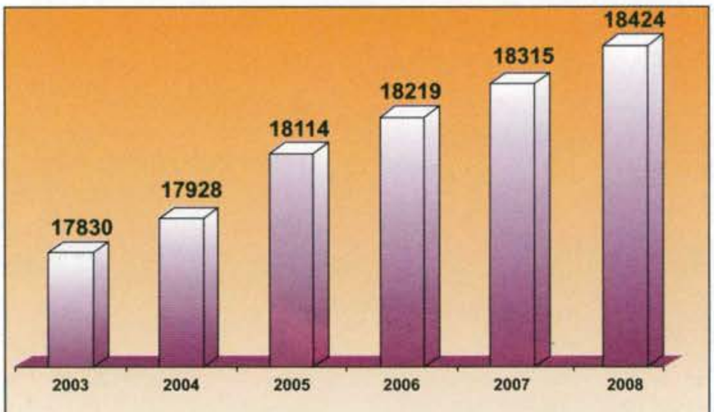

आकृति 1 प्रभावी मानक (31 मार्च के अनुसार)

***Fig.* 1 Standards in Force (as on 31 March)**

formulation activity, Division Councils of Civil Engineering, Electro-technical, Medical Equipment & Hospital Planning, Petroleum & Coal Related Products, Food and Agriculture, Mechanical Engineering, Production and General Engineering, Textile, Transport Engineering and Water Resources departments met during the year. The meetings of 214 Sectional Committees, in addition to large number of Sub-committees and Panels were also held to consider draft standards and related technical documents in detail. It is the policy of BIS to formulate standards on emerging technologies and withdraw obsolete standards.

During 2007-08, BIS formulated 321 (170 new and 151 revised) standards, bringing the total number of standards in force to 18424 as on 31 March 2008 (*see* Fig. 1).

महत्वपूर्ण मानक

वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर नए निर्धारित अथवा पुनरीक्षित मानक निम्नानुसार है :

आईएस 1786 कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च क्षमता की विरूपित इस्पात की छड़ें और तारें–विशिष्टि (*चौथा पुनरीक्षण*) – पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उच्च दीर्घीकरण वाले उच्च क्षमता ग्रेड की मांग बढ़ने लगी है। इस पुनरीक्षण में उच्च क्षमता की विरूपित इस्पात की छड़ों और तारों को शामिल किया गया है तथा यह विनिर्माता पर छोड़ दिया गया है कि वह कार्यकारिता अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए प्रक्रिया को अपनाएँ। इस पुनरीक्षणों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों में यह शामिल है : नई क्षमता ग्रेड Fe 600 को शामिल करना; Fe 600 को छोड़कर प्रत्येक ग्रेड के लिए दीर्घीकरण पर आधारित दो श्रेणियाँ शामिल करना; **'अधिकतम बल पर कुल प्रतिशत दीर्घीकरण'** के नए मापदण्ड शामिल करना तथा अभिहित साइजों को युक्तिपूर्ण करना।

आईएस 800 : 2007 इस्पात से सामान्य निर्माण की रीति संहिता (*तीसरा पुनरीक्षण*) – यह भारतीय मानक आधारभूत मानक

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are listed below:

IS 1786 High Strength Deformed Steel Bars and Wires for Concrete Reinforcement – Specification (*fourth revision*) – In the past few years there has been increasing demand for higher strength grades with higher elongation for various applications. This revision incorporates the properties of high strength deformed steel bars and wires, and it is left to the manufacturer to adopt any process to satisfy the performance requirements. Some of the important modifications incorporated in this revision include: Introduction of new strength grade Fe 600; Introduction of two categories based on elongation for each grade except Fe 600; Introduction of a new parameter **'percentage total elongation at maximum force'** and Nominal sizes have been rationalized.

IS 800 : 2007 Code of Practice for General Construction in Steel (*third revision*) – This Indian Standard is the basic standard that provides guidelines

है जिसमें इस्पात में आधारगत डिजाईन के दिशा–निर्देश दिए गए हैं और अन्य विभिन्न प्रकार की विशेष संरचनाओं के डिजाईनों को संचालित करने वाली अन्य रीतियाँ तथा अनुशंसाओं पर इसका प्रभाव है। वर्तमान पुनरीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अब यह मानक सीमित दशा पद्धति के डिजाईन और भूकंप के भार का विस्तार, अग्नि प्रतिरोधिता, स्थायित्व तथा श्रांति पर नए खण्डों को शामिल किया गया है। पुनरीक्षित मानक में संरचनागत विश्लेषण संपीड़न एवं संयोजनों के संरचनागत डिजाईन, सामग्री, फैब्रिकेशन और उत्थापन इत्यादि जैसे पक्षों पर 17 खण्ड हैं। आईएस 800 : 2007 के कार्यान्वयन में इस्पात संरचनाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता को और बेहतर किया जा सकता है। यह मानक देश में इस्पात के युक्तिसंगत, आर्थिक और दक्षतापूर्ण उपयोग में बड़ा योगदान होगा।

आईएस 15797 : 2008 छत के माध्यम से वर्षा जल संचयन – छत के माध्यम से वर्षा जल का संचयन उन स्थानों पर पानी की उपलब्धता की समस्या का समाधान अथवा उसे हल कर सकता है जहाँ पर भूमिगत जल की आपूर्ति अपर्याप्त है और सतह के स्रोतो की कमी है अथवा अपर्याप्त है। इस पद्धति में घर और भवनों की छतों पर गिरने वाले वर्षा के पानी को पाइपों तथा जस्तीकृत लोहे अथवा पीवीसी के अर्ध–वृत्ताकार प्रणाली के द्वारा इक्कठा किया जाता है तथा इसे सीधे उपयोग अथवा भूमिजल के जलवाही स्तर को रिचार्ज करने के लिए उपयुक्त रूप से भूमि अथवा भूमि के नीचे बनाए गए टैकों में भण्डारित किया जाता है।

आईएस 15759 : 2007/आईएसओ 12179 : 2000 ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टि सतह गठन–प्रोफाइल पद्धति सम्पर्क उपस्करों का अंशशोधन–यह मानक प्रोफाइल पद्धति द्वारा सतह गठन के मापन के लिए सम्पर्क उपस्करों की मापपद्धतियों के अभिलक्षणों के अंशशोधन के लिए है। यह अंशशोधन मापन मानकों की सहायता से किया जाता है। इस मानक में विभिन्न सम्पर्क उपस्करों के उपयोग की स्थितियां और अभिलक्षण दिए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रोफाइल घटकों के उपस्करों के अंशशोधन की जानकारी भी दी गई है।

आईएस 15785 : 2007 परम्परागत मशीन कक्षों के बिना लिफ्टों का संस्थापन एवं रख–रखाव–इस मानक में मशीन कक्ष के बिना लिफ्टों के संस्थापन और सुरक्षापूर्ण कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है। परम्परागत लिफ्टों के लिए अलग मशीन कक्षों और जहाँ कहीं आवश्यक हो विशेषकर घिरनी कक्षों की आवश्यकता होती है लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी ने दर्शाना की मशीन और उसके कल–पुर्जो को कार पर वैल में या फिर कैबिनेट पर भी लगाया जा सकता है। वैल में इस तरह से मशीन को लगाया जाता है कि यह विभिन्न प्रकार के भारत और बल का सामना कर सकें। इस रीति में उचित संवातन के साथ उपस्करों के सरल और निरापद कार्यप्रणाली के आयामों की अनुशंसा दी गई है।

आईएस 15766 (भाग 1) : 2007 पॉलिश हीरो की ग्रेडिंग: भाग 1 वर्गीकरण–यह मानक पॉलिश हीरो के क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दों के गलत अर्थ लगाने से पैदा होने वाली शंकाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इस मानक में पॉलिश किए गए हीरो की ग्रेडिंग के लिए प्रयोग में आने वाली पारिभाषिक शब्दावली और वर्गीकरण को

for structural design in steel and has influence on many other codes and recommendations governing the design of various other types of special steel structures. The most significant aspect of the present revision is that the standard is now based on the Limit State Method of design, thereby reflecting the latest technological developments. New sections on design and detailing for earthquake loads, fire resistance, durability and fatigue have also been included. The revised standard consists of 17 sections covering aspects like structural analysis, structural design of members and connections, materials, fabrication and erection, etc. The implementation of IS 800 : 2007 is expected to improve the safety, reliability and efficiency of steel structures. The standard would also significantly contribute in rational, economic and efficient utilization of steel in the country.

IS 15797 : 2008 Guidelines for Roof Top Rain Water Harvesting – Roof top rain water collection is one of the solutions for solving or reducing the problem of water availability, where there is inadequate ground water supply and surface sources are either lacking or insignificant. In this system, rain water falling on roofs of houses and other buildings is collected through a system of pipes and semi-circular channels of galvanized iron or PVC and stored in tanks suitably located on the ground or underground for direct use or for recharging ground water aquifers.

IS 15759 : 2007/ISO 12179 : 2000 Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface Texture: Profile Method – Calibration of Contact (Stylus) Instruments – This Indian Standard applies to the calibration of the metrological characteristics of contact (stylus) instrument for the measurement of surface texture by the profile method. The calibration is carried with the aid of measurement standards. This standard gives the condition of usage of different contact instruments and their characteristics. It also gives information on calibration of the instrument of different profile component.

IS 15785 : 2007 Installation and Maintenance of Lifts without Conventional Machine Rooms – Code of Practice – This standard details the installation and safe working of lifts without machine room. Conventional lifts require separate machine rooms and especial pulley rooms wherever needed. However, modern technology shows that machines and associated parts can be located in the well on the car or in cabinets. The machinery spaces inside the well are so constructed to withstand the various loads and forces. The Code recommends dimensions for easy and safe working on equipment with suitable ventilation.

IS 15766 (Part 1) : 2007 Grading of Polished Diamonds: Part 1 Classification – This standard has been developed to avoid ambiguity arising out of misinterpretation of terms used in the field of Polished Diamonds. It specifies the terminology and classification that shall be used for the grading and description of polished diamonds. The

निर्दिष्ट किया गया है। ग्रेडिंग और प्रमाणन के लिए पॉलिश हीरो को काटने का न्यूनतम साइज 0.47 कैरेट होना चाहिए तथापि हीरों की सामान्य रिपोर्ट में 0.20 और 0.47 के बीच का साइज दिया जाता है और 0.47 कैरेट में भार, रंग, स्पष्टता, आकार तथा माप निहित होता है। मानक में पॉलिश किए गए हीरो का उल्लेखित वर्गीकरण पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

आईएस 15766 (भाग 2) : 2007 पॉलिश हीरो की ग्रेडिंग: भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ– इस मानक में डी (असाधारण सफेद) से जेड़ (रंजित) शृंखला में आने वाले प्राकृतिक अन्य आरोपित पॉलिश हीरो की ग्रेडिंग की पद्धतियाँ तथा प्राकृतिक रूप से रंगीन हीरो के रंग को छोड़कर ग्रेडिंग का मानदण्ड दिया गया है। इस ग्रेडिंग मानक में 4Cs अर्थात् रंग, स्पष्टता, कट और कैरेट के भार पर आधारित गुणता पक्ष दिए गए हैं। इस मानक में हीरों की परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपस्करों के लिए दिशा–निर्देश भी दिए गए हैं।

आईएस 15784 : 2007 स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएँ – यह भारतीय मानक ठोस प्रबंधन पद्धति वाली स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर पारदर्शी तरीके से ऐसी गुणतापरक स्वास्थ्य सेवाएँ देने वाली चिकित्सा रीतियों के लिए निर्धारित किया गया है जिस पर उन्हें विश्वास हो। इस मानक में द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं, विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ अस्पतालों, को परिभाषित किया गया है। यह मानक देश में तेजी से बढ़ रहे ऐसे निम्न स्तरीय अस्पतालों और नर्सिंग होमों की वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया है जो आम उपभोक्ताओं के साथ खेल रहे हैं। इस मानक में सुविधाएँ पहुँचाने जैसे सेवाओं, आकलन करने और निरंतर देखभाल, मरीज के अधिकार और शिक्षा, रोगी देखभाल, मेडिकेशन प्रबंधन, अस्पताल संक्रमण को नियंत्रित करने, सतत गुणता सुधार तथा प्रबंधन के दायित्व इत्यादि पर जानकारी दी गई है।

आईएस 15802 : 2008 स्वचल वाहन– एम1 श्रेणी के वाहनों को छोड़कर 4 पहिया वाहनों के लिए विंडस्क्रीन साफ करने की प्रणाली – सुरक्षित ड्राइविंग के लिए साफ दृश्यता बहुत मायने रखती है। खराब मौसम में वाहन चालक के लिए साफ दृश्यता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि ड्राइविंग को सुरक्षित बनाया जा सके। इस मानक में कम से कम चार पहिए वाले सभी मोटर वाहनों की सामने की विंडस्क्रीन पोंछने वाली प्रणाली और M2, M3, N1, N2 और N3 श्रेणी के वाहनों की विंडस्क्रीन की अपेक्षाएँ दी गई हैं। इस पोंछने वाली प्रणाली में विंडस्क्रीन की बाहरी सतह को साफ करने वाले सभी उपस्कर और उसे चालू करने एवं रोकने के लिए उसके साथ जुड़े आवश्यक उपकरण और नियंत्रण होते हैं। इस मानक में आवश्यक विभिन्न परीक्षण उपकरणों, अनुपालन की जाने वाली परीक्षण पद्धतियों तथा विभिन्न अपेक्षाओं के स्वीकृति मापदंड विस्तार से दिए गए हैं। यह मानक वाईपिंग प्रणाली की पर्याप्त कार्यकारिता को सुनिश्चित करने और इसके द्वारा सुरक्षा को बढ़ाने में बहुत उपयोगी होगा। इस मानक को 'केन्द्रीय मोटर वाहन नियम' के अंतर्गत लाकर इसके अनुपालन को अनिवार्य किया जा सकता है।

minimum size of cut of polished diamond for grading and certification should be 0.47 cts. However simplified diamond report may be issued for sizes between 0.20 and 0.47 cts containing statement regarding weight, colour, clarity, shape and measurement. The classification of polished diamonds described in the standard is totally in line with international standards.

IS 15766 (Part 2) : 2007– Grading of Polished Diamonds: Part 2 – Test Methods – This standard specifies methods for the grading of natural unmounted polished diamonds within the D (exceptional white +) to z (tinted) series and the grading criteria, other than for the colour of naturally coloured diamonds. This grading standard covers the quality aspects based on the 4Cs that is colour, clarity, cut and carat weight. A list of instruments required for Gem Testing Laboratory is also given in the standard for guidance.

IS 15784 : 2007 Health Care Facilities – Particular Requirements – The Indian Standard was formulated to cater to the needs of Health Care Facilities for having sound management system and faith in medical ethics in providing quality health services to the consumer at large in a transparent manner. The standard defines the needs of secondary and tertiary level health care facilities, specialty and super-specialty hospitals. The standard was formulated keeping in mind to check the mushrooming growth of sub-standard hospitals and nursing homes coming up in the country, playing with the health of common consumer. This standard covers information on services such as access to facilities, assessment and continuity of care, patients rights and education, care of patients, management of medication, Hospital Infection Control, continuous quality improvement and responsibility of management etc.

IS 15802 : 2008 Automotive Vehicles – Windscreen Wiping System for 4 Wheelers Other than M1 Category of Vehicles – Requirements – For safe driving, clear visibility is of paramount importance. Wiping system is necessary to ensure a clear visibility for the driver on the road during inclement weather conditions so as to make the driving safe. This standard specifies requirements for front windscreen wiping system of all motor vehicles having minimum four wheels and having windscreen for M2, M3, N1, N2 and N3 category of vehicles. The wiping system consists of all apparatus for cleaning the exterior surface of windscreen glazing together with the necessary devices and controls to actuate and arrest the operations. This standard specifies in details various test equipments required, test procedures to be followed and acceptance criteria of various requirements. This standard shall be very useful to ensure adequate performance of the wiping system and thereby enhancing safety. The compliance of this standard is likely to be made mandatory by bringing it under 'The Central Motor Vehicles Rules'.

आईएस 6685 : 2008 लाइफ जैकेट – विशिष्टि (*पहला पुनरीक्षण*) – लाइफ जैकेट उन सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जिनका व्यवसाय अथवा मनोरंजन का साधन जल है। इस मानक में वयस्कों और बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लाइफ जैकेटों की सामग्री की कार्यकारिता, सुरक्षा अपेक्षाएँ और परीक्षण दिए गए हैं। लाइफ जैकेटों की कार्यकारिता और परीक्षण पद्धतियाँ निर्दिष्ट करने के साथ–साथ पहनने में हल्की, चुस्त और सरल होने का भी ध्यान रखा गया है। इस मानक में *मर्चेंट शिपिंग एक्ट* 1958, आईएमओ संकल्प और एसओएलएएस नियम विनियमों के अंतर्गत आने वाली अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया है।

आईएस 16001 : 2007 कार्यस्थल पर संगठनात्मक उत्तरदायित्व – अपेक्षाएँ – यह प्रमाणनीय मानक हैं जिसमें कार्यस्थल पर अपने कार्यों और दायित्वों को प्रभावी तरीके से पूरा करने के संगठन के उत्तरदायित्वों के बारे में दिया गया है। इस मानक में 'संगठन' शब्द को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया गया है जिसका अभिप्राय केवल व्यापारिक संस्थान से न होकर किसी भी सरकारी, शैक्षिक, कल्याण ट्रस्ट अथवा समिति, सहकारी उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन और अन्य किसी भी प्रकार के संगठन से है जो अपने कार्य करने के लिए नियमित अथवा अनुबंध, भुगतान अथवा मानदेय के आधार पर कार्मिक रखता है। इस मानक में भारतीय स्थितियों के संदर्भ में तथा कार्यस्थल से जुड़े प्रमुख घटकों की पहचान की गई है और उन्हें शामिल किया गया है। इस मानक को कार्यान्वित करने से अच्छी रीतियाँ को प्रोत्साहन मिलेगा जो कि लागू राष्ट्रीय सांविधिक, नियंत्रक और कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन मात्र से भी आगे का काम करेंगी।

आईएस 15800 : 2007 गुणता प्रबंध पद्धति–लोक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता के दिशा-निर्देश– इस मानक में लोक सेवा संगठनों द्वारा आईएस 15700 के व्यवहार और कार्यान्वयन और अपेक्षाओं के दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इस मानक में दी जाने वाली सेवाओं की प्रक्रियाओं के लिए गुणता प्रबंध पद्धति को स्थापित करने हेतु लोक सेवा संगठनों की सहायता करने के उद्देश्य से गुणता प्रबंध पद्धति की अपेक्षाओं को विस्तार से दिया गया है जिससे कि संगठन अपने उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की सेवाएँ दे पाएं और सेवा प्रदान करने के वांछित उद्देश्यों को निरंतर प्रभावी एवं दक्ष तरीके से पूरा किया जा सके। इस मानक में गुणता प्रबंध पद्धति की अपेक्षाओं को सही तरह से प्रयोग में लाने संबंधी संकल्पना को स्पष्ट करने और इसे काम में लाने के लिए संगठन की सहायता करने हेतु उदाहरण दिए गए हैं लेकिन संगठन इसे अनिवार्य रूप से पूरे किए जाने वाले घटकों के तौर पर न लें। तथापि ये दिशा–निर्देश आईएस 15700 की अपेक्षाओं में कुछ जोड़ने, परिवर्तन या संशोधन करने वाले नहीं है।

आईएस 15798 : 2007 वस्त्रादि – उपभोक्ता वस्त्रादि की लेबलिंग और मुहरांकन की अपेक्षाएँ – विशिष्टि – आम उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न रचनागत, कार्यकारिता और अंत प्रयोग अपेक्षाओं के लिए वस्त्रों की लेबलिंग और मुहरांकन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा विशेषकर उपयोगकर्त्ताओं

IS 6685 : 2008 Life Jackets – Specification (*first revision*) – Life jackets are used for providing a means of safety for all persons whose occupation or recreation is connected with water. This standard specifies the material performance, safety requirements and tests for life jackets for use by adults and children. While prescribing the performance and test requirements of life jackets, consideration has been given to lightness, compactness and simplicity in donning, without in any way affecting its purpose of saving life. This standard incorporates the requirements under the *Merchant Shipping Act*, 1958, IMO Resolutions and SOLAS rules regulations.

IS 16001 : 2007 Organizational Accountability at the Workplace – Requirements – This is a certifiable standard which deals with the accountability of an organization for effective discharge of its various functions and responsibilities at workplace. In this standard, the word 'organization' is used in a wider perspective, entailing not only a business establishment but any organization, be it Government, Academic, Charitable Trust or Society, Consumer, Co-operative, NGO and Associations of any other kind, which engages personnel for discharge of its duties on a regular or contractual, paid or honorary basis. In this standard, core elements, which are specific to Indian conditions and relate to the workplace, have been identified and included. The implementation of this standard would promote good practices at the workplace which go beyond mere compliance with the applicable national statutory, regulatory and legal requirements.

IS 15800 : 2007 Quality Management Systems – Guidelines for Service Quality by Public Service Organizations – This standard provides guidelines for understanding and implementing the requirements of IS 15700 by public service organizations. It provides elaboration on Quality Management Systems requirements as given in IS 15700 for helping the public service organizations in establishing a quality management system for the service delivery processes that are necessary to provide all services needed by its customers and achieving the desired objectives of service delivery in an effective and efficient manner, consistently. While the examples given in this standard are meant to clarify the concept regarding the correct use of Quality Management System requirements and help an organization in implementing the same, these should not be considered as essential elements to be fulfilled by the organization. These guidelines do not, however, add, change or modify the requirements of IS 15700.

IS 15798 : 2007 Textiles – Requirements for Labelling and Marking of Consumer Textiles – Specification – The labelling and marking of textiles for various constructional, performance and end use requirements is very important for the common consumers specially from

के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से और वास्तविक उपयोग तथा निबटान के दौरान बाद में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इससे उपभोक्ता वस्त्रों का अनुकूल उपयोग कर पाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मूल्य की उन्हें सही कीमत मिलती है। वस्त्र उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विश्व के कई देशों में उपभोक्ता हितों और सस्ते एवं हानिकारक वस्त्रों की डम्पिंग और आयात को रोकने के लिए वस्त्रों की अनिवार्य अपेक्षाओं की लेबलिंग और मुहरांकन के लिए विनियम भी तैयार किए हैं। इसी संदर्भ में आईएस 15798 : 2007 प्रकाशित किया गया है ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा की जा सके। इस मानक में उपभोक्ता वस्त्रों की लेबलिंग एवं मुहरांकन के लिए भार, मिश्रण संयोजन, रंग तीव्रता, अग्नि प्रतिरोधिता, आयाम इत्यादि जैसी अपेक्षाएँ शामिल की गई है और यह सिले गए एवं बुने गए फैब्रिक तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित तंतुओं से बने तैयार कपड़ों (अंदर और बाहर के) पर लागू हैं।

आईएस 14561 : 2007 अग्नि प्रतिरोधी (ऊष्मारोधी) फाइलिंग कैबिनेट– विशिष्टि – बैंकों, होटलों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों में नकदी, आभूषणों, महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों आदि की सुरक्षा में सुरक्षा उपकरणों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सुरक्षा उपकरणों पर कई मानक बनाए गए है। ऊष्मारोधी फाइलिंग कैबिनेट पर बनाया गया यह मानक एक ऐसा ही मानक है। इस मानक में रख गए ऊष्मारोधी फाइलिंग कैबिनेट का इस्तेमाल आम तौर पर महत्त्वपूर्ण जानकारी और फाइलों की शक्ल में एकत्र किए गए रिकार्ड/दस्तावेजों को आग से बचाने के लिए किया जाता है। इन कैबिनेटों को चोरी और आग से अतिरिक्त बचाव के लिए स्ट्रांग रूम/पुस्तक कक्ष और यहाँ तक कि खुले हाल में भी रखा जा सकता है। इस मानक में सामग्री, साइज़ संबंधी अपेक्षाएँ और अग्नि प्रतिरोधी फाइलिंग कैबीनेट बनाने का विवरण निर्दिष्ट किया गया है जो फाइलों में रखे गए कागज़ों को ऊष्मा से बचाता है।

आईएस 15793 : 2007 पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विधि अनुपालन प्रबंधन – रीति संहिताओं की अपेक्षाएँ – जैसा कि सदस्यों (उद्योग) योजना आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया है यह मानक एक ऐसी प्रणाली तैयारी करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिससे किसी बाहरी संगठन द्वारा संगठन का उन अच्छी रीतियों का सत्यापन करने के लिए ऑडिट किया जा सके जो पर्यावरण, आजीविका स्वास्थ्य और निरापदता संबंधी सभी लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए बनाई गई हैं। इस मानक में उन अच्छी रीतियों की अपेक्षाएँ दी गई हैं जो पर्यावरण, आजीविका स्वास्थ्य और निरापदता संबंधी कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन को दर्शाने के लिए संगठन को लागू करनी होती हैं। इस प्रकार की पद्धति से संगठन कानुनी अपेक्षाओं के प्रति अपनी कार्यकारिता और अनुरूपता दिखा सकते हैं। प्रमाणित करने वाले संगठन को संगठन द्वारा यथा ज्ञातव्य और प्रमाणन प्रक्रिया में आने वाले सभी कानूनों सूचीबद्ध करते हुए सारी जानकारी देनी चाहिए।

the point of health and safety of the users and for prevention of subsequent environmental pollution during actual use and disposal. This also facilitates consumers to make optimum use of the textile and get the full value of the price paid by them. Keeping in view the health and safety of the consumers of textiles, many countries of the world have brought out regulations for labelling and marking of essential requirements on textiles to provide consumer safeguard and at the same time prevent dumping and import of cheap and hazardous textiles. It is in this context, that IS 15798 : 2007 has been published to protect the interest of consumers. The standard covers requirements such as mass, blend composition, colour fastness, fire resistance, dimensions etc, for labelling and marking of consumer textiles and is applicable to woven and knitted fabrics and readymade garments (both inner and outer wears) made of natural as well as man made fibres.

IS 14561 : 2007 Fire Resisting (Insulating) Filing Cabinets – Specification – Security equipment play a vital role in the safety of cash, jewellery, important documents, etc, in various establishments such as banks, hotels, offices, commercial organizations, shops, etc. A number of standards had been formulated on security equipments. This standard on fire resisting (insulating) filing cabinet is one such standard. The insulating filing cabinets covered by this standard are generally used to protect the vital information and records/documents stored in the form of files from fire. These cabinets may be kept either in strong rooms/book rooms for added protection against theft and fire or may be kept in open hall. This standard lays down the requirements regarding materials, sizes and details of construction of fire resisting filing cabinets which insulates the paper media stored in files against fire.

IS 15793 : 2007 Managing Environment, Occupational Health and Safety Legal Compliance – Requirements of Good Practices – As recommended by the Member (Industry), Planning Commission, this standard has been prepared with the aim to develop a system for auditing an organization by an external organization to verify the good practices established for managing compliance for all applicable legislations related to environment, occupational health and safety. This standard specifies requirements for good practices that an organization needs to implement to demonstrate compliance with the legal requirements related to environment, occupational health and safety. A system of this kind enables an organization to demonstrate its performance and conformity to the legal requirements. Certifying organization should provide information listing all the legislations as identified by the organization and covered in the certification process.

आईएस 2796 : 2008 मोटर गैसोलाइन – विशिष्टि – इस मानक में स्फुलिंग प्रज्जवलन आंतरिक दहन इंजिन वाले वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले बीएस II और बीएस III के अनुरूप प्रत्येक बीएस II और बीएस III श्रेणी में आने वाले दो ग्रेड अनलीडिड मोटर गैसोलाइन के नमूने लेने तथा परीक्षण की अपेक्षाएँ और पद्धतियाँ दी गई हैं। इस मानक में एल्को और ईथर जैसे जैविक ऑक्सीजीनेट वाले गैसोलाइन मिश्रकों पर भी लागू होता है। 10 प्रतिशत एथनॉल मिश्रक मोटर गैसोलाइन (ई 10) की अपेक्षाओं को भी इस मानक में अलग से लिया गया है।

आईएस/आईएसओ 22003 : 2007 खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति – खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट और प्रमाणन देने वाले निकायों की अपेक्षाएँ – इस मानक में आईएसओ 22000 में दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप (अथवा निर्दिष्ट एफएसएमएस अपेक्षाएँ के अन्य सेट) खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति के ऑडिट और प्रमाणन के लिए प्रभावी नियमों को परिभाषित किया गया है तथा उन तरीकों के बारे में जरूरी जानकारी और विश्वास दिया गया है जिनके द्वारा उनके सप्लायर प्रमाणन देते हैं। किसी संगठन का एफएसएमएस प्रमाणन संगठन को यह आश्वासन देने का एक तरीका है कि संगठन ने अपनी नीति के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति को कार्यान्वित किया है। प्रमाणन क्रिया कलाप में संगठन के एफएसएमएस का ऑडिट किया जाता है। यह प्रमाणित किए जाने वाले संगठन पर है कि वह स्वयं की प्रबंधन पद्धति (आईएसओ 22000 एफएसएमएस, निर्दिष्ट एफएसएमएस अपेक्षाओं के अन्य सेट, गुणता प्रबंध पद्धति, पर्यावरण पद्धति अथवा आजीविका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंध पद्धति सहित) विकसित करें और यह निर्णय करें कि इसके विभिन्न घटकों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। विभिन्न प्रबंध पद्धतियों के घटकों के संयोजन का स्तर अलग–अलग संगठनों में भिन्न–भिन्न होगा। इसलिए प्रमाणन निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वह संगठन की व्यापकता के भीतर एफएसएमएस को संघटित करने के संदर्भ में अपने ग्राहक की संस्कृति और रीतियों को ध्यान में रखें।

आईएस 14700 इलैक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सामान के ईएमसी अनुपालन द्वारा निरापदता के लिए भारतीय मानकों की श्रृंखला – विद्युतचुम्बकीय सक्षमता अवांछित विद्युतचुम्बकीय ऊर्जा की उत्पत्ति, प्रसार और ग्रहण हैं जो कि ऐसी ऊर्जा द्वारा प्रेरित अवांछनीय प्रभावों को पैदा करती है। ईएमसी का काम उन विभिन्न उपकरणों के समान विद्युतचुम्बकीय परिवेश में सही तरीके से कार्य कराना है जो कि विद्युतचुम्बकीय क्रिया का प्रयोग करते हैं और किसी प्रकार के व्यतिक्रमक प्रभावों को रोकना है जैसे कि हृदय रोगी में पेसमेकर ईएमसी और ऐसे ही व्यतिक्रमणों से रहित बिना काम करता है। व्यतिक्रमण अथवा शोर को न्यून करके और उत्सर्जन और संवेदनशीलता अथवा प्रतिरक्षा विषयों पर ध्यान देकर अर्थात व्यतिक्रमण के स्रोत को समाप्त करके, स्रोत और प्रभावित के बीच युग्मन मार्ग को कम प्रभावी करके तथा

IS 2796 : 2008 Motor Gasoline – Specification – This standard prescribes the requirements and methods of sampling and test for two grades of unleaded motor gasoline under each of BS II and BS III categories complying with BS II and BS III emission norms suitable for use as a fuel in the automobile spark- ignition internal combustion engines of vehicles. This standard also applies to blends of gasoline with organic oxygenates such as alcohols and ethers. Requirements for 10 percent Ethanol Blended Motor Gasoline (E 10) has been included separately in the standard.

IS/ISO 22003 : 2007– Food Safety Management Systems – Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of Food Safety Management Systems – This standard defines the rules applicable for the audit and certification of a food safety management system (FSMS) complying with the requirements given in ISO 22000 (or other sets of specified FSMS requirements), and provides the necessary information and confidence to customers about the way certification of their suppliers has been granted. Certification of the FSMS of an organization is one means of providing assurance that the organization has implemented a system for the management of food safety in line with its policy. Certification activities involve the audit of an organization's FSMS. It is for the organization being certified to develop its own management systems (including ISO 22000 FSMS, other sets of specified FSMS requirements, quality management systems, environmental management systems or occupational health and safety management systems) and to decide how the various components of these will be arranged. The degree of integration between the various management system components will vary from organization to organization. It is therefore appropriate for certification bodies that they operate in accordance with this Technical Specification to take into account the culture and practices of their clients with respect to the integration of their FSMSs within the wider organization.

IS 14700 Series of Indian Standards for Safety by EMC Compliance of Electronics & IT Goods – Electromagnetic compatibility (EMC) is the unintentional generation, propagation and reception of electromagnetic energy with reference to the unwanted effects that such energy may induce. The goal of EMC is the correct operation, in the same electromagnetic environment, of different equipments which use electromagnetic phenomena, and the avoidance of any interference effects such as operation of pacemaker in a heart patient should work without interference from EMC field and so on. Interference, or noise, mitigation and hence electromagnetic compatibility is achieved by addressing both emission and susceptibility or immunity issues, that is quieting the sources of interference, making the coupling

प्रभावित करने वाले संभावित तंत्र को कमजोर बना कर विद्युतचुम्बकीय सक्षमता हासिल की जा सकती है। वर्तमान परिदृश्य में विद्युत एवं आईटी सामान के तेजी से बढ़ते हुए प्रयोग के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि इलैक्ट्रॉनिक तथा आईटी का सामान ईएमसी मानकों के अनुरूप हो ताकि आम उपभोक्ता की सुरक्षित किया जा सके। देश में इलेक्ट्रोनिक और आईटी के सामान के ईएमसी के अनुपालन को अनिवार्य करने और सुरक्षा के लिए सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कानून बनाने की दिशा में कार्यरत है। इसके लिए किए जाने वाले मानक भारतीय मानक व्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक होंगे। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो इसकी शुरूआत कर चुका है और उसने ऐसे कई मानक प्रकाशित किए हैं जैसे कि रेडियत, रेडियो आवृति के लिए परीक्षण एवं मापन तकनीकें और ईएमसी क्षेत्र प्रतिरक्षा परीक्षण, विद्युत–स्थैतिक निस्सरण प्रतिरक्षा परीक्षण, स्पंद चुम्बकीय क्षेत्र प्रतिरक्षा परीक्षण, फ्लिकर मीटर इत्यादि।

मानकों की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण

आवश्यक होने पर मानकों की समीक्षा की जाती है परंतु पाँच वर्षों में कम से कम एक बार समीक्षा अवश्य की जाती है। वर्ष के दौरान 3212 मानकों की समीक्षा की गई, 3051 मानकों की पुनः पुष्टि की गई। 116 मानकों का पुनरीक्षण किया गया और 32 मानक वापिस लिए गए। इसके साथ मानकों में 208 संशोधन प्रकाशित किए गए।

सुमेलीकरण

खुले बाज़ार के परिदृश्य में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामना कर रहा है। वैश्विक बाज़ार में बने रहने का एकमात्र तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आईएसओ/आईईसी मानकों को जहाँ तक संभव हो भारतीय मानकों के साथ सुमेलित किया जाए। भारत व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर डब्ल्यूटीओ करारनामे का हस्ताक्षरी है। इस करारनामे के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि, देशों की विशिष्ट चिन्ता जैसे सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करते समय विचार में लिया/शामिल किया जा सकता है। भा मा ब्यूरो में मानक निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया जाता है, जहाँ ये एक आधार के रूप में मौजूद हैं। अब तक भा मा ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ 4495 भारतीय मानकों को सुमेलित किया है। वर्तमान अनुवर्ती आईएस/आईईसी मानकों को देखते हुए लगभग 78 प्रतिशत मानक सुमेलित हैं।

मानकों के कार्यान्वयन के लिए संगोष्ठियाँ

भा मा ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में संगोष्ठियों का आयोजन करके भारतीय मानकों के कार्यान्वयन को गति दी है। सभी तकनीकी प्रभागों ने ज्ञात क्षेत्रों में संगोष्ठियाँ आयोजित की जिसमें निर्माताओं, उपयोगकर्त्ताओं, सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे स्टेकहॉल्डरों और अन्य लोगों ने भाग लिया। कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों

path between source and victim less efficient, and making the potential victim systems less vulnerable. In present scenario, with tremendously increasing use of electronics and IT goods, it is very crucial for electronics and IT goods to comply with EMC standards for the safety of common consumers. Ministry of Communication and IT in this direction is proposing to enact the legislation to make safety and EMC compliance of electronic and IT goods mandatory in the country. The applicable standards for this purpose would be Indian Standards published by Bureau of Indian Standards. BIS has already initiated and published a number of standards during this year on the subject such as test and measurement techniques for radiated radio frequency and EMC field immunity test, electro-static discharge immunity test, pulse magnetic field immunity test, flicker meter etc.

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. During the year 3212 standards were reviewed, 3051 standards were reaffirmed, 116 were taken up for revision and 32 were withdrawn. In addition, 208 amendments to standards were published.

Harmonization

In the market scenario, India is facing challenge of global competition. To sustain in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) Standards formulated at International level. India is a signatory to WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns such as safety, environmental issues can be considered/ incorporated, while formulating National Standards. BIS uses International Standards, wherever they exist as a basis for the standards development. So far BIS has harmonized 4495 Indian Standards with International Standards. Considering number of standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 78 percent standards are harmonized.

Seminars for Implementation of Standards

BIS has taken up a drive to intensify the implementation of Indian Standards through Seminars in different fields. All technical divisions organized Seminars in identified sectors where stakeholders such as manufacturers, users, R&D organizations, Government institutions and others participated. In all 33 Seminars/Workshops were conducted to disseminate information on standards

में उपलब्ध मानकों की जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से 33 संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित की। ये संगोष्ठियाँ अधिकांश रूप से उन औद्योगिक क्षेत्रों, शंकुलों में आयोजित की गई जहाँ प्रसारित की जाने वाली जानकारी से जुड़े उत्पादक विशेष अधिक थे। इन संगोष्ठियों के दौरान वर्तमान मानकों को बेहतर बनाने और नए मानकों के विषयों को जानने के लिए स्टेकहॉल्डरों के मत और सुझावों को भी ध्यान में रखा गया। निम्नलिखित विषयों पर संगोष्ठियाँ आयोजित की गई:

- राष्ट्रीय भवन कोड 2005 – 7 संगोष्ठियाँ
- साबुन एवं डिटर्जिंट
- अतिरिक्त एचवी स्विचगियरों के क्षेत्र में उभरते परिदृश्य
- ऊर्जा मीटरों की रीति संहिता
- विद्युत वायरिंग उपसाधन
- जन भूमिका–सूक्ष्य सिंचाई के त्वरित प्रोत्साहन में निजी भागीदार
- कीटनाशकों में नवीनतम प्रवृतियाँ एवं विकास
- जैविक–उर्वरक उत्पादन, गुणता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण पद्धतियों पर दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) कार्यशाला (विदेश मंत्रालय के सहयोग से)
- आईटी मानकीकरण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य
- आईटी क्षेत्र में मानकीकरण विषय पर भारतीय आईटी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ आईएसओ के महासचिव श्री एलन ब्राइडन की संगोष्ठी एवं गोलमेज बैठक
- भारत तथा सुदूर–पूर्व में तेल एवं गैस उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
- सिलाई मशीनें
- अर्थमूविंग मशीनरी पर आईएसओ/टीसी 127 के साथ मानकीकरण पर कार्यशाला
- विकलांग एवं वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग, पुनर्वास उपस्कर एवं उपकरण
- सामाजिक दायित्व
- राजीव गांधी गुणता पुरस्कार
- सिल्वर लीफ
- जादवपुर विश्वविद्यालय के साथ प्लास्टिक एवं स्थायित्व फोरम
- मानकीकरण–हस्त औजार उद्योगों के लिए बड़ा लाभ
- यांत्रिक संचरण युक्तियों में मानकीकरण गतिविधियाँ
- अंतर्देशीय, पोताश्रय, शिल्प और मछली पकड़ने वाले पोतों पर राष्ट्रीय मानकों द्वारा सुरक्षा एवं अनुकूलता
- स्वचल घटक एवं उपसाधन
- वस्त्रादि उद्योग में मानकीकरण एवं गुणता प्रबंधन

available in specific fields for increased implementation. These Seminars were mostly conducted in industrial estates, clusters where there is concentration of specific manufacturers about which the information was to be disseminated. During these seminars, opinions and suggestions of stakeholders were also taken for improvement in the existing standards and for identification of subjects for new standards. Seminars on the following subjects were conducted:

- National Building Code 2005 - 7 Nos.
- Soaps and Detergents
- Emerging trends in Extra HV Switchgears
- Code of practice for Energy Meters
- Electrical Wiring Accessories
- Role of Public-Private Partnership in accelerated promotion of micro-irrigation
- Recent trends and developments in Pesticides
- South Asia Association for Regional Co-operation (SAARC) Workshop on Bio-Fertilizer production, Quality Control and Test Methods (in collaboration with Ministry of External Affairs)
- IT Standardization – National and International Scenario
- Seminar-cum-Round Table meeting of ISO Secretary General, Mr. Alan Bryden with representatives of Indian IT Industry on the subject of Standardization in IT Sector
- International Workshop for the Oil & Gas Industry in India and the Far-East
- Sewing Machines
- Workshop on Standardization in Earthmoving Machinery with ISO/TC 127
- Artificial limbs, rehabilitation appliances and equipments for the disabled and elderly persons
- Social Responsibility
- Rajiv Gandhi National Quality Awards
- Silver Leaf
- Plastics & Sustainability Forum along with Jadavpur University
- Standardization – big benefit for hand tool industries
- Standardization activities in mechanical Transmission Devices
- Safety and Optimization through national standards on Inland, Harbour Craft and Fishing Vessels
- Automotive components and accessories
- Standardization and Quality management in textile industry

- भू–तकनीकी और निर्माण तकनीकी उपकरणों के लिए तकनीकी वस्त्रादि में नवीनतम विकास
- नदी अपरदन नियंत्रण और गैबिऑन / भूवस्त्रादि हेतु प्रौद्योगिकियाँ
- पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन
- मानकीकरण के माध्यम से रक्षा, उद्योग और प्रौद्योगिकियों के संयोजन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रायोजित करना; परिवहन इंजीनियरी विभाग, वस्त्रादि विभाग और विद्युत तकनीकी विभाग द्वारा परिदृश्य, चिंताएँ और स्पिनऑफ विषय पर प्रस्तुतीकरण

कुछ महत्वपूर्ण संगोष्ठियों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

चाँदी के वर्क पर संगोष्ठी

25 सितम्बर 2007 को भा मा ब्यूरो के सभागार, नई दिल्ली में चाँदी के वर्क पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बाजार में उपलब्ध चाँदी के वर्क की शुद्धता और हाथ तथा मशीन द्वारा तैयार वर्कों की प्राप्त किया जा सकने वाली वर्क का शुद्धता स्तर, अशुद्धियों की किस्म और सीमाएँ प्राप्त की जा सकने वाली मोटाई विषयों पर उपयोगी चर्चा हुई। इस संगोष्ठी में चाँदी के वर्क मानक आईएस 3110 में कच्ची सामग्री की अपेक्षाओं (999.9 चांदी शुद्धता का प्रयोग करके) को शामिल करने हेतु संगोष्ठी में बल दिया गया और हॉलमार्क लगी चाँदी को वरीयता देने पर विचार किया गया। मानकीकृत उत्पादन प्रक्रम के प्रयोग, अविनाशी और विनाशी विश्लेषण क्रमशः एक्सआरएफ (एक्सरे प्रतिदिप्ति स्पेक्ट्रम मापन) / एएएस (परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रम मापन) यांत्रिक विधियों, सूक्ष्म जैवीय परीक्षण तथा अन्य अपेक्षाएँ जैसे बदरंग होना, शैल्फलाइफ और लैड, आरसैनिक तथा भारी धातुओं (क्रोमियम, कैडमियम आदि सहित) को उपलब्ध वैज्ञानिक आँकड़ों के आधार पर मानक में निर्दिष्ट करने हेतु सिफारिशें की गईं।

सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर संगोष्ठी

12 अप्रैल 2007 को बंगलौर में होटल लीला पैलेस उपर्युक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े सरकारी, वाणिज्यक और शिक्षा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी विकासकर्त्ताओं, उद्योगों के नेतृत्वकर्त्ताओं और वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं को एक मंच पर लाया

- Recent developments in technical textiles for geotech and buildtech appliances
- Technologies for River Erosion Control & use of Gabions/Geosynthetics.
- Environmental impact assessment
- Co-sponsored National Seminar on Synergizing Defence, Industries and Technologies through Standardization: Perspective, Concerns and Spin-off with presentations from Transport Engineering Department, Textiles Department and Electrotechnical Department.

Salient points of some important seminars conducted are as under:

Seminar on Silver Leaf

A Seminar on Silver Leaf was organized on 25 September 2007 in BIS Auditorium, New Delhi. There were useful deliberations on the purity of silver leaf available in the market and achievable purity levels, type and limits of impurities, achievable thickness with handmade and machine made processes. The seminar emphasized that raw material requirements (using 999.9 silver purity) should be incorporated in IS 3110, the standard on silver leaf and preference to hallmarked silver may be considered. The other recommendations were to include standardized manufacturing process, instrumental method such as XRF (X-Ray Fluorescence Spectroscopy) /AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) for non-destructive and destructive analysis respectively, microbiological tests and other requirements such as discoloration, shelf life, limits of impurities such as lead, arsenic and heavy metals (including chromium, cadmium etc) to be prescribed in the standard based on scientific data available.

Seminar on Standardization in Information Technology – National and International Scenario

This seminar was held on 12 April 2007 in Hotel Leela Palace in Bangalore. This seminar brought together technology developers, industry leaders and scientific researchers, from government, commerce and academia in the field of IT and they were provided an

गया और मानकीकरण के सभी पहलुओं पर विचार के लिए खुला मंच प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानकीकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने में योगदान देना था और आदर्श रूप में कुछ समस्याओं के एक समान रूप से कार्यान्वित किए जाने वाले हल निकालना था। यह संगोष्ठी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बाजार प्रवृत्ति, मुद्दे और चुनौतियों पर केन्द्रित थी। इस संगोष्ठी में मानकों पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के साथ विचारों का आदान–प्रदान और समस्याओं के हल पर चर्चा की गई तथा सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानकीकरण पर प्राथमिकता देने हेतु बल दिया गया।

open forum to consider all aspects of standardization. It aimed at contributing to awareness of IT standardization at national and international level, problems and issues surrounding standardization in the field of IT, and ideally, to arrive at some common implementable solutions. This seminar focused on market trends, issues and challenges to the IT industry; exchanged ideas and solutions with IT industry on technical standards and emphasized the priority areas critical to IT standardization.

जैव उर्वरकों के उत्पादन, गुणता नियंत्रण और परीक्षण विधियों पर सार्क कार्यशाला

भारत सरकार की पहल पर जैव उर्वरकों के उत्पादन और संबंधित पहलुओं पर भारत सरकार के अनुभवों को बाँटने के लिए 26–27 मार्च 2008 को नई दिल्ली में उपर्युक्त विषय पर एक द्वि–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और जैव उर्वरकों के उत्पादन और प्रयोग से संबंधित अन्य सार्क सदस्य देशों के अनुभवों पर भी विचार किया गया। हर सदस्य देश के प्रतिनिधि ने उनके देश में जैव उर्वरकों के उत्पादन और प्रयोग के विवरण का प्रस्तुतीकरण किया। प्रतिभागियों को अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पादन के नवीनतम प्रक्रम/सुविधाओं की वास्तविक जानकारी देने के लिए एक अग्रणी जैव उर्वरक फर्म में फील्ड विजिट कराई गई। कार्यशाला में की गई सिफारिशों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा घटती मृदा उर्वरकता को खत्म करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उर्वरक नीति के भाग के रूप में जैव उर्वरकों के प्रयोग को मान्यता देना
- देशी किस्मों की प्राथमिकता पर बल देकर विशेष रूप से प्रयोगकर्ताओं अर्थात फार्म स्तर पर किसानों, को लक्ष्य करके जनता में और अधिक जागरूकता पैदा करके/संचार माध्यमों का प्रयोग करके सार्क के सदस्य देश जैव उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाएँ
- जैव उर्वरक उत्पादन में कच्चे माल के स्रोत प्राप्ति हेतु सहयोग किया जाएगा।

SAARC Workshop on Bio-fertilizer Production, Quality Control and Test Methods

At the initiative of the Government of India, a two-day Workshop was organized at New Delhi on 26 - 27 March 2008, to share India's experience in Bio-fertilizer production and related aspects; and also consider experience in other SAARC member states in regard to production and use of Bio-fertilizer. Each member state representative made presentation detailing the extent of use and application of Bio-fertilizers in their country. A field visit was organized to one of the pioneer Bio-fertilizer firms in order to first-hand acquaint the participants with the research and development as well as on-the-site production processes/facilities. The recommendations made during the workshop include:

- Recognizing the importance of the use of Bio-fertilizer, as part of respective national Fertilizer Policy, with a view to ensuring food and nutritional security as well as arresting declining soil fertility;
- Use of Bio-fertilizer to be promoted in the SAARC member states by greater public awareness/communications initiatives, with priority attention to indigenous strains, especially targeting the users for example farmers at the farm-level;
- Collaboration may be undertaken on sourcing raw material in production of Biofertilizers;

- सदस्य देशों में जैव उर्वरकों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना और विशेषज्ञों का आदान–प्रदान किया जाएगा।
- क्षेत्र में उत्पादित जैव उर्वरकों की सभी किस्मों की गुणता सुनिश्चित करने के लिए मानकों के समरूपण की आवश्यकता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने जैव उर्वरकों के उत्पादन, गुणता नियंत्रण और परीक्षण विधियों के समरूपण हेतु एक समझौता मसौदा तैयार करने के लिए सहमति दी है।

सिलाई मशीनों के मानकीकरण पर संगोष्ठी

यांत्रिक इंजीनियरी विभाग ने लुधियाना में 12 दिसम्बर 2007 को 'सिलाई मशीनों के मानकीकरण' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विनिर्माताओं, थोक व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के बीच इस क्षेत्र में निर्धारित मानकों और संबंधित मानकों का कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। प्रतिभागियों ने इस सेमिनार में हुई चर्चाओं का फायदा उठाया और वर्तमान मानकों के उन्नयन तथा उनके कार्यान्वयन हेतु बहुमूल्य फीडबैक प्रदान की। इस संगोष्ठी में सिफारिश की गई कि सिलाई मशीन के प्लास्टिक के कवर और आधार हेतु एक भारतीय मानक तैयार किया जाए। आईएस 1610 : 2000 'घरेलू सिलाई मशीन – सामान्य अपेक्षाएँ' और आईएस 14769 : 2000 'घरेलू सिलाई मशीन का हैड – सामान्य अपेक्षाएँ' को मिलाकर एक मानक बनाया जाए तथा फ्लाई व्हील के मानक आईएस 12798 : 1998 'घरेलू सिलाई मशीन – फ्लाई व्हील – विशिष्टि' का पुनरीक्षण किया जाए।

राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 पर कार्यशाला

राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के विषय में जानकारी देने और राज्य प्राधिकरणों द्वारा इसके कार्यान्वयन में सहायता हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 पर 7 कार्यशालाएँ आयोजित की गई। ये कार्यशालाएँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के साथ संयुक्त रूप से कोलकाता, राँची, देहरादून, लखनऊ, गुवाहाटी और जबलपुर में आयोजित की गई। एनसीसीबीएम के साथ मिलकर

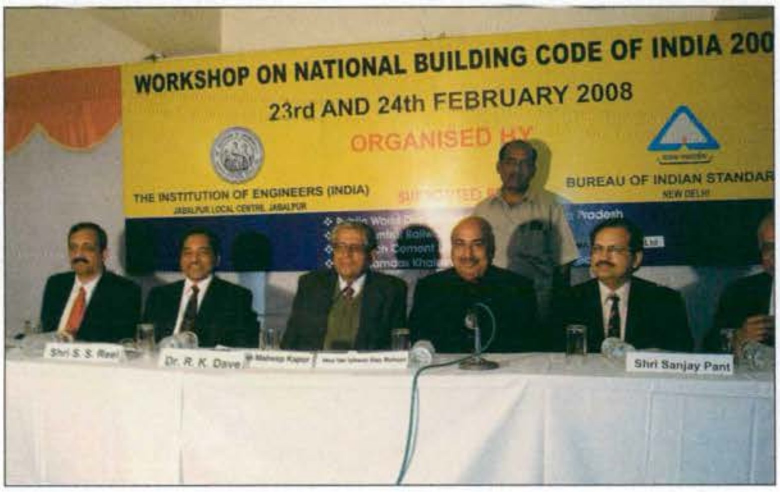

- Information and experts may be exchanged to facilitate transfer of technology in Biofertilizer production in the member states;
- Harmonized standards would need to ensure quality of all types of Biofertilizers produced in the region. BIS offered to prepare draft of, an agreement to Harmonize Production, Quality Control and Test Methods on Biofertilizers.

Seminar on Standardization for Sewing Machines

Mechanical Engineering Department organized a seminar on 'Standardization for Sewing Machines' at Ludhiana on 12 December 2007. The objective of the seminar was to create awareness among the sewing machines manufacturers, wholesale traders and common consumers regarding Indian Standards formulated in this field and implementation of relevant standards. Participants took full advantages of this seminar and gave valuable feedback for up gradation of existing standards and their implementation. It was recommended to formulate Indian Standard on plastic cover and base of sewing machines, consolidation of IS 1610 : 2000 "Household sewing machines – General requirements" and IS 14769 : 2000 "Household sewing machine head – General requirements" into a single standard and review of existing Indian Standard on Flywheel viz. IS 12798 : 1989 "Household sewing machines – Flywheels – Specification".

Workshops on National Building Code of India 2005

In order to disseminate information about the NBC 2005 and help the state authorities in implementation, seven Workshops on National Building Code of India 2005 were organized. The workshops held at Kolkata, Ranchi, Dehradun, Lucknow, Guwahati and Jabalpur were organized jointly with Institution of Engineers (India). The workshop at Thiruvananthapuram

एक कार्यशाला तिरुवन्नतपुरम् में आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में कुछ सिफारिशें एक समान रूप से की गईं:

- राज्यों में स्थानीय भवन उप–कानूनों तथा अन्य नियामक माध्यमों की पूरी तरह पुनरीक्षा की जाए तथा उन्हें पुनरीक्षित राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप बनाया जाए।
- राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभागों की वर्तमान विशिष्टियों, संहिताओं और मैनुअलों का पुनरीक्षण राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुरूप किया जाए।
- मास्टर प्लान एनबीसी 2005 के सिद्धांतों को परिलक्षित करने वाला हो।

भवन निर्माण में लगे सभी भवन विशेषज्ञों और श्रमिकों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण के प्रयास किए जाएँ।

सामाजिक दायित्वों पर कार्यशाला

नई दिल्ली में 16–17 अप्रैल, 2007 के दौरान भा मा ब्यूरो और वॉयस सोसायटी ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सहयोग से सामाजिक दायित्व और विकासशील देशों पर इसके प्रभाव पर एक कार्यशाला आयोजित की। विकसित और विकासशील देशों जैसे मोरक्को, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रिया, वेनेजुएला, मलेशिया, ईजिप्ट तथा केन्या के साथ–साथ पाकिस्तान, केन्या, कोस्टारीका तथा इंडोनेशिया जैसे विभिन्न विकासशील देशों के चार प्रतिनिधियों सहित आठ विदेशी वक्ता शामिल थे। इनके सहित इस कार्यशाला में स्टेकहोल्डरों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 व्यक्तियों ने भाग लिया।

इस संगोष्ठी के निष्कर्ष के रूप में यह अनुभव किया गया कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार का सृजन, शहरी तथा ग्रामीण विभाजन तथा संगठन के सामाजिक दायित्व के प्रयास समाज पर सकारात्मक प्रभाव के लिए ही नहीं अपितु उनके कार्य के समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को घटाने के लिए भी संगठन की भूमिका में विकासशील देशों की अपेक्षाओं को सम्बोधित करने की आवश्यकता है। सामाजिक दायित्वों के प्रति की गई पहल में पारदर्शिता तथा उचित रूप से रिपोर्ट करने और सम्प्रेषण की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

साबुन तथा डिटर्जेन्ट पर संगोष्ठी

"साबुन तथा डिटर्जेन्ट – क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है?" विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी होटल कोहिनूर कांटिनेन्टल, मुम्बई में 29 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई। इसमें वर्तमान पारिस्थितिक संकट की गम्भीरता और पर्यावरण को बचाने में ईको मुहर योजना के महत्त्व पर चर्चा की गई। तकनीकी सत्र में विभिन्न विषयों जैसे "पर्यावरण के अनुकूल साबुन तथा डिटर्जेन्ट – बाजार से संगतता", "राष्ट्रीय मानकों के साथ–साथ ईको मानदण्डों पर सिंहावलोकन", "साबुन के लिए पर्यावरण के अनुकूल कच्ची सामग्री", "साबुन तथा डिटर्जेन्ट की पर्यावरण अनुकूलता का मूल्यांकन" तथा "साबुन तथा डिटर्जेन्ट – पर्यावरण के अनुकूल पैकेजबंदी" पर चर्चा की गई।

इस संगोष्ठी के परिणामस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जो निम्नानुसार है :

was organized jointly with NCCBM. General recommendations that emerged from the workshops were:

- The local building byelaws and other regulatory media in the states should be completely reviewed and revised to bring the same in line with the revised NBC 2005.
- The existing State PWD specifications, codes and manuals should be revised in line with NBC 2005.
- The Master Plans should also be reflective of the concerns of NBC 2005.

Efforts should be made for capacity building/training of all building professionals and work force involved in building construction activity.

Workshop on Social Responsibility

A Workshop on Social Responsibility and its implications for developing countries was organized during 16-17 April 2007 at New Delhi by BIS and VOICE Society, with the support of Ministry of Consumer Affairs. There was participation from around 150 delegates representing different stakeholder categories including 8 foreign speakers representing both developed and developing countries, namely, Morocco, Germany, USA, Austria, Venezuela, Malaysia, Egypt and Kenya as well as 4 delegates from different developing countries, namely, Pakistan, Kenya, Costa Rica and Indonesia.

As a outcome of this seminar, it was felt that there was a need to address the requirement of developing countries in the role the organizations can play to address issues of poverty alleviation, creation of employment, the urban and rural divide and the social responsibility efforts of the organizations should not only be to increase the positive effects on society but also to reduce the negative impact of their work on the society. The need for transparency and a proper reporting and communication of social responsibility initiatives was stressed.

Seminar on 'Soaps and Detergents'

A Seminar was organized on 'Soaps and Detergents - Are they Eco-friendly?' on 29 February 2008 at Hotel Kohinoor Continental, Mumbai. The severity of recent ecological crisis and the importance of ECO-Mark Scheme to protect the environment was discussed. In Technical Session talks were delivered on different subjects like 'Eco-friendly Soaps and Detergents – Market relevance', 'Overview of National Standards *vis-à-vis*, ECO Criteria', 'Eco-friendly Raw Materials for Soaps', 'Evaluation of Eco-friendliness of Soaps and Detergents' and 'Soaps and Detergents – Eco-friendly Packaging'.

Some of the important recommendations that emerged out of the Seminar are as follows:

- अग्रणी निर्माताओं को स्वेच्छा से पहले भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना लेनी चाहिए और बाद में ईको मुहर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उद्यम करना चाहिए।
- साबुन तथा डिटर्जेन्ट के राष्ट्रीय मानकों में दिए गए ईको मुहर के मानदण्डों की समीक्षा की जाए और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पुनः इन्हें बनाया जाए।
- त्वचा में जलन और संवेदनशीलता की सम्भावना के लिए ऐसे परीक्षण जो जानवरों पर नहीं किए जाते, सृजित किए गए हैं और इन्हें यूरोप में वैद्यता मिली है, इंडियन टैक्सिकोलॉजी रिसर्च सैन्टर (आईटीआरसी) से अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय समिति को विचारार्थ ये विवरण उपलब्ध कराए जाएँ।
- राष्ट्रीय समिति आईएस 4955 : 2001 "घरेलू लॉन्ड्री डिटर्जेन्ट पाउडर (*चौथा पुनरीक्षण*)" का पुनरीक्षण करे और फॉस्फेट के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री की पहचान करे।

जल संसाधन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर संगोष्ठी

भा मा ब्यूरो नई दिल्ली के सभागार में 28 मार्च, 2008 को जल संसाधन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रबन्धन में वर्तमान मुद्दों से सम्बन्धित विभिन्न विशेषज्ञों के अलग–अलग समूहों के बीच विचारों और जानकारी के आदान–प्रदान का अवसर प्रदान किया। चर्चाओं के दौरान मानकीकरण के लिए सम्भावना सुनिश्चित करने के लिए गहन मूल्यांकन हेतु कई क्षेत्रों की पहचान के लिए इनमें शामिल हैं कैचमेन्ट एरिया उपचार योजनाएँ, जल संसाधन परियोजनाओं के लिए ईआईए और पर्यावरण प्रबन्ध योजना में रिमोट सैन्सिंग तथा जीआईएस का अनुप्रयोग।

हाथ के औजारों पर संगोष्ठी

"मानकीकरण – हाथ के औजार संबंद्धी उद्योग के लिए बड़े लाभ" पर संगोष्ठी कार्यक्रम 29 फरवरी, 2008 को इंस्टीटयूट फॉर ऑटो पार्ट्स एंड हैण्ड टूल्स, लुधियाना में आयोजित किया गया। इसमें हाथ के औजारों के अद्यतन प्रकारों, अद्यतन निर्माण की प्रक्रिया और सामग्री पर सूचना संगोष्ठी के दौरान वितरित की गई। इस पर बल दिया गया कि हाथ के औजारों के उद्योग में काफी अधिक श्रम जुड़ा है। अतः इस क्षेत्र में निर्यात की काफी अधिक सम्भावनाएँ हैं और राष्ट्रीय मानक निकाय होने के कारण भा मा ब्यूरो भारतीय हाथ के औजार उद्योग को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि खुली भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान युग में इसे और

- Leading manufacturers should volunteer for BIS Certification Marks Scheme first and later venture into obtaining the ECO-Mark licence.
- Criteria for ECO-Mark as given in the National standards of Soaps & Detergents is to be re-visited and deliberated by Ministry of Environment and Forests (MoEF) and BIS.
- Keeping in view that non-animal based test for skin irritation and sensitization potential has been evolved and validated in Europe, Industrial Toxicology Research Centre (ITRC) requested to provide the details to the National Committee for its consideration.
- National Committee may review IS 4955 : 2001 'Household laundry detergent powders (*fourth revision*)' to identify alternative builders in place of phosphates.

Seminar on Environmental Impact Assessment for Water Resources Projects

A seminar was held on Environmental Impact Assessment for Water Resources Projects on 28th March 2008 in the auditorium of BIS, New Delhi. The seminar acted as an opportunity for exchange of ideas and knowledge between diverse groups of the various experts concerned with the current issues in environmental impact assessment (EIA) and management. During the deliberations a number of areas were identified for in depth assessment for ascertaining their feasibility for standardization. These include Catchment Area Treatment Plans, Application of Remote Sensing & GIS in EIA & Environmental Management Planning for Water Resources Projects.

Seminar on Hand Tools

A seminar on "Standardization – Big Benefits for Hand Tool Industries" was organized at Institute for Auto Parts & Hand Tools, Ludhiana on 29th February 2008. Information about latest types of hand tools, latest manufacturing process and materials was disseminated during the Seminar. It was emphasized that hand tools industry being labour intensive, there is tremendous export potential in this field and BIS being the National Standards Body would work as an important catalyst in upgrading the Indian hand tool industries so as to make it more competitive in the present

अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उपयुक्त गुणता की अपेक्षा को पूरा करने के लिए इस पर जोर दिया गया कि हाथ के औजार उद्योग अपने आपको पूरी तरह से सुसज्जित करें। भा मा ब्यूरो एसपी 53 : हाथ के औजारों पर हैण्डबुक – निर्माताओं तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा इसके उपयोग के लिए प्रयोग करने, देखभाल करने तथा संरक्षण हेतु सुरक्षा संहिता को अद्यतन करने के लिए भा मा ब्यूरो ने सहमति दी।

era of open global economy. It was urged to hand tool industries to make themselves fully equipped to meet the requirement of appropriate quality for domestic and international market. BIS agreed to update and revive SP 53 : Handbook of Hand Tools – Safety Codes for use, care and protection for its use by manufacturers and users.

ऑटोमोटिव संगठनों और अनषंगी सामग्री पर संगोष्ठी

ऑटोमोटिव संगठनों और अनषंगी सामग्री पर पारस्परिक सम्पर्क हेतु संगोष्ठी का आयोजन ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे में 12 मार्च, 2008 को किया गया। संगोष्ठी में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा पिछले कुछ दशकों में की गई प्रगति और मानकीकरण पर चर्चा की गई। ऑटोमोटिव उद्योग में बहुत तेज गति से प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की गई। एडेपटिव फ्रन्ट लाइटनिंग प्रणाली, गैस डिस्चार्ज लैम्प, कॉर्नर के लैम्प, हैड लैम्प में एलईडी का उपयेाग और अप्रत्यक्ष विजन प्रणाली और इलैक्ट्रिक हाइब्रिड इलैक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहन, पैसिव सुरक्षा घटक, इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली, एबीएस में प्रयुक्त वायरिंग हारनेस, रबड़ के घटक इत्यादि।

देशी हार्बर क्राफ्ट तथा फिसिंग वैसल्स (यान) पर भारतीय मानकों के माध्यम से सुरक्षा और अनुकूलतमता पर संगोष्ठी

देशी हार्बर क्राफ्ट तथा फिसिंग वैसल्स (यान) पर भारतीय मानकों के माध्यम से सुरक्षा और अनुकूलतमता पर पारस्परिक सम्पर्क हेतु संगोष्ठी का आयोजन 20 फरवरी, 2008 को होटल गोकुलम पार्क, कोच्चि में किया गया। इस संगोष्ठी में मानकीकरण की कमी के अलावा मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त नावों की घटिया डिजाईन और कारीगरी के कारण मछुवारों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को प्रमुखता से रखा गया। प्रतिनिधियों ने इस पर जोर दिया कि मछुवारों की जिन्दगी को सुरक्षित और आरामदेह बनाने के अलावा नावों की कार्यकारिता को सुधारने के लिए और उपयुक्त मानकों को तैयार करके इन्हें आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए तुरन्त कुछ किया जाना अपेक्षित है। सहभागियों ने इंडियन हार्बर क्राफ्ट और फिशिंग वैसल पर उपलब्ध भारतीय मानकों और उनमें निर्दिष्ट अपेक्षाओं तथा सुरक्षा और लागत को अनुकूलतम बनाने में ये मानक कैसे उपयोगी हैं इस पर चर्चा की। अन्य सुझावों के अलावा संगोष्ठी में नई परियोजनाओं पर मानक तैयार करने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से सिफारिश की गई।

Seminar on Automotive Components and Accessories

An interactive Seminar on Automotive Components and Accessories was organized on 13 March 2008 at Automotive Research Association of India, Pune. Advancement made by the Indian Automotive Industry in last couple of decades *vis-à-vis* Standardization in this field was discussed during the Seminar. In view of technological advancements in the field of automotive industry at a very fast pace, new areas for standardization were identified, such as Adaptive Front Lighting Systems, Gas discharge Lamps, Cornering lamps, use of LED's for Head lamps, Indirect vision systems, Electric and Hybrid electric vehicles, Hydrogen fueled vehicles, Passive safety elements, Electronic control systems, Wiring Harness used in ABS, Rubber Components etc.

Seminar on Safety and Optimization Through National Standards on Inland Harbour Crafts and Fishing Vessels

An interactive Seminar on "Safety and Optimization through national standards on Inland Harbour Crafts and Fishing Vessels" was organized on 20th February 2008 at Hotel Gokulam Park, Kochi. The seminar prominently brought out the difficulties faced by the fishermen in view of poor design and workmanship of fishing boats beside lack of standardization. The delegates urged that something urgently is required to be done to make our fishermen's, life safe and comfortable besides improving boats functional and economic viability by preparing appropriate standards. The participants debated over the availability of Indian Standards in Inland Harbour Crafts and Fishing Vessels along with requirement specified therein and how the same are useful in optimizing safety and cost. Besides the number of other suggestions, the seminar brought out a number of definite recommendations pertaining to preparation of standards on new subjects.

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (आरजीएनक्यूए)

उत्कृष्ट उद्योगों की विशेष मान्यता देने के लिए 1991 में भारतीय मानक द्वारा राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार स्थापित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग में गुणता कार्यक्रमों में रूचि और जुड़ाव उत्पन्न करने, भारतीय उत्पादों को गुणता के उच्च स्तर तक ले जाने और भारतीय संगठनों को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की चुनौतियों को पूरा करने के लिए बेहतर सुसज्जित करने के लिए बनाया गया है। इससे अन्य विकसित देशों को इसी प्रकार के पुरस्कार जैसे यूएसए के मैलकम बैड्रिज क्वालिटी अवार्ड, जापान के डैमिन प्राइस तथा यूरोपीय क्वालिटी अवार्ड के अनुरूप डिजाईन किया गया है। इन पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन के मानदण्ड पूर्ण गुणता प्रबन्ध (टीक्यूएम) पर आधारित हैं और समकक्ष विदेशी पुरस्कारों के मानदण्डों के अनुसार है।

वर्ष 2007 के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार पर कार्यवाही की गई। वर्ष 2007 के पुरस्कारों में वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार जीतने वाले संगठन को पाँच लाख रुपए तथा अन्य पुरस्कार जीतने वाले संगठनों को एक लाख रुपए तथा सराहना प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले संगठन को पचास हजार रुपए की राशि के नकद पुरस्कार भी आरम्भ किए गए। इसके लिए कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए। इसके ब्रेकअप में बड़े निर्माण क्षेत्र के 55 प्रतिशत आवेदन, लघु निर्माण क्षेत्र के 27 प्रतिशत व बड़े सेवा क्षेत्र से 14 प्रतिशत व छोटे सेवा क्षेत्र से 4 प्रतिशत आवेदन शामिल हैं।

इसमें से छाँटे गए 49 आवेदकों के यहाँ तथ्य ढूंढने और मूल्यांकन के लिए दौरे किए गए। पुरस्कार विजेताओं और सराहना प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों के नाम राष्ट्रीय पुरस्कार समिति की 15वीं बैठक में निश्चित किए गए जो सचिव (उपभोक्ता मामले विभाग) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इन पुरस्कारों को देने के लिए योजना और संगठन सम्बन्धी कार्य भी इस अवधि में किया गया और ये पुरस्कार 10 अप्रैल, 2008 को दिए गए।

मानक संवर्धन

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है और भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमुख लक्ष्य रहा है। मानक संवर्धन तथा उपभोक्ता मामले विभाग (एसपी एंड कैड) इस दिशा में मानकीकरण, प्रमाणन तथा गुणता की अवधारना का उपभोक्ताओं में प्रचार करके इस दिशा में योगदान दे रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानक संवर्धन तथा कैड विभाग नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रीय

Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA)

Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards in 1991 with a view to give special recognition to the best industries. This award is intended to generate interest and involvement of Indian Industry in quality programmes, drive Indian products to higher levels of quality and better equip Indian organizations to meet the challenges of domestic and International markets. This award is an annual feature. It has been designed in line with similar awards in other developed countries like Malcolm Baldrige Quality Award of USA, Deming Prize of Japan and European Quality Award. The assessment criteria for these awards are based on Total Quality Management (TQM) and are at par with the criteria for other similar overseas awards.

The Rajiv Gandhi National Quality Awards for the year 2007 were processed during the year. For the 2007 awards, financial incentives in the form of cash awards of Rs. 500 000 for organizations winning the BEST OF ALL Award; Rs. 100 000 for organizations winning the other awards and Rs 50 000 for organization receiving the commendation certificates were also introduced. A total of 81 applications were received. The breakup includes 55 percent applications from Large Scale Manufacturing Sector, 27 percent from Small Scale Manufacturing Sector, 14 percent from Large Scale Service Sector and 4 percent from Small Scale Service Sector.

Fact-finding and evaluation visits were paid to 49 shortlisted applicants. The award winners and recipients of commendations certificates were finalized in the 15th meeting of National Awards Committee (NAC), held under the chairmanship of Secretary (Department of Consumer Affairs). The planning and organizational work for the award presentation ceremony of these awards which was held on 10 April 2008 was also done during the period.

STANDARDS PROMOTION

Consumer Awareness Programmes

Implementation of Indian Standards is of great significance and has been a prime objective of the Bureau of Indian Standards. Standards Promotion and Consumers Affairs Department (SP&CAD) is contributing in this direction by promoting the concept of standardization, certification and quality amongst the consumers.

कार्यालयों / शाखा कार्यालयों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कई बार ये जागरूकता कार्यक्रम उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान ऐसे 125 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मानकों पर शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रम (ईयूएस)

व्यावसायिक संस्थानों के विद्यार्थियों और निकाय सदस्यों को मानकीकरण और प्रबन्ध पद्धति के क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने द्वारा दी जा रही वस्तुओं और सेवाओं में गुणता लाने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित हों। मानक संवर्धन तथा उपभोक्ता मामले विभाग मानकीकरण के संदेश प्रचार करने और विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं और देशभर में फैले विश्वविद्यालयों में अद्यतन भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के विशेष उद्देश्य से मानकों पर शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को वितरित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र से सम्बद्ध संदर्भ सामग्री का स्पेशल किट भी तैयार किया गया है। चालू वर्ष के दौरान मानकों पर 9 शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एचआरडी एंड शैक्षिक संस्थानों में क्षमता निर्माण स्कीम

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007 से 2012) के अंतर्गत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित **'एचआरडी एवं शैक्षिक संस्थानों में क्षमता निर्माण'** स्कीम चलाने की जिम्मेदारी' दी गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत पूरी योजना अवधि के दौरान उन्नत मानकीकरण प्रणाली के विकास, मानकों के विशेषज्ञ विकसित करने और व्यावसायिक संस्थानों में मानकीकरण और गुणता को एक विषय के रूप में लागू करने हेतु रुपये 7.00 करोड़ के व्यय हेतु अनुमोदन किया गया था। वर्ष 2007–08 में इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपये प्राप्त हुए। इस परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है।

उद्योगों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

उद्योगों हेतु जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य लघु उद्योगों में मानकीकरण और प्रबंध पद्धति की अवधारणा का प्रचार–प्रसार

For accomplishing this motive SP&CAD is organizing regular Awareness Programmes through various Regional Offices/Branch Offices. These Awareness Programmes are sometimes conducted in association with Consumer Organizations. During the current year, 125 programmes have been conducted.

Educational Utilization of Standards Programmes (EUS)

The students and faculty of professional institutions need to be trained in the field of standardization and management systems, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services to be delivered by them. SP&CAD has been regularly conducting programmes on Educational Utilization of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to create awareness about latest Indian Standards in various professional institutes and universities through out the country. Special kit of Reference Material pertaining to specialized fields has also been prepared for distribution amongst the participants in such programmes. In the current year, nine EUS Programmes were carried out.

Centrally Sponsored Scheme "HRD & Capacity Building in Educational Institutions" under Eleventh Plan

Under the eleventh plan(2007-12), BIS has been assigned to carry out the centrally sponsored scheme viz. **"HRD & Capacity Building in educational institutions"** on behalf of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Government of India wherein an amount of Rs. 7.00 crores has been approved for the entire plan period to develop an advanced standardization system, Nurture standards experts and introduce standardization and quality as a subject in professional institutions. An amount of Rs. 50 lakhs has been received for this project in 2007-08, which has been initiated.

Industry Awareness Programmes

The aim of the Industry Awareness Programmes is to propagate the concept of standardization and management systems amongst small scale industries. Such programmes

करना है। इन कार्यक्रमों में व्याख्यान और परिचर्चाएँ शामिल की जाती हैं, जिनसे प्रतिभागियों को मानकीकरण की अवधारणा, प्रबंध पद्धति प्रमाणन, उत्पाद प्रमाणन तथा भा मा ब्यूरो की अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इन कार्यक्रमों में उन उद्योगों विशेष से संबंधित मानकों की भी जानकारी दी जाती है, जिनकी संख्या उस क्षेत्र विशेष में अधिक होती है। ये कार्यक्रम उस क्षेत्र के स्थानीय औद्योगिक एसोसिएशनों और लघु उद्योग सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। चालू वर्ष में उद्योगों हेतु 39 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

राज्य स्तरीय समितियाँ और निविदा संबंधी पूछताछ

सरकारी विभाग में भारतीय मानक को कार्यान्वयन और संवर्द्धन कार्य राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों और खरीद एजेंसियों के साथ निकट संबंध बनाकर और परस्पर इंटररेक्शन द्वारा कार्य को आगे बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदाओं की नियमित जाँच करके मानकों के संवर्द्धन अैर कार्यान्वयन के संभावित अवसर की तलाश की जाती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदाओं के आधार पर अनेकों संगठनों से संपर्क किया गया और उनसे आईएसआई मुहर लगे उत्पादों की खरीद करने या खरीद में आईएस विशिष्टि का संदर्भ देने का अनुरोध किया गया।

विश्व मानक दिवस

विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस समारोह के माध्यम से उन हजारों विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों को भावांजली अर्पित की जाती है, जिन्होंने स्वेच्छा से तकनीकी समझौतों का विकास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। समारोहों के हिस्से के रूप में आईएसओ, आईईसी और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) द्वारा घोषित एक ही विषय पर पूरे विश्व भर में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2007 के लिए **'मानक और नागरिक : समाज के प्रति योगदान'** विषय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डब्ल्यूटीओ समझौते के वर्तमान परिदृश्य में बहुत सार्थक है। भारत में भा मा ब्यूरो मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने पूरे देशभर में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित की। इनमें बड़ी संख्या में वक्ताओं ने आम उपभोक्ता के हितों से जुड़े विभिन्न तकनीकी विषयों पर व्याख्यान दिए।

सूचना एवं लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष

लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों के मानक संवर्द्धन एवं उपभोक्ता मामले विभाग सूचना एवं लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष का प्रचालन कर रहा है। इस कक्ष द्वारा भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों और तकनीकी पूछताछ के बारे में जानकारी दी जाती है।

consist of lectures and discussions, where the participants are exposed to the concept of Standardization, Management Systems Certification, Product Certification and other BIS activities. Standards relating to specific industrial sector, depending upon the concentration of industries in the area, are also highlighted in such programmes. These programmes are organized in collaboration with Local Industry Associations and Small Industries Service Institute of that area. In the current year, 39 Industry Awareness Programmes have been conducted.

State Level Committees and Tender Enquiries

Efforts are made to have close collaboration and interaction with Government Departments and purchase agencies through State Level Committees to implement and promotion of Indian Standards. Further, scrutiny of tenders in newspapers is regularly done to find out possible opportunity for standards promotion and implementation. A number of organizations have been contacted based on the tender published in newspapers and requested them to opt for ISI marked products or to refer IS Specification.

World Standards Day

Every year 14th October is celebrated as World Standards Day. It is a means of paying tribute to collaborative efforts of thousands of experts world wide who develop the voluntary technical agreements that are published as International or National Standards. As part of celebrations, technical seminars are held throughout the world on a central theme declared by ISO, IEC and International Telecommunication Union (ITU) jointly. The theme **"Standards and the Citizen: Contributing to Society"** for 2007 was very much live in the current scenario of International trade and WTO agreement. In India, BIS has organized technical seminars all over the country through ROs/BOs and at HQs where a large number of delegates deliberated over various technical issues concerning common consumer interests.

Information and SSI Facilitation Cell

SP&CAD is operating an Information and SSI Facilitation Cell for the benefit of small and medium scale entrepreneurs. Information on various activities of BIS and technical queries are provided.

प्रचार

आम उपभोक्ताओं को भा मा ब्यूरो की गतिविधियों की जानकारी देने तथा उन में गुणता के प्रति प्रबल चेतना जागृत करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा कई प्रकार की प्रचार संबंधी गतिविधियाँ जारी रखी गईं।

20 अगस्त 2008 से 90 दिन तक (क) आईएसआई मुहर (ख) हॉलमार्किंग, नामक रेडियो स्पॉट प्रसारित किए गए। ये रेडियो स्पॉट विविध भारती के 40 केन्द्रों, ऑल इंडिया के एफएम–1 और एफएम–2 से हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए गए।

जुलाई 2007 से फरवरी 2008 के दौरान स्वर्णाभूषणों पर एक अखिल भारतीय विज्ञापन अभियान चलाया गया। यह विज्ञापन विभिन्न स्थानों से प्रकाशित हुआ। विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में भी भा. मा. ब्यूरो की गतिविधियों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराए गए।

स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग, आईएसआई मुहर लगे उत्पादों के लाभ, विश्व मानक दिवस समारोह और भा. मा. ब्यूरो तथा थाईलैंड इंडस्ट्रियल स्टैण्डर्डस इंस्टीट्यूट के बीच हुए समझौता ज्ञापन से संबंधित कई साक्षात्कार आयोजित किए गए और उन्हें जी बिजनेस, ईटीवी, सीएनबीसी, आवाज चैनल, डीडी (न्यूज), डीडी नेशनल, एएनआई, सहारा समय, इंडिया टीवी, आजतक आदि चैनलों पर प्रदर्शित किए गए। मार्च 2008 के दौरान स्टार न्यूज पर स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग से संबंधित सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रदर्शित की गई।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऑल इंडिया रेडियों के इन्द्रप्रस्थ चैनल पर उनके कार्यक्रम सुबह सवेरे में आईएसआई मुहर लगे बिजली के उत्पादों से संबंधित विषय पर उपमहानिदेशक (मुहर) की एक रेडियो वार्ता प्रसारित की गई। ऑल इंडिया रेडियो पर सिविल इंजीनियरी विभाग के प्रमुख की भवन और निर्माण हेतु भारतीय मानक विषय पर एक रेडियो वार्ता प्रसारित की गई।

मार्च 2008 के दौरान नवभारत टाइम्स में आईएसआई मुहर पर एक लेख प्रसारित किया गया। दि बिजनेस स्टैण्डर्डस में भी सीमेंट के आयात पर एक लेख प्रसारित किया गया।

इस अवधि के दौरान आईएसआई मुहर और स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग पर एनीमेशन, बसों के बैकपैनलों, होर्डिंगों और जनसुविधाओं के माध्यम से एक आउटडोर प्रचार अभियान चलाया गया।

उपभोक्ताओं में जागरूकता के लिए आईएसआई मुहर तथा स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग पर विभिन्न प्रकार के संदेश भा मा ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर लगे एलईडी डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए।

भा मा ब्यूरो ने लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में 27 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2007 तक आयोजित

Publicity

To spread awareness of the activities of BIS among common consumers and create a strong consciousness for quality, it undertook various publicity activities through various media.

Two radio spots of on (a) ISI Mark, and (b) Hallmarking were broadcast from 20 August 2008 for ninety days on All India basis. These spots were broadcast over 40 Vividh Bharti stations, FM-I channels and FM-II channels of AIR in Hindi and Regional languages.

An advertisement campaign on all-India basis on Hallmarking of Gold Jewellery was released during July 2007 to February 2008 and the same was published from various places. Advertisements on different activities of BIS were also released in various newspapers/magazines.

A number of interviews of BIS officials on Hallmarking of Gold Jewellery, Benefits of ISI marked products, celebrations of World Standards Day, Signing of MoU between BIS and Thailand Industrial Standards Institute, were organized and the same were telecast on Zee Business, ETV, CNBC Awaz channel, DD (News), DD National, ANI, Sahara Samay, India TV, Aaj Tak, etc Information on Gold Hallmarking Survey report was telecast on Star News during March 2008.

A radio talk of Deputy Director General (Marks) regarding ISI mark on Electrical Goods which was broadcast on Indraprastha Channel of AIR in their programme Subah Savere was also organized during this period. Another talk by Head of Civil Engineering department on Indian standards on Building and Construction was broadcast on AIR.

A story on ISI mark was published in Nav Bharat Times during March 2008. A story on Import of Cement was also published in The Business Standard.

Outdoor publicity campaign on ISI mark and Hallmarking of Gold Jewellery was also undertaken during this period through Animation display, Bus Back panels, Hoardings and Public utilities.

LED display board was installed at the entrance of BIS flashed the various messages on ISI mark and Hallmarking of Gold jewellery for consumer awareness.

BIS participated in MTNL Perfect Health Mela from 27 October to 4 November

एमटीएनएल परफेक्ट हैल्थ मेले में भाग लिया। भा मा ब्यूरो ने 7–8 नवम्बर 2008 को नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम में कमी विषय पर आयोजित दूसरी एशियन मिनिट्रियल कांफ्रेंस में भाग लिया। भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित ब्लो–अप प्रदर्शित किए गए। किसानों, डेयरी हेतु उपकरणों, आम उपभोक्ताओं और स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग से संबंधित लघु फिल्में इन प्रदर्शिनियों में दिखाई गयी। प्रदर्शनी देखने वालों को भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित ब्रोशरों को भी वितरित किया गया। विभिन्न विषयों के मानकों पर बनाए गए सीडी–रोम भी बेचे गए।

इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से 'जागो ग्राहक जागो' द्वारा आईएसआई मुहर और स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग का प्रचार अभियान बड़े स्तर पर चलाया गया।

मानकों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ब्यूरो ने मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के 17 विक्रय केन्द्रों के माध्यम से मानकों और विशिष्ट प्रकाशनों का विक्रय कर रहा है। ब्यूरो ने 202 पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की। विदेशी मानकों की बिक्री से प्राप्त कमीशन पिछले वर्ष के रुपये 66.9 लाख की तुलना में इस वर्ष 81.0 लाख अर्जित किया।

सीडी–रोम पर भारतीय मानक उपलब्ध हैं जो लीज़ के लिए विभाग परिषद् के अनुसार सैट के रूप में अथवा संपूर्ण सैट के रूप में उपलब्ध हैं। सीडी–रोम पर उपलब्ध भारतीय मानकों की लीजिंग से पिछले वर्ष के रूपये 278.5 लाख की तुलना में इस वर्ष 251.5 लाख रॉयलटी अर्जित की।

हिंदी गतिविधियाँ

संसदीय राजभाषा समिति ने भारतीय मानक ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली तथा 3 अन्य कार्यालयों यथा मुख्यालय, गाजियाबाद, जमशेदपुर शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान मुख्यालय के नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिसमें करीब 70 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैंठके यथासमय आयोजित करवाई गईं। भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में 10 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के 4 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। उपभोक्ता मामले मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 21 सितम्बर 2007 को कोच्चि में आयोजित बैठक में भाग लिया और उनके निर्णयों पर अनुवती कार्रवाई की। वर्ष के दौरान हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु हिंदी पुस्तक चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया और हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया।

2007 at Lakshmibai Nagar, New Delhi. It participated in 2nd Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction held at New Delhi from 7-8 November 2008. Blow-ups on various activities of BIS were displayed. Short films on Farmers, Dairy equipment, common consumers and Hallmarking of Gold Jewellery were screened during these exhibitions. Brochures on various activities of BIS were also distributed to the visitors. Standards through CD-ROM were also sold on different subjects.

The massive publicity campaign on ISI mark and Hallmarking of Gold Jewellery was also undertaken through "Jago Grahak Jago" through electronic as well as print media.

Sale of Standards and Other Publications

The Bureau is selling Indian Standards and Special Publications through 17 sales outlets at Headquarter, Regional and Branch Offices. Sales are also done through registered booksellers numbering 202. The commission earned on sale of overseas standards was Rs 81.0 lakhs as against Rs.66.9 lakhs last year.

The Indian Standards are also available on CD-ROM, as a complete set or Division-Council-wise sets, for leasing. The royalty received on leasing of Indian Standards on CD-ROM was Rs 251.5 lakhs in comparison to last year figure of Rs 278.5 lakhs.

Hindi Activities

The Parliamentary Committee on Official Language visited Ghaziabad Branch Office and Inspection office at Jamshedpur besides Head Office at Delhi. Two Hindi workshops were organized for Nodal Officers/ staff at BIS Headquarters, New Delhi and NITS, NOIDA where 70 officials participated. During the year, four meetings of Official Language Implementation Committee were organized at Headquarters. Ten Hindi workshops were organized in different Branch offices. Four departments of Headquarters were also inspected. BIS participated in the Ministry's Meeting of the Hindi Advisory Committee on 21 September 2007 at Kochi. Meeting of Hindi Books Selection Committee was also held wherein the planned targets for purchase of Hindi books was met.

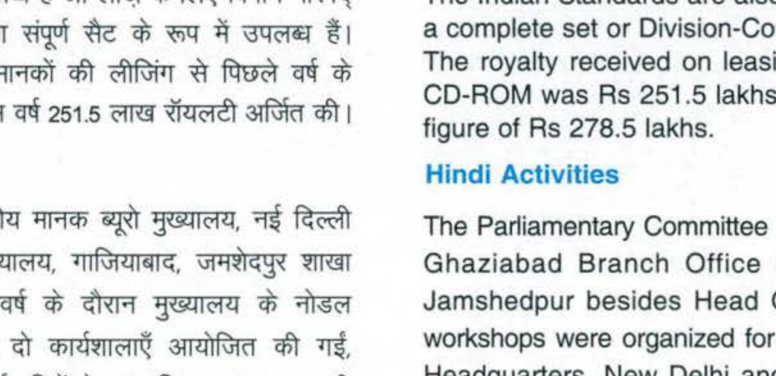

लगभग 280 तकनीकी मानक शीर्षकों का हिंदी अनुवाद किया गया। 40 मानकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। इनमें से 6 मानकों का अनुमोदन तकनीकी समिति ने कर दिया है, 5 मानकों का प्रकाशन हिंदी में किया गया तथा 15 अनूदित मानक प्रेस में हैं। सामान्य अनुवाद के अंतर्गत विश्व मानक दिवस, वार्षिक रिपोर्ट, आंतरिक दूरभाष निर्देशिका, और राजीव गाँधी गुणता पुरस्कार के लगभग 135 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया। हॉलमार्किंग विभाग की 19 स्लाइड हिंदी में तैयार की गई तथा प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित 19 स्लाइड हिंदी में तैयार की गईं। एमओयू के 16 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद, मिलान और संशोधन का कार्य किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रपत्रों, सामान्य अनुवाद संबंधी 470 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया।

विदेशी भाषा एवं प्रकाशन

यह विभाग दो मासिक पत्रिकाओं स्टैण्डर्डस इंडिया (पूर्व में 1949 से प्रकाशित आईएसआई बुलेटिन) तथा 1958 से प्रकाशित स्टैण्डर्डस मंथली एडीशन के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मानकीकरण आंदोलन के प्रचार–प्रसार तथा संवर्द्धन का कार्य करता है। स्टैण्डर्डस इंडिया पत्रिका देश तथा विदेश में मानकीकरण हेतु किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी तथा समीक्षाएँ प्रस्तुत करता है। इस पत्रिका में मानकीकरण तथा संबंधित क्षेत्र में हो रही नवीनतम प्रगति के विषय में विशेषज्ञों द्वारा लिखे लेखों आदि के माध्यम से पाठकों के सामने अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करता है। स्टैण्डर्डस मंथली एडीशन एक लघु प्रकाशन होने के बावजूद हर माह, उस माह के दौरान वर्तमान मानकों से संबंधित सभी संशोधनों, परिवर्तनों तथा नए और मसौदा चरण तक विकसित मानकों के विषय में पाठकों को जानकारी देता है और विदेशों से प्राप्त ऐसी ही सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं।

यह विभाग प्रतिवर्ष बीआईएस कैटलॉग नामक एक कैटलॉग प्रकाशित करता है। इस कैटलॉग की सामग्री को कई शीर्षकों में विभाजित किया जाता है : (क) 31 दिसम्बर तक अद्यतन किए भा मा ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मानक (ख) भारतीय मानकों के रूप में ग्रहण किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक, (ग) हिंदी में (अनूदित) भारतीय मानक, (घ) विशेष प्रकाशन, संदर्भ और गणना सहायक सामग्री, (ङ) सभी प्रकाशनों संबंधी विषय–सूची।

भा मा ब्यूरो के पास इन सभी प्रकाशनों का प्रतिलिप्याधिकार होता है। भारतीय मानकों के सार संक्षेप को उद्धृत करने के अनुरोध इस विभाग को भेजे जाते हैं। यह विभाग आईएसओ/जीईएन 19 : 1999 'गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग कोपीराइट एक्सप्लायटेशन राइट्स टू थर्ड पार्टीज फॉर आईएसओ स्टैण्डर्डस इन बुकस' में निर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित गणनाओं तथा तकनीकी सत्यापन के बाद आवेदक से प्रतिलिप्याधिकार प्रभार का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् इसकी अनुमति देता है।

यह विभाग विभिन्न विदेशी भाषाओं के तकनीकी प्रलेखों, मानकों और अन्य सामग्री का अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से फ्रेंच और जर्मन भाषा में अनुवाद हेतु अनुवाद सेवाएँ उपलब्ध कराता है। अन्य विदेशी भाषाओं तथा भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य हेतु एक अनुवादक पैनल भी बनाया गया है। अनुवाद हेतु विभिन्न तकनीकी समितियों और उद्योगों से समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। यह विभाग जर्मन और फ्रेंच भाषा बोले जाने वाले देशों के साथ इंटरएक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

During the year, 280 standards titles were translated. Besides, the translation panel considered 40 standards for translation. Of these, six translated finalized draft Indian standards have been approved by the technical committee, five standards have been published in Hindi. 15 translated standards are under print. About 135 pages of translation work like Annual report, World Standards Day documents, different regulations, internal telephone directory, RGNQ awards documents, MoU related documents. 19 slides each from Hallmarking department and enforcement department were translated in Hindi. 470 pages of Press Notes, Advertisements, Tenders, Letters, notes were translated, vetted, typed, compared and correction work was done on urgent basis.

Foreign Languages and Publications

The department handles the projection and promotion of the standardization movement in scientific, technical, industrial and business circles through two monthly journals - Standards India, the erstwhile ISI Bulletin which dates back to 1949, and Standards Monthly Additions, which was started in 1958. Standards India presents a stimulating commentary and review of the standardization effort at home and abroad. Highlighting as it does the very latest progress in the field, spiced with thought provoking critical comments; it has established itself in the field as a magazine of repute. The Standards Monthly Additions is a small but sleek publication recording all amendments, alterations and information regarding standards, new, existing or in the draft stage issued at home or received from abroad during the month.

A catalogue containing titles of (a) Indian Standards published by BIS updated up to the 31st December, (b) International Standards adopted as Indian Standards, (c) Indian Standards in Hindi (translation), (d) Special publications, reference and calculation aids, and (e) Index corresponding to all publications listed in the catalogue is published annually by the department.

BIS has the copyright of all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are forwarded to the department. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from ISO/GEN 19 : 1999 `Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', the department grants permission to the applicant on payment of the copyright charges.

Translation services are provided by the department for translation of technical documents, standards and other material from various foreign languages into English and from English into French and German. A panel of translators is also available for translation of other Foreign and Indian languages into English and *vice-versa*. Regular requests are received from various technical committees as well as from the industry. The department also facilitates interaction with countries where German or French language is spoken.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा मा ब्यूरो एक उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है, जिसका नियंत्रण *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उपनियमों द्वारा किया जाता है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई मुहर के नाम से लोकप्रिय) की उपस्थिति संबद्ध भारतीय मानक के साथ इसकी अनुरूपता प्रदर्शित करती है। किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पहले भा मा ब्यूरो विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और सतत रूप से संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद की जाँच करता है। उत्पादन स्थल और बाज़ार से नमूने लिए जाते हैं तथा संबद्ध भारतीय मानक के प्रति उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए स्वतन्त्र प्रयोगशाला से उनकी जाँच कराई जाती है।

प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक किस्म की है, परंतु उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली तथा आम उपयोग की बहुत सी वस्तुओं को भा मा ब्यूरो अधिनियम और सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक उपायों जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, ईसी अधिनियम, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नवजात शिशुओं हेतु दूध विकल्प सामग्री, दूध पिलाने की बोतल और नवजात शिशु हेतु खाद्य सामग्री अधिनियम आदि के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया है। कुछ वस्तुओं को अनिवार्य प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाया गया है, यथा एलपीजी सिलेण्डर, दूध पाउडर, संघनित दूध, नवजात शिशुओं के लिए धान्य आधारित खाद्य सामग्री, डाक्टरी थर्मामीटर, पैकेजबंद पेयजल और प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी, निमज्जय वाटर हीटर, केबल, बल्ब, सर्किट ब्रेकर, ऊर्जा मीटर, शुष्क बैटरियाँ, इस्पात के पाइप, तेलदाब स्टोव, एक्सरे उपकरण, दूध पिलाने वाली प्लास्टिक की बोतल, डीजल इंजन, सीमेंट, इस्पात और इस्पात के उत्पाद (17 वस्तुएँ) आदि।

वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना में काफी वृद्धि हुई। इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में 2436 लाइसेंस (हॉमार्किंग को छोड़कर) स्वीकृत किए गए (*देखें* आकृति 2)। इन स्वीकृत लाइसेंसों में वे 11 उत्पाद शामिल है जिन्हें पहली बार प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया, यथा पैथोलॉजिकल कार्य के लिए काँच की नलियाँ, 5 प्रतिशत दानेदार क्विनालफॉस, पॉलीएस्टर स्ट्रेपिंग, प्रेटीलाक्लोर ईसी 50 प्रतिशत, आंशिक रूप से मक्खन निकला दूध पाउडर, उपभोक्ता माल हेतु सिंथेटिक

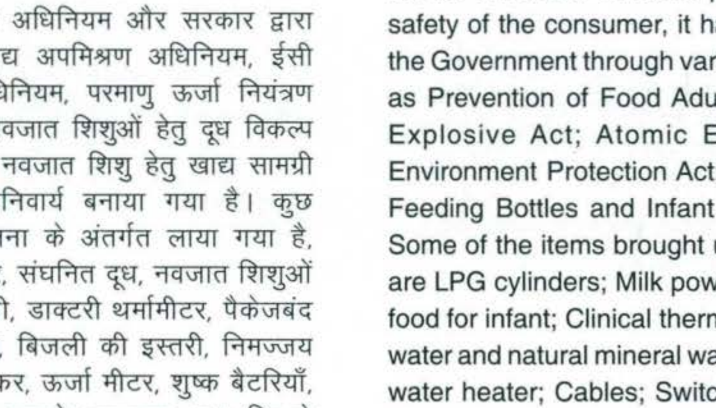

आकृति 2 भा मा ब्यूरो द्वारा स्वीकृत उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस

***Fig.* 2 BIS Product Certification Licences Granted**

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a Product Certification Scheme, which is governed by the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and Rules and Regulations framed thereunder. Presence of Standard Mark (Popularly known as ISI mark) on product indicates conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian Standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The Certification Scheme is basically voluntary in nature but for a number of items primarily affecting health and safety of the consumer, it has been made mandatory by the Government through various statutory measures such as Prevention of Food Adulteration Act; EC Act; Indian Explosive Act; Atomic Energy Regulation Board; Environment Protection Act; The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food Act; besides BIS Act. Some of the items brought under mandatory certification are LPG cylinders; Milk powder; Condensed milk; Cereal food for infant; Clinical thermometers; Packaged drinking water and natural mineral water; Electrical iron; Immersion water heater; Cables; Switches; Bulbs; Circuit breakers; Energy meters, Dry batteries; Steel tubes; Oil pressure stoves; X-ray equipment; Plastic feeding bottles, Diesel engine, Cement; Steel and Steel products (17 items) etc.

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during the current year where 2436 new licences (excluding Hallmarking) were granted (*see* Fig.2), which includes 11 products covered for the first time under the scheme. These products are Glass tube for pathological works; Quinalphos 5 percent Granules; Polyester strapping; Pretilachlor EC 50 percent; Partially skimmed milk powder; Fasteners for consumer goods synthetic hook and loop tape; Follow-

हुक एवं लूपटेप के लिए फास्टनर, पूरक खाद्य सामग्री के लिए फालो–अप फार्मूले, क्रॉसलिंक्ड पॉलीएथलीन रोधित थर्मोप्लास्टिक का खोल चढ़ी केबल, विशिष्ट प्रकार के वेष्टन तार, खड़ंजे हेतु पहले से ढले कंक्रीट के ब्लॉक।

भा मा ब्यूरो प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत लाए गए भारतीय मानकों की कुल संख्या 1010 है।

31 मार्च 2008 को प्रचालित लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 20025 हो गई (*देखें* आकृति 3)।

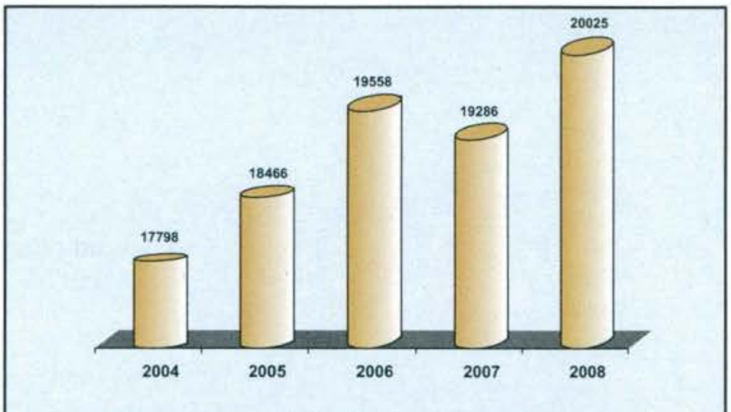

आकृति 3 लागू लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च के अनुसार)

***Fig.* 3 Number of Operative Licences (as on 31 March)**

up formulae complimentary food; Crosslinked polyethylene insulated thermoplastic sheathed cables; Particular types of winding wires; Precast concrete blocks for paving.

The total number of Indian Standards which have been covered under BIS Certification Marks Scheme are 1010.

The total number of operative licences as on 31 March 2008 rose to 20025 (*see* Fig. 3).

प्रमाणन योजना के अंतर्गत प्रचालित लाइसेंस/आवेदकों का आकलन

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के लिए वर्ष के दौरान 30658 निरीक्षण दौरे किए गए और स्वतन्त्र परीक्षण के लिए 28360 नमूने लिए गए। श्रम शक्ति संबंधी बाधाओं के कारण, भा मा ब्यूरो ने निगरानी निरीक्षण का कार्य बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स किया है, एजेंटों को नियुक्त किया गया है और उनके साथ करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। आशा है कि इससे लाइसेंसधारियों को बेहतर सेवा मिलेगी तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

In order to monitor the operation of licences, a total number of 30658 inspection visits were organized during the year and 28360 samples were drawn for independent testing. Due to the constraint of man power, BIS has outsourced the surveillance inspections to the outside agencies. Agents have been appointed and agreement has been signed with them. Training has been imparted and detailed guidelines have been issued. By this, it is expected to provide better services to the licensees and protect consumer's interest.

प्रमाणन योजना के प्रचालन की समीक्षा

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंसधारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष 2007–08 में लाइसेंसधारियों के साथ 20 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में पीवीसी पाइप, घरेलू प्रेशर कुकर, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, संधारित्र, वस्त्रादि उत्पाद, सूती बनियानें और सूती धागा, बिजली के घरेलू फूड मिक्सर, केबल, सीलिंग फैन और रेगुलेटर, ढलवाँ लोहे के वाल्व, पटसन के कट्टे, ऑटो में लगने वाले एलपीजी कंटेनर, इस्पात और इस्पात उत्पाद आदि विषय शामिल थे।

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are organized on a regular basis. In 2007-08, 20 review meetings with licensees were organized covering the areas of PVC Pipe, Domestic Pressure Cooker, Wood & Wood Products, Capacitors, Textile Products, Cotton Vest and Cotton Yarn, Domestic Electrical Food Mixer, Cable, Ceiling Fans and Regulators, Cast Iron Valves, Jute Bag, Auto LPG Containers, Steel and Steel Products.

आयातित उत्पादों का प्रमाणन

वर्ष 1999 से भा मा ब्यूरो द्वारा आयातित वस्तुओं के प्रमाणन के लिए दो योजनाओं का प्रचालन किया जा रहा है एक विदेशी विनिर्माताओं के लिए और दूसरी

Certification of Imported Products

BIS is operating two schemes for certification of imported goods, one for foreign manufacturers and the other for Indian

भारतीय आयातकों के लिए। इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी उत्पादक भारतीय मानक की विशिष्टि के अनुरूप वाले किसी भी उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो में लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकता है। भारतीय आयातक आयात किए जा रहे उत्पाद पर भा मा ब्यूरो की मानक मुहर लगाने के लिए प्रमाणन हेतु आवेदन कर सकता है। वर्ष के दौरान ऐसे 43 उत्पादों हेतु लाइसेंस स्वीकृत किए गए। सीमेंट, केबल तथा चालक, स्विच गियर, टायर, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतल आदि वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाइलैंड तथा स्पेन को विदेशी विनिर्माता स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किए। इस योजना के अंतर्गत कुल लाइसेंसों की संख्या 106 हो गई। भारतीय आयातक योजना के अंतर्गत भी एक लाइसेंस स्वीकृत किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योजनाएँ

आईईसी की अनुरुपता आकलन योजनाएँ

आईईसी द्वारा विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के तीन विश्वव्यापी अनुरूपता आकलन योजनाओं, यथा आईईसीईई – सीबी, आईईसीक्यू तथा आईईसीईएक्स योजनाओं का प्रचालन करता है।

i) आईईसीईई–सीबी योजना

आईईसीईई–सीबी योजना के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों हेतु एनसीबी के रूप में भा मा ब्यूरो और एसटीक्यूसी सदस्य निकाय है।

ii) इलैक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए आईईसी गुणता आकलन पद्धति (आईईसीक्यू)

भारत में प्रचालित इस पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित संगठन शामिल हैं:

क) **भा मा ब्यूरो** – देश में पद्धति के प्रबंध का दायित्व भा मा ब्यूरो पर है। राष्ट्रीय अधिकृत संस्थान (एनएआई) के रूप में और मानकों के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय मानक संगठन (एनएसओ) के रूप में कार्य करता है।

ख) **एसटीक्यूसी निदेशालय** – मूल्यांकन और निगरानी का दायित्व एसटीक्यूसी पर है जो राष्ट्रीय निरीक्षणालय (एनएसआई) के रूप में कार्य करता है।

ग) **एनपीएल तथा एसटीक्यूसी की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ** – ये राष्ट्रीय अंशशोधन सेवा (एनसीएस) प्रदान करते हैं जो पद्धति को अंशशोधन में सहायता देता है।

इस पद्धति के अंतर्गत एनएआई द्वारा विनिर्माता, वितरकों तथा प्रयोगशालाओं को एनएसआई द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। अनुमोदन प्रदान करने के बाद एनआईएस द्वारा इन इकाइयों के निरीक्षण दौरे भी किए जाते हैं। प्रचालन का समग्र नियंत्रण भारतीय राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था विवरण द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक शामिल संगठन के कार्यों का विवरण देने के साथ भारत में अपनाई जाने वाली अनुमोदन की पद्धति भी प्रदान करता है।

importers since the year 1999. Under the provisions of this scheme, foreign manufacturers can seek certification from BIS for marking their product with BIS Standard Mark and Indian importers can also seek BIS certification for applying BIS Standard Mark on the product being imported into the country. During the year, 43 licences were granted for products such as Cement, Cables and conductors, Switchgears, Tyres, Plastic Feeding Bottles in countries like, Pakistan, China, Nepal, Bangladesh Thailand and Spain taking the number of total licences in operation under Foreign Manufacturers Scheme to 106. One licence was also granted under the Indian Importer Scheme.

INTERNATIONAL SCHEMES

Conformity Assessment Schemes of IEC

IEC operates mainly 3 world wide conformity assessment schemes for electrical and electronic products, namely IECEE-CB, IECQ and IEC Ex Schemes.

i) IECEE-CB Scheme

BIS is a member body under the IECEE-CB scheme with STQC as NCB for Electronic and Information Technology products.

ii) IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

Under this scheme, presently operated in India, the following organizations are involved:

a) **BIS** – Acts as National Authorized Institution (NAI) having overall responsibility of managing the system in the country and National Standards Organization (NSO) for formulation of standards.

b) **STQC Directorate** – Acts as National Supervising Inspectorate (NSI) having responsibility of appraisal and surveillance.

c) **NPL and Regional Laboratories of STQC** – Act to provide National Calibration Services (NCS) which provides calibration support to the system.

Under this system, approvals are granted by NAI to manufacturers, distributors and laboratories on the basis of appraisal done by NSI. After the approval is granted, surveillance visits are also paid to these units by NSI. Overall system of operation is governed by Indian National Statement of Surveillance Arrangements which provides details of functions of each organization involved and also the system of the approval followed in India.

iii) विस्फोटक वातावरण के लिए विद्युत उपकरणों हेतु मानकों के प्रमाणन की आईईसी ईएक्स योजना (आईईसी ईएक्स)

इस योजना के अंतर्गत भा मा ब्यूरो को राष्ट्रीय सदस्य निकाय के रूप में स्वीकार किया गया है।

स्वर्ण / रजत आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

हॉलमार्किंग योजना में प्रगति

अप्रैल 2007 से मार्च 2008 के दौरान सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाई गई इस स्कीम के कार्यान्वयन से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिनांक 31 मार्च 2007 को स्वर्णाभूषणों के लाइसेंसों की संख्या 3466 से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 5403 हो गई। इस अवधि के दौरान औसतन 161 लाइसेंस प्रतिमाह स्वीकृत किए गए। प्रतिमाह हॉलमार्क किए गए आभूषणों / वस्तुओं की संख्या पिछले वर्ष 7.89 लाख प्रतिमाह की तुलना में बढ़कर 14.3 लाख प्रतिमाह हो गई। भा मा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 45 (31 मार्च 2007 को) से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 51 हो गई।

रजत आभूषणों / वस्तुओं के लिए लाइसेंसों की संख्या 31 मार्च 2007 को 242 की तुलना में 31 मार्च 2008 को बढ़कर 405 हो गई।

केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण आकलन / आभूषणों के हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना का कार्यान्वयन

23 अक्टूबर 2007 को सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस स्कीम को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रु. 10.50 करोड़ के आउटले सहित चालू रखने का अनुमोदन किया गया।

केन्द्र सरकार की सहायता से इस योजना के अंतर्गत मेरठ, लुधियाना, कोट्टयम, जबलपुर, विजयवाड़ा, मदुरै में एक–एक तथा सेलम में दो एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की गई। इस अवधि के दौरान भा मा ब्यूरो ने ठाणे और चंडीगढ़ में एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों को मान्यता प्रदान की।

शिल्पकारों को प्रशिक्षण

इस अवधि के दौरान शिल्पकारों को हॉलमार्किंग की अवधारणा से अवगत कराने, टॉका सही लगाने की विधि और आभूषण विनिर्माण में उत्तम उत्पादन रीतियों के प्रयोग के विषय में जानकारी देने के

iii) IEC Ex Scheme for Certification to Standards for Electrical Equipments for Explosive Atmospheres (IEC Ex)

Under this scheme, BIS has been accepted as a National Member Body.

HALLMARKING SCHEME OF GOLD/SILVER JEWELLERY

Progress of Hallmarking Scheme

With the implementation of the simplified and rationalized scheme for Hallmarking, the Scheme has significantly grown during the period April 2007 to March 2008. The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 3466 on 31 March 2007 to 5403 as on 31 March 2008. An average of 161 licences per month was granted during this period. 171.66 lakh articles of gold jewellery/ artefacts have been hallmarked during this period. Average quantity hallmarked per month has grown to 14.3 lakh/month during this year from 7.89 lakh/ month in the previous year. During this period, the number of BIS recognized assaying and hallmarking centres has increased from 45 (as on 31 March 2007) to 91 as on 31 March 2008.

The number of silver licences for Hallmarking of silver jewellery/artefacts has grown from 242 on 31 March 2007 to 405 as on 31 March 2008.

Implementation of the Scheme for Setting up of Gold Assaying / Hallmarking Centres in India with Central Assistance

The Scheme has been approved for its continuation under the 11th Five Year Plan with an outlay of Rs. 10.50 crore at a meeting of the Standing Finance Committee held under the Chairmanship of Secretary (CA) on 23 October 2007.

Under the Government Scheme for Central Assistance for creating infrastructure, 11 Centres, one each at Meerut, Ludhiana, Mysore, Kottayam, Jabalpur, Vijayawada, Madurai, Salem (2 numbers), Thane and Chandigarh have been recognized by BIS during this period.

Training for Artisans

During this period five training programmes for artisans were organized at Mumbai (2 numbers), Raipur, Kolkata, Mysore, Trichur, Surat, Chennai, Coimbatore and Delhi, to make artisans aware of the concept of

लिए मुम्बई में (दो) तथा रायपुर, कोलकाता, मैसूर, त्रिचूर, सूरत, चैन्नई, कोयम्बतूर और दिल्ली में एक–एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हॉलमार्किंग के विषय में प्रचार

देश में स्वर्ण आभूषणों के व्यापार में प्रभावी उपभोक्ता सुरक्षा के लिए हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा 57 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भा मा ब्यूरो ने 28 जुलाई 2007 को नई दिल्ली में एसोचेम के साथ सहप्रायोजित करके तृतीय अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। हॉलमार्किंग योजना के लाभों के प्रति उपभोक्ताओं / स्वर्णाभूषणों के निर्माताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए देशभर के अखबारों में 170 विज्ञापन जारी किए गए।

भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यवान धातुओं की हॉलमार्किंग) विनिमय का मसौदा

हॉलमार्किंग योजना को कानूनी समर्थन देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यवान धातुओं की वस्तुओं की हॉलमार्किंग) विनियम का मसौदा तैयार किया गया और कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन कराने के बाद इसे सरकार (उपभोक्ता मामले मंत्रालय) के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया। मंत्रालय में चर्चा की गई, चर्चा के आधार पर विनियमों का संशोधित मसौदा सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया।

मूल्यवान धातुओं के नियंत्रण तथा मुहरांकन हेतु वियेना समझौते पर आरोहण

भारतीय स्वर्णाभूषणों को विश्वभर में मान्यता दिलाने के उद्देश्य से वियेना समझौते पर आरोहण हेतु सरकार के अनुमोदन के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा उपभोक्ता मंत्रालय के पास भेजा।

यूरोपियन एस्से ऑफिस (एईएओ) की सदस्यता

भारतीय मानक ब्यूरो ने वियेना समझौते के निर्देशों के अनुरूप काम करने वाली एईएओ की सदस्यता हेतु एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के अनुमोदन हेतु उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा। इसकी सदस्यता से 'राउंड रोबिन टेस्टों' में भाग लेने तथा अन्य सदस्यों के साथ तकनीकी सहयोग में सहायता मिलेगी।

Hallmarking, use of correct solders and good manufacturing practices in jewellery making.

Publicity about Hallmarking

To promote Hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, 57 awareness programmes for jewellers were organized by various Regional and Branch offices across the country. BIS also co-sponsored the 3rd International Gold Summit organized by ASSOCHAM in New Delhi, on 28 July, 2007. 170 advertisements were released in various newspapers across the country for spreading awareness among the consumers / jewellers about the benefits of Hallmarking scheme.

Draft Bureau of Indian Standards (Hallmarking of Precious Metal Articles) Regulations

To provide a legal back up to Hallmarking, Draft Bureau of Indian Standards (Hallmarking of Precious Metal Articles) Regulations were got approved by the BIS Executive Committee and sent to the Government (Ministry of Consumer Affairs). Based on further discussions held in Ministry, modified Draft Regulations have been sent again to Government for approval.

Accession to Vienna Convention on Control and Marking of Precious Metals

In order to get further recognition to the Indian Jewellery exported world over, a draft cabinet note was sent to Ministry of Consumer Affairs for seeking Government approval for accession to Vienna Convention.

Membership of Association of European Assay Office (AEAO)

The proposal for BIS to become the member of the AEAO which functions on the sidelines of Vienna Convention has also been sent to Ministry of Consumer Affairs, Government of India for approval of the Government. This membership would help India in technical cooperation with other members and participation in 'Round Robin Tests'.

अनिवार्य हॉलमार्किंग हेतु भा मा ब्यूरो अधिनियम में परिवर्तन

स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाने के लिए *भा मा ब्यूरो अधिनियम,* 1986 में संशोधन हेतु प्रस्ताव एक कैबिनेट नोट के साथ उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भेजा।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने प्रबंध पद्धतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा :

क) आईएस/आईएसओ 9001 : 2000 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

ख) आईएस/आईएसओ 14001 : 2000 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना।

ग) आईएस/आईएसओ 15000 : 1998 के अनुसार खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) योजना।

घ) आईएस/आईएसओ 18001 : 2000 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएंडएसएमएस) प्रमाणन योजना।

ङ) आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना।

च) आईएस/आईएसओ 15700 : 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना।

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना सितम्बर 1991 में *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 के अधीन शुरू की गई थी। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 अनुरूपता – प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट करने वाले और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रचालित की जा रही है।

1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक 73 क्यूएमएस प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2008 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 1161 हो गई। स्वीकृत किए गए लाइसेंसों में बैंकिंग सेक्टर, रसायन, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरी सेवाएँ, स्वास्थ्य सैक्टर, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, मशीनरी, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, वस्त्रादि, दूरसंचार, यातायात, लकड़ी आदि औद्योगिक सैक्टर शामिल है।

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भारतीय मानक ब्यूरो आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना का प्रचालन कर रहा है। वर्ष के दौरान 16 नए ईएमएस लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप बिजली घर, वैमानिकी उद्योग, परमाणु बिजली घर, वस्त्रादि, सीमेंट, निर्माण, विद्युत और दूरसंचार

Amendment to BIS Act for Mandatory Hallmarking

For bringing Hallmarking of gold jewellery under mandatory certification, proposal for Amendment to *BIS Act*, 1986 was sent along with a draft cabinet note to Ministry of Consumer Affairs.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Certification services as per the corresponding standards for management systems:

a) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001 : 2000.

b) Environmental Management System (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001 : 2000.

c) Hazards Analysis & Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000 : 1998.

d) Occupational Health & Safety Management System (OH&SMS) Certification Scheme as per IS 18001 : 2000.

e) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000 : 2005.

f) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700 : 2005.

Quality Management Systems Certification Scheme

BIS Quality Management Systems Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991 under the provisions of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. The Scheme is being operated in accordance with standard ISO/IEC 17021 "Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems".

73 QMS Certification licences were granted during 1 April 2007 to 31 March 2008 making a total of operative licences to 1161 as on 31 March 2008 covering industrial sectors such as banking sector, chemicals, cement, construction, dairy plants, education, electricity generation, engineering services, health sector, insurance, information technology, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, telecommunications, transport, wood, etc.

Environmental Management Systems Certification Scheme

The Environmental Management Systems Certification Scheme launched by BIS as per IS/ISO 14001. It is operated as per International criteria laid down in ISO/IEC Guide 66. During the period, 16 EMS new licenses have been granted making a total of operative licenses to 131 as on 31 March 2008. These licenses cover technology areas like integrated

केबल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक, औद्योगिक एवं विस्फोटक रसायन, रेल डिब्बा वर्कशॉप, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, खनन आदि प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

व्यवसाय में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने जनवरी 2003 में आईएस 18001 : 2000 के अनुसार ओएचएंडएसएमएस प्रमाणन योजना शुरू की थी, जिसमें किसी की संगठन कानूनी आवश्यकताओं और खतरों तथा जोखिमों के बारे में सूचना को ध्यान रखते हुए जिन्हें संगठन नियंत्रित कर सकता है और अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों, जिनका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा इनके कार्यकलापों से प्रभावित होता है, के लिए नीति तथा लक्ष्य परिभाषित कर सकता है, योजना बना सकता है और प्रबंध कर सकता है। वर्ष के दौरान 6 ओएचएंडएसएमएस लाइसेंस प्रदान किए। इस प्रकार 31 मार्च 2008 को कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 35 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप बिजलीघर, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस आधारित बिजलीघर, स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारी विकास केन्द्र जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस 18001 ऐसा पहला राष्ट्रीय मानक है, जो विश्वव्यापी स्तर पर प्रमाणन योजना के अंतर्गत है। अब मानक का पुनरीक्षित संस्करण आईएस 18001 : 2007 के रूप में तैयार किया गया है। इसे वर्तमान लाइसेंसधारियों और आवेदकों के लिए 1 जनवरी 2008 से कार्यान्वयन हेतु राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा गया है। पुराने मानक के स्थान पर पुनरीक्षित मानक के अनुपालन हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) प्रमाणन योजना

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) खाद्यान्न उत्पादन में सूक्ष्मजीवी तथा अन्य जोखिमों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति है। एचएसीसीपी का उपयोग पूरी खाद्यान्न श्रृंखला यानि उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक किया जा सकता है और यह योजना आईएस 15000 : 1998 'खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान – एचएसीसीपी पद्धतियाँ तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों' पर आधारित है जो तकनीकी रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टेण्डर्ड एलीनार्म – 97/13ए के समकक्ष है। 31 मार्च 2008 को एचएसीसीपी एकीकृत' गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के तहत 64 कम्पनियाँ प्रचालित थीं। प्रमाणन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया गुणता पद्धति प्रमाणन योजना की प्रक्रिया जैसी है। यह योजना निर्यातकों को खाद्य तथा खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में विशेष रूप से अमेरिका तथा यूरोपीय देशों हेतु निर्यात के मामलों में मदद करेगी।

खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन प्रारंभ किया है। यह पद्धति खाद्य श्रृंखला के अंदर आने वाले सभी संगठनों को खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति के

steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power stations, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railway wagon workshops, pharmaceuticals, machinery, mining etc.

Occupational Health & Safety Management Systems Certification Scheme

BIS launched OH&SMS certification as per IS 18001 : 2000, in January 2003, which essentially enables an organization to define, plan and manage a policy and objectives, taking into account legislative requirements and information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the period, 6 OH&SMS licenses have been granted making a total of operative licences to 35 as on 31 March 2008. The licences cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centre.

The standard IS 18001 formulated by BIS, is the first National standard world wide on the subject which is amenable to certification. The standard has since been revised to IS 18001 : 2007 and has been sent for Gazette Notification for its implementation w.e.f. 1 January 2008 for the existing licences and applicants, a transition plan has also been prepared for changeover to the revised standard.

Hazard Analysis and Critical Control Point Certification Scheme

Hazard Analysis and Critical Control Point is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazards in food production. HACCP can be applied throughout the food chain from primary producer to final consumer. This scheme is based on IS 15000 : 1998 'Food Hygiene – HACCP Systems and Guidelines' which is technically equivalent to the Codex Alimentarious Commission Standard, ALINORM – 97/13A, the International Standard on the subject. Under the HACCP Integrated Quality Management Systems Certification Scheme 64 licences were operative as on 31 March 2008. The process followed for certification is similar to the process of QMSCS. This scheme helps the exporters in the field of food and food products especially for export to the countries like USA and European countries.

Food Safety Management Systems Certification Scheme

BIS has launched Food Safety Management System as per IS/ISO 22000 : 2005. This system is designed to allow all types of organizations within the food chain to implement

कार्यान्वयन की अनुमति देती है। एफएसएमएस के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होंगे :

क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादों की बढ़ी हुई स्वीकार्यता।

ख) उत्पादों/सेवा की जिम्मेदारी के दावों के खतरों में कमी।

ग) ग्राहकों हेतु संविदा अपेक्षाओं में संतुष्टि।

घ) खाद्य उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करना।

ङ) अधिक स्वास्थ्य संरक्षण।

च) अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनियामक अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता प्रदर्शन।

छ) खाद्य निरापदता से संबंधित वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं को लागू करने में सहायता करना।

ज) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।

31 मार्च 2008 को भा मा ब्यूरो में एफएसएमएस के अंतर्गत 8 आवेदन प्राप्त हुए, जो लाइसेंस देने की प्रक्रियाएँ हैं।

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना अप्रैल 2007 में प्रारंभ की। यह मानक आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धति – लोक सेवा संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवा हेतु अपेक्षाएँ' पर आधारित है। यह मानक निम्नलिखित तीन मुख्य बातों पर आधारित है :

- परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करना।
- दी जाने वाली सेवाएँ, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया और उसके नियंत्रण तथा प्रदान करने की अपेक्षाओं की पहचान करना।
- शिकायत निपटान की प्रभावी प्रक्रिया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान एसक्यूएमएस प्रमाणन के अंतर्गत दो आवेदन प्राप्त हुए।

भा मा ब्यूरो प्रबंध पद्धति प्रमाणन का प्रत्यायन

आरवीए द्वारा क्यूएमएस योजना का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन को 23 प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए राड वूर एक्रेडिटेटी (आरवीए), नीदरलैंड द्वारा प्रत्यायित किया गया है। निर्दिष्ट अपेक्षाओं के पालन की पुष्टि के लिए आरवीए द्वारा इस योजना का नियमित ऑडिट किया जाता है। आरवीए द्वारा पुनः आकलन के आधार पर आरवीए के प्रत्यायन का अक्टूबर 2009 तक नवीकरण किया गया है। इस अवधि के दौरान आरवी ने भा मा ब्यूरो की क्यूएमएस प्रमाणन योजना का निगरानी मूल्यांकन किया, जिसमें गवाह–ऑडिट भी शामिल है।

a food safety management system. Implementation of FSMS would help to achieve the following benefits:

a) Increased international acceptance of food products.

b) Reduces risk of produce/service liability claims.

c) Satisfies customer contractual requirements.

d) Ensures safety of food products.

e) Greater health protection.

f) Demonstrates conformance to international standards and applicable regulatory requirements.

g) Helps to meet applicable food safety related statutory and regulatory requirements;

h) Ensures to compete effectively in national and international markets

As on 31 March 2008, BIS had received 8 applications for FSMS which were under process.

Service Quality Management Systems Certification Scheme

The BIS Service Quality Management Systems Certification has been launched during April 2007. This is based on the Indian Standard on Service Quality by Public Service Organizations, namely IS 15700 : 2005, 'Quality Management Systems – Requirements for Services Delivery by Public Service Organizations'. This standard focuses mainly on the following 3 key elements:

- Formulation of a realistic Citizen's Charter through a consultative process.
- Identification of services rendered, service delivery processes, their control and delivery requirements.
- An effective process for complaints handling.

During the period, 2 applications for SQMS certification have been received.

Accreditation of BIS Management Systems Certification Schemes

Accreditation of QMS by RvA

BIS Quality Management Systems Certification has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 23 major economic sectors. The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. Based on the reassessment by RvA, the accreditation has been renewed by RvA up to October 2009. During the period, RvA carried out surveillance assessment of BIS QMS certification scheme, which also included witness audits.

BUREAU OF INDIAN STANDARDS 4165 (MI) Date 01-6-2010

भा मा ब्यूरो द्वारा आईएसओ/ईसी मार्गदर्शिका 62 के स्थान पर आईएसओ/ईसी 17021 के अनुपालन हेतु बदलाव प्रक्रिया के लिए आरवीए ने सहमति प्रदान की है।

RvA also agreed with the switch over process taken by BIS from ISO/IEC Guide 62 to ISO/IEC 17021 and granted accreditation as per ISO/IEC 17021.

प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं का संवर्धन

विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए भा मा ब्यूरो ने 15 जानकारी कार्यक्रम आयोजित किए तथा विभिन्न संगठनों में इस विषय पर प्रस्तुतीकरण किया। ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए इस अवधि के दौरान प्रबंध पद्धति योजना हेतु 3 समीक्षा बैठकें आयोजित कीं।

Promotion of Management Systems Certification Scheme

For the promotion of various Management Systems Certification (MSC) schemes, 15 appreciation programmes were conducted and presentations were also made in various organizations. In order to obtain feedback from the clients, 3 review meetings of Management Systems were also conducted during the period.

प्रबंध पद्धति प्रमाणन हेतु मानक मुहर

भा मा ब्यूरो द्वारा प्रचालित की जा रही विभिन्न प्रमाणन योजनाओं हेतु मानक मुहर को राजपत्र में प्रकाशन के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया।

Standard Marks for Management Systems Certification

Through a Gazette Notification, Standard Marks have been prescribed for different Management Systems Certification Schemes being operated by BIS.

भा मा ब्यूरो ऑडिटर

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं (क्यूएमएस/ईएमएस/ओएचएस/एचसीसीपी/एफएसएमएस) के अंतर्गत 41 ऑडिट करने वाले कार्मिकों (भा मा ब्यूरो ऑडिटर, उप–ठेकेदार और विशेषज्ञ) को पंजीकृत किया गया। कुल मिलाकर भा मा ब्यूरो के पास भा मा ब्यूरो के 250 ऑडीटर उपलब्ध है।

BIS Auditors

During the period, 41 auditing personnel (BIS auditors, sub-contractors and experts) have been registered as auditors under various Management Systems Certification Schemes (QMS/EMS/OHS/HACCP/FSMS). Overall, there are 250 BIS auditors available with BIS.

प्रलेखन

आसानी से और तेजी से ऑडिट करने और उसकी रिपोर्ट लिखना आसान बनाने हेतु प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनेकों प्रलेखों को संशोधित करके सरल बनाया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख निम्नलिखित हैं :

i) सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन का ऑडिट करने हेतु फॉरमेट
ii) सभी योजनाओं के लाइसेंस प्रलेखों को संशोधित द्विभाषी (हिंदी–अंग्रेजी) बनाना
iii) आडिट किट
iv) संविदा समीक्षा और आवेदन के औचित्य निर्धारण हेतु चैकलिस्ट
v) ऑडिट रिपोर्ट, प्रारंभिक (प्रमाणन)/नवीकरण
vi) अन–अनुरूपता रिपोर्ट (एनसीआर)
vii) सभी योजनाओं के लिए ऑडिट योजना मैट्रिक्स
viii) सभी योजनाओं के लिए चैकलिस्ट

Documentation

A large number of documents of Management Systems Certification have been revised and simplified to facilitate smoother and faster auditing and reporting. Some important examples are:

i) Formats for auditing Service Quality Management System
ii) Licence document for all Schemes revised making it bilingual (Hindi & English)
iii) Auditor's Kit
iv) Checklist for contract review and adequacy of application
v) Initial (Certification)/Renewal Audit Report
vi) Non-conformity Report (NCR)
vii) Audit Plan Matrix for all Schemes
viii) Checklist for all Schemes

प्रवर्तन गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर (आईएसआई मुहर) की गुणतापूर्ण उत्पादों के प्रति झुकाव रखने वाले उपभोक्ताओं के बीच एक अच्छी छवि है, इसलिए उपभोक्ता और संगठित क्रेता गैर–आईएस उत्पादों की तुलना में आईएस मुहर वाले उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती मांग के साथ आईएसआई मुहर के दुरुपयोग की घटनाएँ भी बढ़ रही है, क्योंकि धोखेबाज विनिर्माता बिना भा मा ब्यूरो

ENFORCEMENT ACTIVITIES

The BIS Standard Mark (ISI Mark) has a good brand image as the consumer is inclined towards quality products. Therefore, the consumer as well as the organized purchaser is giving preference to the ISI marked products over non-ISI products. With the growing demand of ISI marked products, the instance of misuse of ISI Mark is also on the rise as the unscrupulous manufacturers are trying to cheat

से लाइसेंस प्राप्त किए घटिया स्तर के उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगा कर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं।

वर्ष के दौरान देशभर में आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर 125 छापे मारे। इनमें से आईएसआई मुहर के दुरूपयोग के 18 मामलों में भा मा ब्यूरो के पक्ष में निर्णय हुआ। इन छापों के दौरान विभिन्न नकली उत्पाद जिनमें अनेक घरेलू उत्पाद जैसे पैकेजबंद पेयजल, टूथ पाउडर, जीएलएस बल्ब, समर्सिबल पंप, संरचना प्रयोजनों हेतु मृदु इस्पात के पाइप, गैस चूल्हे, ब्लाक बोर्ड और लकड़ी के फ्लश डोर, सीमेंट, पीवीसी पाइप, सिंचाई उपस्करों के लिए एमीटर, बिस्कुट और बिजली के उपस्कर आदि जब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों में शीघ्र कार्रवाई के लिए भी प्रयास किए। इसके फलस्वरूप अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालयों में अभियोजन प्रारंभ किए गए।

भा मा ब्यूरो ने मुख्यालय और अपने कार्यालयों से देश भर में प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसे धोखेबाज विनिर्माताओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से व्यापक कवरेज देते हुए प्रवर्तन छापों के विषय में अनेक प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, जो आईएसआई मुहर का दुरुपयोग करते हैं। उपभोक्ता संगठनों और तत्कालीन विनिर्माता संघों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया, जिससे उन्हें आईएसआई मुहर के दुरुपयोग के बारे में शिक्षित करने के साथ–साथ उन विनिर्माताओं के बारे में जानकारी दी जाए, जो आईएसआई मुहर का दुरुपयोग करते हैं।

the consumers by producing sub-standard products with ISI Mark without obtaining the licence from BIS.

During this year, BIS has carried out 125 enforcement raids all over the country on firms misusing ISI Mark. 18 misuse cases of ISI Mark have been decided in favour of BIS. During these raids, various spurious products including many household products such as Packaged Drinking Water, Tooth Powder, GLS Lamps, Submersible Pumps, Mild Steel Tubes for structural purposes, LPG Stoves, Block Board and Wooden Flush Doors, Cement, PVC Pipes, Irrigation Equipment Emitters, Biscuits, Electrical Appliances etc, were seized. Efforts are also being made for timely processing of the enforcement cases and consequent launching prosecution against the offenders in the Courts.

Apart from above, BIS has also issued number of press releases about the enforcement raids for giving wide coverage by both the print and electronic media with the intention to create awareness among the consumers about the unscrupulous manufacturers who are are misusing ISI Mark. Meetings are also organized with the consumer organizations and the manufacturers association with an objective not only to educate them about the misuse of ISI Mark but also with an intention to get information about the manufacturers who are misusing the ISI Mark.

प्रयोगशाला सेवाएँ

उत्पादकता

भारतीय मानक ब्यूरो ने देशभर में स्थित आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय मानकों के अनुरूप भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों के अनुरूपता परीक्षण से संबंधित कार्य किया। 1 अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान लगातार घटती परीक्षण करने वाली जनशक्ति के बावजूद व्यापक रेंज में उत्पादों की 25321 परीक्षण रिर्पोटें जारी की। परीक्षण करने वाले परीक्षण कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 180 की तुलना में वर्तमान में यह संख्या 117 हो गई है।

आकृति 4 में पिछले पाँच वर्षों में भा मा ब्यूरो द्वारा जारी परीक्षण रिपोंटों के संदर्भ में यह आउटपुट दर्शायी गई है।

LABORATORY SERVICES

Productivity

The network of eight BIS laboratories spread throughout the country, continued to provide testing services and test related activities to undertake conformity testing of BIS certified products against relevant Indian Standards. For the period from 1 April 2007 to 31 March 2008, BIS laboratories have issued 25321 test reports covering wide range of products inspite of constant depletion of testing personnel. The strength of testing personnel involved in the testing is now 117 against the sanctioned strength of 180.

The output in terms of number of test reports issued in BIS Laboratories for the last five years is depicted in Fig. 4.

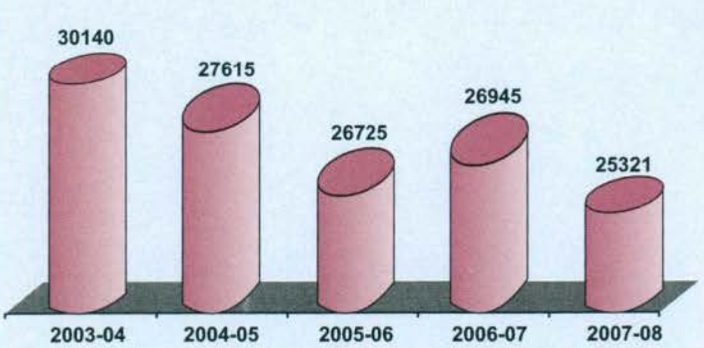

आकृति 4 भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या

***Fig.* 4 Number of Test Reports Issued by BIS Laboratories**

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

प्रयोगशाला प्रबंध पद्धति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया गया तथा आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 मानक पर आधारित प्रलेखों को कार्यान्वित किया गया। इस क्षेत्र की विशेष उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :

i) गुणता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रतिशत नमूनों का परीक्षण किया गया।

ii) गैस के चूल्हों, प्रैशर कुकर, सीमेंट, फौर्जित पीतल की छड़, इस्पात की चद्दर, यूपीवीसी के पाइप आदि उत्पादों के विभिन्न पैरामीटरों के दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

iii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों ने निम्नलिखित आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया:

क) ऑडिट करने की तकनीक और आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 की ऑडिटिंग अपेक्षाएँ

ख) अनिश्चितता के मापन का आकलन

ग) अंतर–प्रयोगशाला तुलना/दक्षता परीक्षण प्रशिक्षण

घ) भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में गैर वित्तीय कार्यकारियों के लिए वित्त संबंधी प्रशिक्षण

ङ) सूक्ष्मजैवीय अपेक्षाओं में तकनीकी प्रक्रिया।

ग्राहकों की शिकायतों का संतोषजनक निवारण किया गया।

उत्पाद परीक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

i) भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसधारियों/आवेदकों के तकनीकी कार्मिकों हेतु उत्पाद परीक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गत वर्ष दिए गए प्रशिक्षणों में प्रेशर कुकर, एलपीजी चूल्हे, इस्पात के उत्पादों का भौतिक परीक्षण, अग्निशमन यंत्र, पेय जल का सूक्ष्म जैवीय परीक्षण शामिल थे।

ii) उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मोहाली की यांत्रिक प्रयोगशाला में तैनात परीक्षण कार्मिकों हेतु पम्प परीक्षण के लिए एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iii) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को खाद्य एवं सूक्ष्यजैवीय परीक्षण में प्रशिक्षण हेतु ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और अद्यतन बनाना

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी समिति ने भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, आंशिक परीक्षण सुविधाओं को पूरा करने, परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन, नई परीक्षण सुविधाएँ विकसित करने तथा अवसंरचना के विकास हेतु लगभग रू. 17.5 करोड़ अनुमोदित किए। इस प्रक्रिया में लगभग 2 करोड़ रु. के उपस्कर भा मा ब्यूरो की

Quality Assurance Activities

For effective implementation of laboratory management system, the laboratories have updated and implemented the documents based on Standard IS/ISO/IEC 17025 : 2005. The highlights of the achievements are as below:

i) 5 percent of samples tested under Quality Assurance testing programme.

ii) Participated in proficiency testing programmes for various parameters of products like LPG stove, Pressure cooker, Cement, Forged brass bar, Steel sheet, UPVC pipes etc.

iii) Officers/technical personnel attended following training programmes organized during the period:

a) Auditing Techniques and auditing requirements of IS/ISO/IEC/17025

b) Estimation of measurement of uncertainty

c) Inter-Laboratory Comparisons/Proficiency testing training

d) Training on finance for non-finance executives in BIS labs

e) Technological processes in microbiological requirement

The complaints received were settled to the satisfaction of the clients.

Training Programmes on Product Testing

i) BIS laboratories also organized training programmes on product testing for technical personnel of BIS product certification licensees/applicants. The products covered during last year were pressure cooker, LPG stove, physical testing of steel products, training programme on fire extinguisher, training programme in microbiological testing on drinking water etc.

ii) An internal training programme on pump testing for testing personnel of Mechanical lab was organized at Northern Regional Laboratory, Mohali.

iii) Summer training in Food and Microbiological testing was provided to students of Delhi University.

Modernization and Upgradation of Test Facilities

In the modernization programme, the Standing Committee had approved approx. 17.5 crores for modernization, completion of partial test facilities, up gradation of test facilities, development of new test facilities and infrastructure for BIS labs. In this process equipment to the tune of around Rs.2 crores have already been

विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा पहले ही खरीदे जा चुके हैं और उनके संस्थापन हेतु अवसंरचना विकसित की जा रही है।

स्केन की गई रिपोर्ट क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भेजना

भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों की सभी परीक्षण रिर्पोटें हार्ड कापी के रूप में भेजने के बजाय स्केनिंग करके भा मा ब्यूरो के सर्वर पर अपलोड की जा रही हैं। इस प्रक्रिया से समय तथा धन की बचत हुई है तथा हार्ड कापी के रूप में रिर्पोटों का संभावित दुरूपयोग रूका है।

भा मा ब्यूरो द्वारा प्रयोगशाला मान्यता योजना

भा मा ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना के प्रचालन में सहायता हेतु भा मा ब्यूरो द्वारा प्रयोगशाला मान्यता योजना का प्रचालन किया जाता है। मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं का उपयोग परीक्षण का कार्यभार अधिक होने या भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में वे परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध न होने या उपकरणों के खराब होने पर किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न उत्पादों के परीक्षण के लिए भा मा ब्यूरो ने 125 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की है।

स्वर्णाभूषणों हेतु दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला में संदर्भ एवं एसेयिंग केन्द्र

दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराकर उसे हॉलमार्क किए गए स्वर्णाभूषणों हेतु संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया गया है।

सतर्कता गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो में सतर्कता गतिविधियों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

भा मा ब्यूरो के सतर्कता विभाग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी है और उसकी सहायता के लिए चार सतर्कता अधिकारी तथा दो क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में तैनात हैं। उन्हें सतर्कता कार्यकलापों का कार्य सौंपा गया है। यह विभाग अन्य अभिकरणों यथा 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), 'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' और 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)' के साथ निकट समन्वय में काम करता है। सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ वार्षिक कार्य योजना के अनुसार चलाई जाती हैं, जिनका निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। इस विभाग के मूल कार्य सतर्कता के निवारक, संसूचक और दंडात्मक पहलुओं

purchased by various BIS labs and infrastructure is being developed for their installation.

Scanned Reports for ROs/BOs.

All reports for sample being tested by BIS labs are being uploaded on BIS server after scanning instead of hard copies to BIS Branch offices. This has led to saving of time, money and misuse of hard copy reports.

BIS Lab Recognition Scheme

BIS lab recognition scheme is operated to support operation of product certification scheme of BIS. The services of outside laboratories are availed whenever there is testing load, equipment out of order or test facility not available in BIS laboratories. At present, 125 laboratories have been recognized by BIS for different products.

Referral & Assaying Centre at Southern Regional Office Laboratory for Gold Jewellery

Southern Regional Office Laboratory has been developed as a referral laboratory for Hallmarked jewellery by equipping it with the necessary equipments.

VIGILANCE ACTIVITIES

Scope and Nature of Vigilance Activities in BIS

Vigilance Department of BIS is headed by the Chief Vigilance Officer and assisted by four Vigilance Officers and two Regional Vigilance Officers posted in the Western and Southern Region Offices of BIS. Vigilance Department is entrusted with the responsibility of managing all vigilance related activities. The department functions in close coordination with other agencies such as the Central Vigilance Commission (CVC); the Central Bureau of Investigations (CBI); the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution; and the Department of Personnel & Training (DoPT). The activities of the Vigilance Department are organized in accordance with an Annual Action Plan, which is formulated every year. The key functions of the department revolve around the preventive, the

के गिर्द घूमते हैं। सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य हैं :

क) ब्यूरो के कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणियों और चल तथा अचल संपत्तियों में अंतिम लेन–देन की संवीक्षा/जाँच करना, जब और जैसे वे दाखिल करें।

ख) पदोन्नति, पासपोर्ट, विदेशों में कार्य करने पर विचार करने और बाहर के पदों के लिए भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के आवेदन भेजने के लिए सतर्कता की अनुमति देना, जैसा विभाग/कर्मचारी द्वारा अनुरोध किया जाए।

ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सीबीआई/मंत्रालय के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रूप से सतर्कता विभाग में प्राप्त स्रोत सूचना और शिकायतों की जाँच करना और गहराई से जाँच–पड़ताल करना। जाँच–पड़ताल के आधार पर मिले परिणाम से यदि आवश्यकता हो तो शिकायत दर्ज करना या केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के आधार पर दोषी अधिकारी (अधिकारियों) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करना।

घ) भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को आचार नियमावली, सीसीएस (सीसीए) नियमावली और लागू होने वाले अन्य विभिन्न संबंधित नियमों/विनियमों तथा मेनुअलों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत करना; और सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित सतर्कता कार्यशालाओं तथा संबंधित विषयों पर कार्यक्रमों के माध्यम से भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों में सतर्कता कार्य के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना।

ड़) निवारणात्मक सतर्कता के भाग के रूप में ब्यूरो के विभिन्न कार्यकलापों के सतर्कता ऑडिट आयोजित करना और कमियों को दूर करने के लिए अंतरालों में सुधार लाने एवं स्व–निर्णय के कार्यक्षेत्र को हटाने के लिए व्यवस्थित सुधारों का सुझाव देना; और

च) यदि भ्रष्टाचार की कोई घटनाएँ हैं तो प्रत्यक्ष पुनर्निवेश प्राप्त करने के लिए भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों/आवेदकों, उपभोक्ता संगठनों और उद्योग संघों के साथ बैठकें आयोजित करना और व्यवस्थित सुधार तथा अधिक पारदर्शिता आरंभ करने के लिए सुझाव देना।

वर्ष 2007–2008 के दौरान, सतर्कता विभाग ने ब्यूरो की शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों के 5 निवारणात्मक सतर्कता ऑडिट किए। इन ऑडिटों के दौरान, विभिन्न पद्धतियों तथा प्रथाओं में अनेक त्रुटिपूर्ण क्षेत्रों को अभिचिन्हांकित किया गया तथा भारतीय मानक ब्यूरो में संबंधित गतिविधि प्रमुखों को सुधार के सुझाव दिए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रक्रियाविधियों के अनुपालन/अनियमितताओं के मामलों के संबंध में सतर्कता जाँच पड़ताल की गई।

detective, and the punitive aspects of vigilance. The work undertaken by the Vigilance Department is as follows:

a) Scrutinize Annual Property Returns and transactions in movable and immovable properties, as and when filed by the employees of the Bureau;

b) Process vigilance clearances for considering promotions, issuance of passport, foreign assignments and forwarding applications of BIS employees for outside posts as and when requested by the department/employee;

c) Examine source information and complaints received either directly or through the CVC/CBI/Ministry and conduct thorough investigations. On the basis of the outcome of the investigation, a decision is taken to either file the complaint or initiate disciplinary proceedings against the delinquent official on the basis of CVC's advice;

d) In order to apprise BIS employees about various provisions of the CCS (Conduct) Rules, the CCS (CCA) Rules and various other related Rules/ Regulations and Manuals in operation; and to increase awareness about the importance of vigilance activity among the BIS employees, the Vigilance Department conducts workshops and awareness programmes on relevant subjects;

e) Vigilance Department also conducts audits of various activities and functional areas of BIS as part of preventive vigilance and suggest systemic improvements to bridge gaps and remove scope for discretion; and

f) Vigilance Department organizes meetings with BIS licensees/applicants, consumer organizations and manufacturers' associations for gathering direct feed-back relating to instances of corruption, if any, and elicit suggestions for introducing systematic improvements and greater transparency.

During the year 2007-2008, Vigilance Department conducted 5 preventive vigilance audits at various Branch/ Regional Offices of the Bureau. During these audits, a number of grey areas in various systems and practices were identified and suggestions for improvement given to the concerned Activity Heads in BIS. Besides, vigilance investigations were undertaken on instances of irregularities / non-compliance of procedures against various officials.

इन ऑडिटों के दौरान लाइसेंसधारियों के कुल 28 औचक निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप मुहरांकन रोकने हेतु कहा गया। कुछ मामलों में मुहरांकन रोकने की अवधि के दौरान मानक मुहर का दुरूपयोग करना पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित शाखा कार्यालयों ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की।

भारतीय मानक ब्यूरो में 12 से 16 नवम्बर 2007 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान के प्रति संवेदनशील बनाने तथा साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो को एक आदर्श, भ्रष्टाचार मुक्त संगठन बनाने के लिए और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सप्ताह के दौरान मध्य क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमाणन से संबंधित तथा एनसीआर में तैनात अधिकारियों के लिए भा मा ब्यूरो मुख्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। भा मा ब्यूरो मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए " भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता" विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गयी और सतर्कता मैनुअल (भा मा ब्यूरो), केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली और केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली पर क्विज भी आयोजित की गई। भा मा ब्यूरो में सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के आयोजन के एक भाग के रूप में अन्य क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में भी अलग से कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

वर्ष 2007–08 के दौरान शिकायतों के विषय में सीधा फीडबैक प्राप्त करने तथा भा मा ब्यूरो प्रमाणन पद्धतियों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सुधार हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए भा मा ब्यूरो ने लाइसेंसधारियों/आवेदकों, उपभोक्ता संगठनों तथा उद्योग संघों के साथ तीन बैठकें आयोजित की गई।

A total of 28 surprise inspections of the licensees were also carried out during these audits and as a result of these inspections, a number of licences were put under stop marking. In some instances, misuse of the Standard Mark by the BIS licensees during the period of stop marking was also noticed and consequently, cancellation proceeding were initiated by the concerned Branch Offices.

Vigilance Awareness Week was observed in BIS during 12th to 16th November 2007 during which various programmes through out the country by all Regional/ Branch Offices of BIS were organized for sensitizing the employees against pitfall of corruption and increase awareness amongst them for turning BIS into a model and corruption-free organization. During the week, a workshop for officers of certification activity under the Central Region and posted in NCR was organized by the Vigilance Department at the BIS Headquarters. An 'essay competition' on the theme of "Need for Transparency to Curb Corruption" and a quiz on "Vigilance Manual (BIS), the CCS (Conduct) Rules and the CCS (CCA) Rules" were also organized for the BIS employees at Headquarter. Separate workshops were also organized at other Regional/Branch offices as part of the observance of Vigilance Awareness Week in BIS.

Three meetings with BIS licensees/applicants, consumer organizations, industry associations, etc, were also organized during 2007-08 to elicit direct feedback regarding grievances, if any, and suggestions for improvement in order to make the BIS systems more objective and transparent.

तकनीकी सूचना सेवाएँ

भा मा ब्यूरो उद्योग, आयातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी एजेंसियों को उनकी पूछताछ के उत्तर में तकनीकी सूचना सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इस प्रयास में इस अवधि के दौरान 600 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया गया।

डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ केन्द्र

भा मा ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ केन्द्र के रूप में पदनामित अपनी गतिविधियों का सुदृढ़ किया है। डब्ल्यूटीओ/टीबीटी करार के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखा गया है। विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के बारे में सूचना डाउनलोड की गई, उन्हें पृथक् किया गया और देश के अन्दर बड़ी संख्या में स्टेकहोल्डरों को ये अधिसूचना वितरित की गई। स्टेकहोल्डरों

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

BIS provided Technical Information Services to Industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. In this endeavour, more than 600 enquiries were responded during the period.

WTO/TBT Enquiry Point

BIS strengthened its activities as the WTO / TBT Enquiry Point, as designated by the Ministry of Commerce. Close interaction with Ministry of Commerce and Industry on various issues of national interest under WTO/TBT Agreement was maintained. The information with regard to the Notifications issued by various countries were downloaded, segregated and disseminated to a large

की सहायता के लिए विभिन्न देशों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को भी भा मा ब्यूरो वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से भा मा ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाए गए उत्पादों से सम्बद्ध अधिसूचनाएँ डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित की गई।

मानक और अनुरूपता मूल्यांकन पद्धति, राष्ट्रीय और अन्य देशों, दोनों से सम्बद्ध समुचित पूछताछों का उत्तर भारत और विदेशों के रूचि रखने वाले सम्बद्ध व्यक्तियों को दिया गया।

सीई मुहरांकन सूचना केन्द्र

यूरोपियन संघ के देशों को उत्पादों का निर्यात सरल बनाने के लिए भा मा ब्यूरो में सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से सीई मुहरांकन, यूरोपीय संघ के कानून, निर्देशों और क्रियाविधियों पर सूचना भारतीय उद्योगों में वितरित की जाती हैं। सीई मुहरांकन पर वेब–पोर्टल विकसित किया गया है और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, संभावित निर्यातकों को सूचना देने के लिए भा मा ब्यूरो के मुख्य होम पेज पर लिंक के साथ इसे होस्ट किया गया है। यह सूचना केन्द्र उद्योग को सीई मुहरांकन पर अपेक्षित सूचना शीघ्र प्राप्त करने में सहायता करता है।

पहचान संख्या प्रायोजित करना

निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की गई :

जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

आईएसओ/आईईसी 7812–1 पहचान पत्र – जारीकर्ता की पहचान – भाग 1 : संख्यांकन की पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय तथा/अथवा अन्तः – उद्योग विनिमय में प्रयुक्त पहचान पत्रों के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए संख्यांकन प्रणाली निर्दिष्ट करती है। यह एक संख्या है जो मुख्य उद्योग तथा कार्ड जारी करने वाले की पहचान करती है जो मुख्य लेखा संख्या का पहला भाग है। भा मा ब्यूरो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को बैंकों/वित्तीय संगठनों के आवेदनों को प्रायोजित करने के माध्यम से आईएसओ 7812–1 के अनुरूप आईआईएन जारी करना सुविधाजनक बनाता है। इस अवधि में आठ जारीकर्ता पहचान संख्याएँ जारी की गई।

संस्थान पहचान कोड (आईआईसी)

आईएसओ 8583 के अनुसार आईएसओ के प्राधिकरण के अंतर्गत अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) द्वारा कार्ड से उत्पन्न वित्तीय लेन–देन के संदेशों में भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों को प्रदान की जाने वाली अनूठी संख्या आईआईसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक एक सामान्य इन्टरफेस निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ताओं और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच वित्तीय लेनदेन कार्ड से उत्पन्न संदेशों का परस्पर आदान–प्रदान किया जा सकता है। यह संदेश का ढाँचा, फॉर्मेट तथा विषय वस्तु, डाटा के घटक और डाटा घटकों के मूल्य निर्दिष्ट करता है।

पंजीकृत आवेदन प्रदाता आईडेन्टीफायर (आरआईडी)

आरआईडी एक हार्डवेयर इन्डेक्स कोड है जो पहचान कार्डों – एकीकृत परिपथ कार्डों में सम्पर्कों के साथ प्रयुक्त होते हैं। यह आईएसओ/आईईसी

number of stakeholders within the country. The notifications issued by various countries are also being uploaded on the BIS website to assist the stakeholders. The notifications related to the products being brought under mandatory certification of BIS were also notified to WTO through the Ministry of Commerce.

All reasonable queries pertaining to Standards and Conformity Assessment Systems, both national and of other countries, from concerned interests in India as well as overseas were replied.

CE Marking Information Centre

To facilitate Export of products to EU countries, an information centre has been established at BIS. Through this, information on CE Marking, EU legislation, directives and procedure are being disseminated to Indian industries. A web portal on CE marking has been developed and hosted with a link to the BIS main home page to provide information to potential exporter for facilitating export. The information centre helps the industry in getting required information on CE marking quickly.

Sponsorship of Identification Numbers

The following services were provided:

Issuer Identification Number (IIN)

ISO/IEC 7812-1 Identification Cards- Identification of issuers- Part 1: Numbering system specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in international and/or inter-industry interchange. This is a number that identifies the major industry and the card issuer and that forms the first part of the primary account number. BIS facilitates the issue of IIN as per ISO 7812-1 by sponsoring applications of Banks/ Financial Organizations to the American Bankers' Association (ABA). Eight Issuer Identification numbers have been issued during the period.

Institution Identification Codes (IIC)

IIC is a unique number assigned to financial institutions participating in financial transaction card originated messages by American Bankers' Association (ABA) under the authorization of ISO in accordance with ISO 8583. This International Standard specifies a common interface by which financial transaction card originated messages may be interchanged between acquirers and card issuers. It specifies message structure, format and content, data elements and values for data elements.

Registered Application Provider Identifier (RID)

RID is a hardware index code used in identification cards – integrated circuit cards with contacts. It is allotted in

7816–5 आईडेन्टीफिकेशन कार्ड्स – इंटीग्रेटेड सर्किट काड्र्स – पार्ट 5 नम्बरिंग सिस्टम एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर आइडेन्टीफायर्स के अनुसार आईएसओ के प्राधिकार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, कोपेन हेगेन, डेनमार्क द्वारा आवंटित किया जाता है।

वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आईडेन्टिफायर (डब्ल्यूएमआई)

सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के साथ समन्वय करते हुए भा मा ब्यूरो आईएसओ 3780 : 1983 'रोड व्हीकल्स – वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आइडेन्टिफायर (कोड)' के अनुसार डब्ल्यूएमआई कोड भारत के ऑटोमोबाइल निर्माताओं और निर्यातकों को जारी करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है। इस अवधि के दौरान डब्ल्यूएमआई कोड आबंटन के लिए तीन संख्याएँ आबंटित की गयीं।

तकनीकी स्पष्टीकरणों पर डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 44 (आरई–2000)

डीजीएफ़टी ने अधिसूचना संख्या 44 (आरई–2000) दिनांक 24 नवम्बर 2000 ने भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने से पूर्व विभिन्न उत्पादों के लिए भा मा ब्यूरो प्रमाणन को अनिवार्य बना दिया है। इसके बाद दिनांक 19 जून, 2001 को एक नीतिगत परिपत्र संख्या 4 (आरई–2001) / 1997–2002 जारी किया गया जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया कि कोई भी उत्पाद, जो अधिसूचना 44 के दायरे में शामिल है या नहीं, अभी तक भा मा ब्यूरो मानकों पर लागू, केवल भा मा ब्यूरो द्वारा जारी किया जाएगा, और इस प्रकार का स्पष्टीकरण सभी सम्बन्धितों पर बाध्यकार होगा। इन अधिसूचनाओं में संशोधन जारी होने के बाद इस समय इस अधिसूचना के दायरे में 68 उत्पाद आते हैं। भा मा ब्यूरो ने विभिन्न उत्पादों के लिए इस अवधि में 71 स्पष्टीकरण जारी किए।

पुस्तकालय सेवाएँ

वर्ष के दौरान सूचना सेवा केन्द्र (एमएससी) ने मुख्यालय और मुम्बई, कोलकाता, चण्डीगढ़ तथा चेन्नई स्थित अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने संग्रह में 1768 पुस्तकें, मानक जैसे प्रलेख, जो विदेशी मानक निकायों द्वारा जारी किए गए थे, के साथ–साथ मानकीकरण के कार्य में रत विभिन्न विद्वत संस्थाओं तथा विदेशी संघों द्वारा जारी किए गए प्रकाशन और मानक लिए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा रखे जाने वाला विश्व मानकों का यांत्रिकीकृत डाटाबेस, जिसे "मानक संदर्भिका" कहा जाता है, को अद्यतन करने के लिए मूलभूत सूचना की पूर्ति करना जारी रखा गया। यहाँ प्राप्त सभी मानकों को डाटाबेस के इनपुट के लिए कूटबद्ध किया गया जिसमें अब 3 लाख तथा 47640 अभिलेख शामिल हैं।

वर्तमान जागरूकता सेवाओं के भाग के रूप में पुस्तकालय सेवा केन्द्र पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों की मासिक सूची "एडशिन टू द लाइब्रेरी – बुकस एंड पैम्फलेट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित करता है। यह बुलेटिन भा मा ब्यूरो के उपयोगकर्ताओं और पुस्तकालय के सदस्यों के लिए परिचालन हेतु है और इसमें यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन (यूडीसी) से चुने गए 120 व्यापक विषय समूहों के अंतर्गत वर्तमान सूचना वर्गीकृत की जाती है।

accordance with ISO/IEC 7816-5 Identification Cards-Integrated Circuit Cards- Part 5 Numbering System and Registration Procedure for Application Identifiers, by the Registration Authority, Copenhagen, Denmark under the authorization of ISO.

World Manufacturer Identifier (WMI)

In coordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS fulfills the responsibility of issuing the WMI Codes as per ISO 3780 : 1983 'Road Vehicles – World Manufacturer Identifier (Code)', to the automobile manufacturers and exporters in India. Three numbers were allotted for the allotment of WMI Code during the period.

Technical Clarifications on DGFT Notification No. 44 (RE-2000)

DGFT's Notification No. 44 (RE-2000)/1997-2002 dated 24 November 2000 made BIS certification mandatory for various products before they could enter into Indian market. Subsequently, a policy circular No. 4 (RE-2001)/ 1997-2002 dated 19 June 2001 was issued stating that clarification, whether a product is covered within the ambit of Notification 44 or not, so far applicable to BIS standards, would only be issued by BIS, and such a clarification issued by BIS shall be binding on all concerned. After issuance of amendments to these Notifications, at present, 68 products fall within the ambit of this Notification. BIS issued 71 clarifications during this period on different products.

Library Services

During the year, Library Services Centre (LSC), at the Headquarters and also at its four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chandigarh & Chennai added to its collection, 1768 books, standards type documents issued by overseas standard bodies as well as publications and standards issued by various learned societies and foreign Associations engaged in the work of standardization.

The Library continued to supply basic information for updating the mechanized database of World Standards called "Manaksandarbhika" maintained by Information Technology Services Department. All the standards received here were codified as input for the database which now comprises above 3 lakhs and 47,640 records.

As part of its current awareness services, LSC publishes a monthly list of all the books received in the library, under the title "Addition to the Library-Books and Pamphlets". This bulletin is for circulation to in-house users and library members and presents information in classified form under 120 broad subjects groups selected from Universal Decimal Classification (UDC).

विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत पुस्तकालय के वर्तमान सदस्यों के रूप में 1400 व्यक्ति और संगठन शामिल हैं। इनमें से 190 नए सदस्य इस वर्ष बने हैं। लगभग 19212 प्रकाशन/मानक व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ–साथ ब्यूरो के अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा परामर्श हेतु देखे गए अथवा उन्हें जारी किए गए।

4019 आगन्तुकों को संदर्भ सेवाएँ प्रदान की गयीं जो 10 व्यापक विषय संदर्भ पुस्तिकाओं को तैयार करने और उनकी पसन्द की संदर्भ सामग्री को उपलब्ध कराने के माध्यम से की गयी। संदर्भ यूनिट ने संदर्भ सूचियाँ उपलब्ध कराने के माध्यम से मानक निर्धारण विभागों की पूरी तरह सहायता की। इसने भारतीय व्यापार और उद्योग को उनसे प्राप्त 2336 बड़ी और छोटी पूछताछों का उत्तर देकर उनकी सहायता भी की। पुस्तकालय सेवा केन्द्र ने आईएसओ द्वारा निर्दिष्ट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर स्टैण्डर्डस (आईसीएस) के अनुसार मसौदा भारतीय मानकों को कोडीफाई करने की सेवा भी प्रदान की। वर्ष के दौरान 231 मसौदे मोडीफाई किए गए।

इस समय भा मा ब्यूरो अधिकारियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अद्यतन विकास से परिचित रखने के लिए 200 (लगभग) आवधिक पत्रिकाएँ प्राप्त हुई। पुस्तकालय के सदस्य भी उनका उपयोग कर रहे हैं।

पुस्तकालय सेवा केन्द्र ने क्षेत्रीय कार्यालय के पुस्तकालयों को भी पत्रिकाओं और अन्य तकनीकी पुस्तकों की आपूर्ति की।

प्रशिक्षण सेवाएँ

प्रशिक्षण संस्थान

भारतीय मानक ब्यूरो ने उद्योग, सरकार और सेवा क्षेत्रों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1995 में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) की स्थापना की। यह संस्थान मई 2003 से अपने नौएडा स्थित कैम्पस से कार्य करता है।

उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, एनआईटीएस ने 44 इन–हाउस कार्यक्रम, 35 ओपन कार्यक्रम और 9 लीड ऑडिटर के पाठ्यक्रम उद्योग के लिए आयोजित किए जिनसे 124.78 लाख का राजस्व अर्जित हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **प्रबन्ध पद्धति** : इस विषय पर चार सप्ताह की अवधि का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सितम्बर, 2007 में आयोजित किया गया जिसमें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की आर्थिक सहायता से आठ विकासशील देशों के 13 सहभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रमाण पत्रों का वितरण श्री वाई.एस. भावे, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 सितम्बर, 2007 को किया गया।

- **मानकीकरण तथा गुणता आश्वासन** : आठ सप्ताह की अवधि का चालीसवां अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उपर्युक्त विषय पर अक्टूबर–दिसम्बर 2007 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें 18 देशों के 27 सहभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह एनआईटीएस

There are 1400 individuals and organizations as current members of the library in various categories. Out of this 190 new members have joined during this year. About 19212 publications/standards were consulted or issued to the representatives of trade and industry as well as officers and staff of the Bureau.

Reference services were provided to 4019 visitors by way of preparing 10 exhaustive subject bibliographies and making available, the reference materials of their choice. The reference unit fully supported the standards formulating departments by providing the bibliographies. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 2336 long and short range queries as received from them. LSC also provided its service for codifying draft Indian Standards as per International Classification for Standards (ICS) as propounded by ISO. During the year 231 drafts were codified.

At present library received 200 (approx) periodicals to keep abreast of the latest developments in science and technology by officers BIS. Members of the library are also using them.

LSC supplied journals and other technical books to the Regional Offices libraries also.

TRAINING SERVICES

Training Institute

Bureau of Indian Standards has set up National Institute of Training for Standardization (NITS) in the year 1995 to meet the training needs of industry, Government and Service sector. The institute operates from its campus at NOIDA since May 2003.

Training Programmes for Industry

During the year, NITS organized 44 In-house programmes, 35 Open Programmes and 9 Lead Auditors Courses for the industry generating revenue of around Rs 124.78 lakhs.

International Training Programmes

- **Management Systems:** The 4th International Training Programme of four weeks duration on the above subject was organized in September 2007 which was attended by 13 participants from 8 developing countries with the financial support from Ministry of External Affairs, Government of India. Valedictory Function was organized at India International Centre, New Delhi. Certificates were distributed by by Shri Y.S. Bhave, Secretary, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India on 25 September 2007.

- **Standardization and Quality Assurance:** The 40th International Training Programme of 8-weeks duration on the above subject was organized during October - December 2007, which was attended by

में आयोजित किया गया जिसमें आईएसओ के महासचिव ने 4 दिसम्बर, 2007 को सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। श्रीमती अलका सिरोही, एएस, उपभोक्ता मामले विभाग तथा महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। 5 दिसम्बर, 2007 को सांस्कृतिक संध्या और विदाई के अवसर पर रात्रिभोज का आयोजन किया गया।

- **सूचना, सुरक्षा प्रबन्ध पद्धति (आईएसएमएस) पर क्षेत्रीय कार्यशाला** : आईएसओ 27001 के अनुसार एनआईटीएस में 10–14 मार्च, 2008 के दौरान आईएसओ के निकाय सदस्यों की सहायता से आईएसएमएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। भा मा ब्यूरो के सहभागियों के अलावा इसमें सार्क देशों के 6 सहभागी भी शामिल थे।

पहली बार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्नलिखित नए विषयों पर पहली बार भा मा ब्यूरो के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित और आयोजित किए गए:

क) प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया – सूक्ष्म जीव विज्ञान

ख) सूचना अधिकार अधिनियम

ग) आईएसओ/आईईसी गाइड 65

हिन्दी सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो मुख्यालय के अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए 11 जुलाई, 2007 को एनआईटीएस, नौएडा में एमएस वर्ड में हिन्दी सॉफ्टवेयर के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित की गई।

उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत कार्यक्रम

वर्ष के दौरान एनआईटीएस में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 24 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अब तक एनआईटीएस ने 22 कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 423 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इस वर्ष "उपभोक्ता क्लब के अध्यापकों के लिए उपभोक्ता प्रशिक्षण" विषय पर एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। ऐसे 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 94 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

अन्य कार्यक्रम

एनआईटीएस भा मा ब्यूरो के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष के दौरान 14 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें अभी हाल ही में प्रोन्नत सहायक निदेशकों के लिए दो सप्ताह का इन्डक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल था। इसके अलावा प्रयोगशाला प्रबन्ध एवं आंतरिक ऑडिट, मापन अनिश्चितता इत्यादि पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विषयों पर भा मा ब्यूरो के 450 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

27 participants from 18 countries. Valedictory Function was organized at NITS wherein ISO Secretary General distributed the certificates to the participants on 4th December 2007. The function was graced by Smt. Alka Sirohi, AS, Department of Consumer Affairs and DG, BIS. A cultural evening and farewell dinner was organized on 5th December 2007.

- **Regional Workshop on Information Security Management Systems (ISMS):** A Regional Workshop on ISMS as per ISO 27001 was organized at NITS with faculty support from ISO during 10-14 March 2008. Along with participants from BIS, there were six participants from SAARC countries.

Training Programmes Organized for the First Time

Training programmes on following new subjects were developed and organized for the first time for BIS officials:

a) Technological Process - Microbiology

b) Right to Information Act

c) ISO/IEC Guide 65

Training Programme on Hindi Software

A Workshop on use of Hindi Software in MS Word was organized for officers and staff of BIS HQs on 11 July 2007 at NITS, Noida.

Programmes under Consumer Welfare Fund

During the year, NITS has conducted 2 programmes on Consumer Protection for State and District Level Officers in which 24 officials have been trained. So far NITS has conducted 22 programmes training 423 officials.

This year a new programme on "Consumer Protection for Teachers of Consumer Club" has started. 5 such programmes have been conducted and 94 teachers have been trained.

Other Programmes

Training programmes are also organized for BIS officials. During the year 14 programmes, which included 2 weeks Induction Training Programme for Assistant Directors promoted recently besides Laboratory Management and Internal Audit, Measurement Uncertainty etc. More than 450 BIS employees have been provided the training on different subjects.

उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है और भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य है। मानक संवर्धन तथा उपभोक्ता मामले विभाग मानकीकरण की अवधारणा, प्रमाणन तथा गुणता का उपभोक्ताओं में प्रचार करके इस दिशा में योगदान दे रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानक संवर्धन तथा उपभोक्ता मामले विभाग विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कई बार ये जागरूकता कार्यक्रम उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 125 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जन शिकायत

भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है और सुनवाई के लिए प्रतिमाह उनकी मॉनिटरी की जाती है। वर्ष के दौरान 50 शिकायतें पंजीकृत की गईं और 63 शिकायतों की सुनवाई व निपटान किया गया। यह प्रयास किया जा रहा है कि नियत समय अवधि में भा मा ब्यूरो जन शिकायत निपटान व्यवस्था के भाग के रूप में शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायतों के निपटान के प्रयास किए जाएँ।

क्षेत्रीय भाषाओं में लेख/राइटअप

उपभोक्ताओं के फायदे के लिए भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के स्थानीय ख्याति प्राप्त लेखकों द्वारा लिखे लेख/राइट अप स्थानीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं/बुलेटिनों/न्यूज लैटरों में प्रकाशित किए गए।

उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रकाशित विवरणिकाएँ

भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ता हितों से सम्बद्ध विषयों पर कई विवरणिकाएँ प्रकाशित की हैं। इनमें से कुछ सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की गई है।

सिटीजन चार्टर

वर्तमान सिटीजन चार्टर को आईएस 15700 गुणता प्रबन्ध पद्धति सार्वजनिक सेवा संगठनों द्वारा सेवा की गुणता की अपेक्षाएँ के अनुरूप बनाने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर को कार्यकारी समूह द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है जिसमें शीर्ष प्रबन्धन, मध्यम स्तरीय प्रबन्धन, स्टाफ एसोसिएशन/संघ, उपभोक्ता तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दल के सदस्यों का चयन पारदर्शी पद्धति से किया गया है और इसके विवरण सभी को उपलब्ध है।

पुनरीक्षित चार्टर के प्रकाशन के साथ भा मा ब्यूरो अपनी सेवा और सेवा डिलीवरी की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार के लक्ष्य के साथ पारदर्शी, उत्तरदायित्व पूर्ण और दक्ष सेवा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इसे भा मा ब्यूरो की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

Consumer Awareness Programmes

Implementation of Indian Standards is of great significance and has been a prime objective of the Bureau of Indian Standards. SP&CAD is contributing in this direction by promoting the concept of standardization, certification and quality amongst the consumers. For accomplishing this motive SP&CAD is organizing regular Awareness Programmes through various ROs/BOs. These Awareness Programmes are sometimes conducted in association with Consumer Organizations. During the year, 125 programmes have been conducted.

Public Grievances

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month for redress. 50 complaints were registered and 63 complaints were redressed during the year. Efforts are made to redress the grievances to the satisfaction of the complainant received as part of BIS Public Grievance Redress mechanism within the stipulated time frame.

Articles / Write Up in Regional Languages

Articles / Write ups about BIS activities for the benefit of Consumers by local prominent writers preferably in regional languages have been published in local Newspapers and Magazines / Journals / Bulletins / News Letters published by Consumer Organizations.

Brochures Published for the Benefit of Consumers

BIS has published a number of brochures on the subjects of consumers' interest. Some of them have been published in regional languages also by concerned RO/BO.

Citizen Charter

The existing Citizen Charter has been revised to bring in line with IS 15700 – Quality Management Systems – Requirements for Service Quality by Public Service Organizations. The revised Citizen Charter has been finalized by the Working Group consisting of representatives from top management, middle management, staff association / unions, customers and other stakeholders. Selection of the team members has been done in a transparent manner, the details of which are accessible to all.

With the publication of this revised Charter, BIS is endeavouring to provide transparent, accountable and efficient service and aim to continually improve the service and service delivery process. This has been hosted on the BIS website.

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वैद्युत तकनीकी आयोग की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण के क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। ब्यूरो ने अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। इनमें से कुछ गतिविधियों के विवरण पर नीचे प्रकाश डाला जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के स्तर पर सक्रिय सहभागिता जारी रखी। भा मा ब्यूरो ने आईएसओ और आईईसी की विभिन्न बैठकों में भाग लेना और क्षेत्रीय और द्विपक्षीय, दोनों स्तरों पर सहयोग करना जारी रखा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन

भा मा ब्यूरो ने आईएसओ समितियों / उप समितियों में भाग लिया जिनमें भारत 'पी' अर्थात् पार्टिसिपेटिंग मैम्बर है और जहाँ भारत के पास सचिवालय है, वहाँ सौंपे हुए दायित्वों को निभाना जारी रखा।

आईएसओ / टैक्निकल कमेटी (टीसी) / सब कमेटी (एससी) के कार्य में सहभागिता के सन्दर्भ में भा मा ब्यूरो ने डाटाबेस के प्रबन्धन के लिए आईएसओ ग्लोबल डायरेक्टरी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।

जेनेवा, स्विटजरलैण्ड में आईएसओ जनरल एसेम्बली मीटिंग – श्री वाई. एस. भावे, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नेतृत्व में विकासशील देशों के लिए आईएसओ कमेटी (डेवको) की 41वीं बैठक में भाग लिया और 17 से 21 सितम्बर, 2007 को जेनेवा, स्विटजरलैण्ड में आईएसओ जनरल एसेम्बली की 30वीं बैठक में भाग लिया। भा मा ब्यूरो में आईएसओ काउंसिल के चुनावों में भाग लिया ओर 2008–2009 की अवधि के लिए आईएसओ काउंसिल में चुना गया।

आईएसओ के सैक्रेटरी जनरल श्री एलेन ब्रिडेन ने 4–7 दिसम्बर, 2007 के दौरान भा मा ब्यूरो का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने नौएडा स्थिति मानकीकरण में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) में विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थियों को मानकीकरण पर सम्बोधित किया। दिल्ली में अपने ठहरने

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued its activities in the field of International Standardization by way of active participation in the various activities of the International Organization for Standardization and International Electro Technical Commission. The Bureau also continued its activities in the field of regional and bilateral cooperation with other countries. The details of some of the activities are highlighted below:

International Activities

BIS continued its active participation at the International level in the field of Standardization and Conformity. BIS participated in various meetings of ISO and IEC and continued cooperation at both regional and bilateral level.

International Organization for Standardization

BIS participated in ISO Committees/ Subcommittees where India is a 'P' that is participating member and continued with the designated responsibilities, wherever India holds the secretariat.

BIS has been successfully utilizing the ISO Global Directory for managing the database with regard to participation in ISO/Technical Committee(TC)/Sub Committee (SC) work.

ISO General Assembly meeting at Geneva, Switzerland - An Indian delegation led by Shri Y.S. Bhave, Secretary, Dept of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution attended the 41st meeting of ISO Committee for Developing Countries (DEVCO) and 30th meeting of ISO General Assembly during 17-21 September 2007 at Geneva, Switzerland. BIS contested the ISO Council election and were elected to ISO Council for the term 2008-2009.

Mr. Alan Bryden, Secretary General, ISO visited BIS during 4-7 December 2007. During his visit, he addressed the international trainees from developing countries on Standardization at National Institute for Training in Standardization (NITS), Noida. During his stay in Delhi, he held discussions with Shri Sharad Pawar Hon'ble Minister for

के दौरान माननीय उपभोक्ता मामले मंत्री श्री शरद पवार, योजना आयोग के सदस्य श्री राजीव शाह, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव श्री वाई.एस. भावे के साथ विचार–विमर्श किया। उन्होंने भा मा ब्यूरो के अधिकारियों, सीआईआई, फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) तथा दिल्ली के अन्य औद्योगिक प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श किया। बैंगलोर में आईटी क्षेत्र के अग्रणी प्रतिनिधियों के साथ भी उनका सम्पर्क आयोजित किया गया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रेस को भी सम्बोधित किया।

बैठक के दौरान इस पर सहमति हुई कि उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण में आईएसओ टीसी/एससी बैठकों में भाग लेकर और इन बैठकों का आयोजन करने और आईएसओ की निर्णय लेने के प्रक्रिया में सहयोग द्वारा अपनी सहभागिता बढ़ानी चाहिए। यहाँ तक कि क्षेत्रीय स्तर पर भी आईएसओ काउंसिल सदस्य के रूप में भारत को अपनी हैसियत के अनुसार नेतृत्व सम्भालना चाहिए। बाद में भा मा ब्यूरो ने 2011 में भारत में आईएसओ जनरल एसेम्बली और इसकी सम्बद्ध समितियों की बैठक के आयोजन का प्रस्ताव रखा। भा मा ब्यूरो आईएसओ कमेटी ऑन कंस्यूमर पॉलिसी (कोपोलको) की अगली बैठक भारत में मई 2009 में आयोजित कर रहा है।

8 आईएसओ/आईईसी टैक्निकल कमेटी मीटिंग/वर्कशॉप/ट्रेनिंग भारत में आयोजित की गई।

क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी (आरएलओ)

2009 तक की अवधि के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए श्री सायन चटर्जी, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो को क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी (आरएलओ) के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शामिल देश अर्थात् भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका हैं। आरएलओ के रूप में महानिदेशक, भा मा ब्यूरो को क्षेत्रीय मानकीकरण गतिविधियों के अनुवर्तन तथा हमारे भौगोलिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण और सम्बद्ध गतिविधियों के सन्दर्भ में क्षेत्र में इन देशों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पहचानने और उनका विश्लेषण करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग

आईईसी में राष्ट्रीय सहभागिता सुदृढ़ की गई और भा मा ब्यूरो ने आईईसी की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भा मा ब्यूरो वैद्युत तथा इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों/संघटकों के प्रमाणन से सम्बद्ध आईईसीईई, आईईसीक्यू, आईईसीईएक्स का भी सदस्य है

Consumer Affairs, Shri Rajeev Shah, Member Secretary, Planning Commission, Shri Y.S. Bhave, Secretary, Ministry of Consumer affairs. He also had discussions with BIS officers, CII, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and other industry representatives at Delhi. An interaction with the leading representatives of the IT sector was also organized at Bangalore. He also addressed the press during this visit.

During the meetings it was agreed that as an emerging economy India should increase its participation in international standardization activity by way of attending and hosting ISO TC/SC meetings and by contributing in decision-making process of ISO. Even at regional level India should take lead in its capacity as the ISO Council member. BIS has subsequently proposed to host the ISO General Assembly and related meetings in India in 2011. BIS is also hosting the next meeting of the ISO Committee on Consumer Policy (COPOLCO) in India in May 2009.

Eight number of ISO/IEC Technical Committee meetings/ workshop/ training were also held in India.

Regional Liaison Officer (RLO)

Shri Sayan Chatterjee, DG, BIS was appointed as Regional Liaison Officer (RLO) for South Asian region till the term 2009. The South Asian region is comprised of countries namely, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran, Afghanistan and SriLanka. As RLO, DG, BIS has the responsibility of identifying and analyzing the needs and requirements of countries in the region with respect to international standardization and related activities; to follow regional standardization activities and to contribute actively for raising awareness on international standardization in our geographical region.

International Electrotechnical Commission

The national participation in IEC was strengthened and BIS participated actively in the various activities of IEC.

BIS is also member of IECEE, IECQ, IECEx related to certification of electrical and electronic products/

जिनमें भारत भी सदस्य है, इन आईईसी समिति/उप समितियों में सक्रिय सहभागिता जारी रही।

- भारतीय शिष्ट मंडल ने पेरिस में अक्टूबर 2007 में आयोजित आईईसी जनरल मीटिंग तथा आईईसी काउंसिल बोर्ड मीटिंग में भाग लिया।
- भारत ने नई दिल्ली में आईईसी/एससी 17ए तथा 17सी की बैठकों का आयोजन किया।
- भारत ने नई दिल्ली में आईईसी/टीसी 28 का आयोजन किया।

भा मा ब्यूरो के कई अधिकारियों ने तथा उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस अवधि के दौरान आईएसओ तथा आईईसी की विभिन्न तकनीकी एवं नीति स्तरीय बैठकों में भाग लिया।

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो ने मानक तथा अनुरूपता मूल्यांकन से सम्बन्धित क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम जैसे सार्क में अनुवर्ती कार्यवाही करना जारी रखा।

भा मा ब्यूरो ने मानक, गुणता नियंत्रण तथा मापन पर स्थायी समूह के साथ–साथ मानक और गुणता के उप–समूहों की सार्क बैठकों में भी भाग लिया। भा मा ब्यूरो सार्क क्षेत्रीय मानक निकाय के गठन में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। सार्क स्टैण्डर्डस कॉऑर्डिनेशन बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है। भा मा ब्यूरो ने जॉन टैरिफ उपायों पर एसएएफटीए उप समूह में भी भाग लिया। ईयू तथा पीएएससी (पैसिफिक एशिया स्टैण्डर्डस कॉंग्रेस) के साथ समन्वय कार्य भी जारी रखा गया।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) तथा अमेरिकन नैशनल स्टैण्डर्डस इंस्टीट्यूट (एएनएसआई) के साथ 20 दिसम्बर, 2007 को नई दिल्ली में इंडिया–यूएस स्टैण्डर्डस पोर्टल की स्थापना पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पोर्टल भा मा ब्यूरो, सीआईआई तथा एएनएसआई की वेबसाइट के साथ हाइपर लिंक है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बद्ध संगठनों के साथ भी हाइपर लिंक हैं, जिनमें स्टैण्डर्डस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनस (एसडीओ), अनुरूपता मूल्यांकन में कार्यरत निकाय, तकनीकी विनियम, सरकारी संगठन, औद्योगिक संस्थाएँ तथा व्यापार संवर्धन संगठन भी शामिल होंगे।

components. Active participation in the IEC Committee/ Sub Committees where India is P member was continued.

- Indian Delegation attended IEC General Meeting and the IEC Council Board Meeting held at Paris in October 2007.
- India hosted IEC/SC 17A & 17C meetings at New Delhi.
- India hosted IEC/TC 28 meetings at New Delhi.

A number of BIS officers and industry representatives participated in various technical and policy level meetings of ISO and IEC during the period.

Regional Co-Operation programme

BIS continued to take follow up actions on Regional Cooperation Programmes such as SAARC in the areas related to Standards and Conformity Assessment.

BIS also participated in the SAARC meetings of the Standing Group on Standards, Quality Control and Measurement as well as the sub-group on standards and quality. BIS is also actively participating in the formation for SAARC Regional Standards Body. A SAARC Standards Coordination Board has already been established. BIS also participated in the SAFTA sub-group on Non-tariff measures. Coordination work with EU and PASC (Pacific Asia Standards Congress) was continued.

Bilateral Co-operation Programmes

An MoU with Confederation of Indian Industry (CII) and the American National Standards Institute (ANSI) on establishment of India-US Standards Portal was signed on 20 December 2007 at New Delhi. The Portal will give important details of BIS, CII and ANSI having hyperlinks to the websites of BIS, CII and ANSI, and to other relevant organizations in India and the United States of America, which would include Standards Development Organizations (SDOs), bodies engaged in Conformity Assessment, Technical Regulations, Government Organizations, Industry Associations and the Trade Promotion Organizations.

भा मा ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग से इन देशों जैसे ब्राजील, थाइलैण्ड, मॉरीशस, ग्रीस, सिंगापुर, ओमान, यूएसए, इजरायल तथा सऊदी अरब के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में कार्य जारी रखा। भा मा ब्यूरो और मॉरीशस स्टैण्डर्डस बॉडी (एमएसबी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की भावना से अंतर्गत मॉरीशस के साथ घनिष्ठ सहयोग की दिशा में कार्य करते हुए भा मा ब्यूरो के एक अधिकारी ने एमएसबी को उनकी वैद्युत प्रयोगशाला को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की।

विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा

वर्ष के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय मानक निकायों, अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों और सम्बन्धित संगठनों के विभिन्न अधिकारियों ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया और मानक और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग पर विचार–विमर्श किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण दौरे निम्नलिखित हैं :

- दानिश टैक्नोलोजिस इंस्टीट्यूट (डीटीआई) के प्रतिनिधियों, ईयू–इंडिया टीआईडीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सलाहकारों ने इस अवधि के दौरान भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- जून 2007 में एक इजरायली शिष्टमंडल ने दौरा किया जिसमें जल और जल प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ शामिल थे।
- एएसएमई के श्री मार्क शीहान ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया और आगामी तेल और गैस पाइप लाइन संगोष्ठी में भाग लेने के लिए महानिदेशक के साथ परामर्श किया।
- आईएसओ एसजी श्री एलेन ब्रिडेन 4–7 दिसम्बर, 2007 ने अपने भारत दौरे के दौरान भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- श्री ओ. गौरले, आईईसी ट्रैजरार ने जनवरी, 2008 में भा मा ब्यूरो का दौरा किया और द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में महानिदेशक महोदय से विचार–विमर्श किया।
- जापानी शिष्टमंडल ने 12 फरवरी, 2008 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया जिसमें जेएसए और एमईटीआई के प्रतिनिधि शामिल थे।
- एएचआरआई के यूएस शिष्टमंडल ने 19 फरवरी, 2008 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- स्टैण्डर्डस एसोसिएशन ऑफ चाइना (एसएसी) के चीनी शिष्टमंडल ने 27 फरवरी, 2008 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया।

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन

सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रत्येक संगठन में अग्रणी स्थान ले लिया है। इसके साथ गति बनाए रखते हुए भा मा ब्यूरो अपने संसाधनों को विभिन्न गतिविधियों में निर्बाध इस्तेमाल के लिए प्रबन्ध करने हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

BIS continued to work towards closer bilateral cooperation with countries such as Brazil, Thailand, Mauritius, Greece, Singapore, Oman, USA, Israel and Saudi Arabia in close association with Ministry of Commerce and Ministry of External Affairs. Working towards close cooperation with Mauritius in the spirit of the MoU signed between BIS and Mauritius Standards Body (MSB), an officer from BIS provided technical support to MSB for strengthening their Electrical Laboratory.

Visit of Foreign Delegates

During the year, various officials from International Standards Bodies, other National Standards Bodies and related organizations visited BIS and held discussions for cooperation in the field of standards and conformity assessment. Some of the important visits are as under:

- Representatives from the Danish Technologies Institute (DTI), consultants for implementation of EU-India TIDP Programme visited BIS during the period.
- An Israeli delegation consisting of experts in Water and Water Technologies visited on June 2007.
- Mr. Mark Sheehan from ASME visited BIS in June 2007 and held discussions with DG for participating in the upcoming Oil & Gas Pipelines conference.
- ISO SG, Mr. Alan Bryden visited BIS to India during 4-7 December 2007.
- Mr. O. Gourlay, IEC Treasurer visited BIS in Jan 2008 and discussion held with DG regarding bilateral issues.
- A Japanese delegation consisting of representative from JSA and METI visited BIS on 12 February 2008.
- US delegation from AHRI visited BIS on 19 February 2008.
- A Chinese delegation from the Standards Association of China (SAC) visited BIS on 27 February 2008.

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

Information technology has today taken the front seat in every organization. Keeping pace, BIS is in the process of implementing computerized based systems across its various activities to seamlessly manage its resources.

भा मा ब्यूरो गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण

"भा मा ब्यूरो गतिविधियों का एकीकृत कम्प्यूटरीकरण" परियोजना के अंतर्गत प्रमाणन मुहर पर सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया गया है ताकि नई योजना के अंतर्गत नए फीचरों को इसमें शामिल किया जा सके। पुस्तकालय सूचना प्रबन्धन पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है और मानकों और अन्य प्रकाशनों के रैट्रो–कंवर्शन तथा बारकोडिंग पर कार्य चल रहा है। मानक निर्धारण पर सॉफ्टवेयर पर (एसएफएसएम) को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यह नियोजन के लिए परीक्षण की अन्तिम अवस्था में है। एसएफएसएम में विभिन्न तकनीकी विभागों के लगभग 21 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। डब्ल्यूटीओ–टीबीटी पूछताछ बिन्दु को इसका उपयोग करने वाले विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार संशोधित किया गया है और नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सीई मुहरांकन सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है और इसे प्रचालन योग्य बनाया गया है।

भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और स्टाफ के बीच कम्प्यूटर के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न कार्यालयों की अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस इत्यादि लिए गए हैं। अधिकांश कार्य बड़ी संख्या में इस परियोजना के अंतर्गत कमीशन किए गए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सम्बन्धी भौतिक सुविधाओं के रख–रखाव का ही रहा जिसमें सर्वर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, नेटवर्क, वीपीएन कनैक्टिविटी इत्यादि शामिल है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर विकास, वेबसाइट प्रबन्धन, एन्टी वायरस प्रबन्धन, ईमेल अकाउण्ट प्रबन्ध इत्यादि भी किया गया। वेबसाइट की विषय वस्तु को सूचना के परिवर्धन/अद्यतन करने के माध्यम से समृद्ध किया गया। भा मा ब्यूरो वेबसाइट में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत काफी सूचना प्रकाशित की गई है और हॉलमार्किंग योजना के संवर्धन पर एक पृथक खण्ड बनाया गया है। मानकों की ई–सेल पर निविदा प्रलेख इत्यादि तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। सीडी–रोम पर भारतीय मानकों की बिक्री और भारतीय मानकों की ई–सेल पर निविदाएँ दी जा रही हैं। सम्मेलन कक्ष और सभागार में वाई–फाई उपलब्ध कराया गया है।

कागज रहित कार्य मिशन

कागज रहित कार्य की दिशा में बढ़ने के मुख्य निर्णय के अनुपालन में अधिकांश प्रलेख (उन प्रलेखों को छोड़कर, जो गोपनीय अथवा वित्तीय अनुमोदन की अपेक्षा रखते हैं) ई–मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इंटरनेट साइट (इंट्रा–बीआईएस) को ज्ञान से समृद्ध शेयर किए जाने वाले संसाधन के रूप में भा मा ब्यूरो के सभी कार्यालयों द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाया जा रहा है।

इंट्रानेट (इंट्रा–बीआईएस)

दैनिक आधार पर सूचनाओं के परिवर्धन द्वारा इंट्रानेट के आकार और विषय वस्तु में वृद्धि हो रही है। महत्वपूर्ण कार्यालयीन सूचना जैसे कार्यालय परिपत्र, परीक्षण निरीक्षण योजना, संशोधन, मैनुअल, मार्गदर्शी सिद्धान्त, प्रपत्र, परीक्षण प्रभार, परीक्षण सुविधाएँ, ऑनलाइन अद्यतन फीचरों इत्यादि सहित अधिक तेजी से सूचना के वितरण और नियमित सन्दर्भ के लिए इंट्रानेट बीआईएस पर होस्ट की जा रही हैं। भा मा ब्यूरो में व्यापक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार और सम्मतियों

Computerization of BIS Activities

Under the project on "Integrated Computerization of BIS Activities", the software for certification marks has been updated to accommodate features envisaged under new scheme. The software for library information management has been installed and the retro-conversion and bar coding of standards and other publications is being worked out. Software for standards formulation (SFSM) has been fine tuned and is in final stages of testing for deployment. About 21 officers of various technical departments have been trained in SFSM. WTO-TBT Enquiry point, is modified as per user department requirement and is updated regularly. CE Marking software is uploaded and made operational.

Additional computers, printers, UPS etc have been procured as per the requirements of various offices for extending the computer usage amidst officers and staff in BIS. Most of the work was around maintaining the huge hardware and software infrastructure commissioned under this project which included servers, computers, printers, networks, VPN connectivity etc. In addition to this, software development, web site management, anti-virus management, email accounts management have also been done. The content of website has been enriched by addition/ updation of information. A lot of information has been published on BIS website under Right to Information Act 2005 and a separate section is created to promote Hallmarking scheme. Proposal for appointment of consultant for preparation of tender document etc for e-sale of standards has been put up for approval. Tenders are being floated for sale of Indian Standards on CD-ROM and e-sale of Indian Standards. Wi-Fi has been provided at Conference Hall and Auditorium.

Mission Paperless

In pursuance of a major decision to move towards paperless working, most of the documents (except those requiring confidentiality and financial approvals) are being transacted over email. The intranet site (Intra-BIS) started as a knowledge rich sharable resource is being used on day-to-day basis by all offices of BIS.

Intranet (Intra–BIS)

The intranet is growing in size and content by addition of information on day-to-day basis. Important in-house information such as office circulars, STIs, amendments, manuals/guidelines, forms, testing charges, testing facilities with online updation feature, etc are hosted on Intra BIS for faster dissemination and regular reference. BIS Discussion Forum has been hosted on BIS Intranet to provide opportunity to employees to

के लिए भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने के लिए भा मा ब्यूरो इंट्रानेट पर भा मा ब्यूरो डिस्कशन फॉरम होस्ट किया गया है।

भा मा ब्यूरो वेबसाइट

वर्तमान सूचना के परिवर्धन/अद्यतन करने के माध्यम से वेबसाइट की अन्तर वस्तु को समृद्ध बनाया गया है। अब भा मा ब्यूरो वेबसाइट पर प्रमाणित विदेशी निर्माताओं/लाइसेंसधारियों की सूची उपलब्ध है। स्वर्ण तथा रजत आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पृथक खण्ड शामिल किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वेबसाइट पर काफी सूचना प्रकाशित की गयी है।

परियोजना प्रबध

परियोजना प्रबन्ध तथा कार्य विभाग निम्नलिखित विषय क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करता है :

i) भा मा ब्यूरो के नए भवनों के निर्माण सहित निर्माण कार्य से सम्बद्ध सभी इंजीनियरी परियोजनाओं पर कार्य करना।

ii) वित्त समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकों में विचार के लिए कार्यसूची की मद तैयार करने के साथ परियोजना/कार्य आरम्भ करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना।

iii) प्रस्तावित परियोजना/कार्य करने के लिए उपयुक्त सलाहकार/ठेकेदार नियुक्त करना तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

iv) सलाहकार/ठेकेदार को भुगतान, समन्वय तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं सहित सिविल, विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी प्रकृति की सभी परियोजनाओं एवं कार्यों की निष्पादन गतिविधि का पर्यवेक्षण करना।

v) क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय प्रयोगशाला/प्रशिक्षण संस्थान/मुख्यालय से प्राप्त सिविल, विद्युत तथा यांत्रिक और उद्यान कार्य के त्रैमासिक विवरण का संकलन।

इस समय परियोजना प्रबन्ध तथा कार्य विभाग निम्नलिखित योजनाओं का कार्ग देख रहा है :

भा मा ब्यूरो मुख्यालय में मानक भवन में नए केन्द्रीय एसी संयंत्र का आधुनिकीकरण और संस्थापन

कार्यकारी समिति (ईसी), वित्त समिति तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद एनबीसीसी को परियोजना प्रबन्ध सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। पुराने केन्द्रीय एसी संयंत्र को हटाने (सभी तलों पर क्षैतिज डक्टिंग को छोड़कर) का कार्य पूरा किया जा चुका है। नए केन्द्रीय एसी संयंत्र के संस्थापन का कार्य एनबीसीसी द्वारा अक्टूबर 2004 में दिए जाने के बाद विभिन्न प्रचालन संबंधी समस्याओं के कारण इस कार्य की प्रगति रूकी हुई है। मानक भवन (एमबी) के आधुनिकीकरण

give their views and comments on various topics of wider importance in BIS.

BIS Website

The content of website has been made rich by addition/updation of existing information. List of certified foreign manufacturers/licensees are now available on BIS website. A separate section for popularizing the Scheme of Hallmarking Gold and Silver Jewellery has been incorporated. A lot of information has been published on the web site under Right to Information Act 2005.

PROJECT MANAGEMENT

The Project Management & Works Department works with the following scope:

i) To deal with all engineering projects related works including construction of new buildings of BIS.

ii) To prepare a proposal for obtaining administrative approval and financial sanction to initiate a project/ work including preparation of agenda items for consideration in meetings of Finance Committee and Executive Committee.

iii) To appoint suitable consultant/contractor for the proposed project/work and any other task assigned by the competent authority.

iv) To supervise the execution activity in all the projects and works of civil, electrical and mechanical engineering nature including payments to consultants/contractors, coordination and other related aspects.

v) Compilation of quarterly statement of civil, electrical & mechanical and horticultural work received from Regional Offices/Central Laboratory/Training Institute/HQs. and sending the same to Chief Vigilance Officer for onwards submission to Chief Technical Examiner of Central Vigilance Commission.

At present, Project Management & Works Department is looking after the following projects:

Modernization and Installation of New Central AC Plant for Manak Bhavan at BIS Hqs

After taking necessary approval from Executive Committee (EC), Financial Committee and competent authority, NBCC was appointed as Project Management Consultant. The work of dismantling of old central AC Plant (except horizontal ducting of all floors) has already been completed. The installation of new central AC plant has been awarded by NBCC in October 2004 and progress is halted due to various operational problems. Progress of

का कार्य प्रगति पर है जिसमें अग्नि संरक्षण, फॉल्स सीलिंग, भवन के रंग रोगन का कार्य तथा सब–स्टेशन सहित आंतरिक वायरिंग बदलने का कार्य शामिल है। यह कार्य उपर्युक्त कारणों से रूक गया है क्योंकि यह कार्य भी केन्द्रीकृत एसी परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना को पुनः आरम्भ करने के लिए उपाय किए गए।

उपर्युक्त के लिए कार्यकारी समिति ने 18 जनवरी, 2007 को हुई अपनी बैठक में प्रतिष्ठित संगठन को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के बाद मानक भवन की केन्द्रीय एयर कंडीशनिंग योजना के तकनीकी और प्रशासनिक सम्भावयता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। कार्यकारी समिति ने वर्तमान एयर कंडीशनिंग परियोजना को पुनः आरम्भ करने अथवा बन्द करने की स्थिति में इसके परिणाम जानने का भी निर्देश दिया।

उपर्युक्त का अनुपालन करने के लिए सीमित निविदा देने की प्रक्रिया द्वारा एक प्रतिष्ठित सलाहकार को नियुक्त किया गया और एनबीसीसी के डिजाईन/ड्राइंग और वास्तविक स्थल के दौरे के निरीक्षण के बाद प्रतिबन्धित नीयत समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

क्योंकि एनबीसीसी करार में नियत समय और लागत में कार्य करने में सक्षम नहीं हुआ। अतः यह कार्य अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। भा मा ब्यूरो की कार्यकारी समिति ने 27 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में एनबीसीसी के साथ संविदा और करार को बन्द करने का निर्णय किया और उनके साथ खातों के निपटान/समाशोधन के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय लिया। कार्यकारी समिति ने इसी बैठक में यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय के एयर कंडीशनिंग से संबद्ध परियोजना और संबद्ध सिविल तथा विद्युत कार्य परियोजना सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूरी की जाए। उपर्युक्त निर्देश के अनुरूप कार्य प्रगति पर है।

मानव संसाधन विकास

31 मार्च, 2008 को भा मा ब्यूरो में कुल कर्मचारियों की कुल संख्या 1760 थी। वर्ष 2007–2008 के दौरान भा मा ब्यूरो में विभिन्न गतिविधियों में लगे कार्मिकों की सूची निम्नलिखित है :

गतिविधि	31 मार्च 2007 को कार्मिकों की स्थिति
कॉरपोरेट	57
मानक निर्धारण	183
प्रमाणन	1023
प्रयोगशालाएँ	151
तकनीकी सहायता सेवाएँ	135
प्रशासन और वित्त	211
योग	**1760**

modernization of Manak Bhawan (MB) which includes replacement of internal wiring including fire protection, false ceiling, painting of building and substation has also been halted due to the above reason as this is directly connected with Centralized AC Project. Steps were taken to revive the project.

For the above, EC decided in its meeting held on 18 January 2007 to ascertain technical and administrative feasibility of the central air-conditioning project of MB after pointing reputed organization as consultant. The EC also directed to find out the consequences in case of revival or abandoning the present air-conditioning project.

In pursuance of above one reputed consultant was appointed by limited tendering process and they had submitted their report in stipulated time period after examination of NBCC's design/drawing and by actual site visit.

Since NBCC had not been able to adhere to the time and cost parameter stipulated in the agreement and the work had been stopped indefinitely, EC of BIS in its meeting held on 27 March 2008 decided to close the contract and agreement with NBCC and initiate necessary actions for settlement/reconciliation of accounts with them. EC in the same meeting also approved that the project related to air-conditioning of both Manak Bhavan and Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD. Work is in progress on the above lines.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

As on 31 March 2008, a total of 1760 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2007-08 is given below:

Activity	Deployment of Personnel as on 31 March 2008
Corporate	57
Standards Formulation	183
Certification	1023
Laboratories	151
Technical Support Services	135
Administration and Finance	211
Total	**1760**

31 मार्च, 2008 को समूहवार जनशक्ति निम्नलिखित के अनुसार है :

समूह	अनुसूचित जाति/अनु. ज. जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग प्रतिनिधित्व	योग
क	106	460
ख	135	557
ग	113	416
घ	146	327

स्टाफ कल्याण

भा मा ब्यूरो द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनाए गए उपाय जैसे सामूहिक बीमा योजना और हॉलिडे होम की सुविधा जारी रखी गई। इस वर्ष शिमला, मनाली तथा ऊटी के भा मा ब्यूरो के हॉलिडे होम के लीज एग्रीमेंट नवीकृत किए गए। पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का भा मा ब्यूरो हॉलिडे होम माथेरन से अलीबाग शिफ्ट किया गया। इसके अलावा अगस्त 2007 से भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों को 50 रूपए के चाय के कूपन वितरित किए गए।

भा मा ब्यूरो कार्मिकों को प्रशिक्षण

भा मा ब्यूरो ने मानव संसाधन विकास के अपने प्रयत्न जारी रखे। मानव संसाधन विकास के भाग के रूप में भा मा ब्यूरो कार्मिकों को घरेलू शिक्षण कार्यक्रमों द्वारा निटस में प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें विभिन्न एजेंसियों (भारत में स्थित) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किया जाता है।

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण

लगातार 19वें वर्ष अर्थात् 2007–08 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) ने अपने व्यय तथा अन्य दायित्वों के लिए आत्मनिर्भर रहना जारी रखा। कुल आय (ब्याज को छोड़कर) पिछले वर्ष की आय रु. 14532.27 लाख की तुलना में वर्ष 2007–08 के दौरान रु. 16460. 57 लाख थी जिसमें 13.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें सबसे बड़ा योगदान आईएसआई प्रमाणन मुहर शुल्क से प्राप्त आय थी जो पिछले साल के रुपए 12549.99 लाख की तुलना में इस वर्ष रुपए 14379.04 थी अर्थात् इसमें 14.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि और उत्पादन के आधार पर मुहरांकन शुल्क से प्राप्त आय में बढ़ोतरी था। हॉलमार्किंग प्रमाणन से प्राप्त आय वर्ष 2006–07 के रु. 593.98 लाख की तुलना में इस वर्ष बढ़कर रु. 761.66 लाख थी अर्थात् इसमें 28.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो हॉलमार्किंग के लाइसेंसों की संख्या और मूल्यांकन केन्द्रों में वृद्धि के कारण थी।

वर्ष 2007–08 के दौरान कुल व्यय रु. 9101.93 लाख रहा जबकि वर्ष 2006–07 में यह रु. 12123.68 लाख था। वर्ष 2006–07 में व्यय अधिक रहने का कारण पेंशन देयता खाते में रु. 3490.04 लाख की राशि के अंशदान की कमी होना था।

As on 31 March 2008, the Groupwise strength is as under:

Group	SC/ST/OBC/PH Representation	Total
A	106	460
B	135	557
C	113	416
D	146	327

Staff Welfare

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme and facility of Holiday Homes were continued. This year, lease agreement in respect of BIS Holiday Home at Shimla, Manali, and Ooty were renewed. The BIS Holiday Home under Western Regional Office was shifted from, Matheran to Alibaug. Besides this, from the month of August 2007, Tea coupons were distributed to all BIS employees worth Rs 50.

Training of BIS Personnel

BIS continued to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-house training programmes at NITS and also by deputing them to the training programmes being organized by various agencies (within India).

FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

For the Nineteenth consecutive year that is 2007-08, Bureau of Indian Standards (BIS) continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding interest) during the year 2007-08 was Rs. 16460.57 lakhs against Rs. 14532.27 lakhs in the previous year resulting in an increase of 13.27 percent. The largest contribution to the income was from ISI Certification Marking Fee which stood at Rs. 14379.04 lakhs against Rs. 12549.99 lakhs in the previous year that is an increase of 14.57 percent. This is due to increase in number of licences and marking fee income based on production. The income under Hallmarking Certification has increased to Rs. 761.66 lakhs against Rs. 593.98 lakhs during 2006-07 that is increase of 28.23 percent which is due to increase in number of Hallmarking licences and Assaying Centres.

The total Expenditure during the year 2007-08 stood at Rs. 9101.93 lakhs as against 12123.68 lakhs during 2006-07. The expenditure in the year 2006-07 was higher due to contribution towards shortfall in Pension Liability Account amounting to Rs. 3490.04 lakhs.

आय तथा व्यय खाते (कुल आय रु. 17283.13 लाख घटाएँ व्यय रु. 9101.93 लाख) में शेष कुल रु. 8181.20 लाख अधिशेष को पूँजीगत निधि खाते में आगे ले जाया गया है।

2007–08 और 2006–07 की आय–व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैं :

The remaining net surplus of Rs. 8181.20 lakhs in Income & Expenditure A/c (Total Income Rs. 17283.13 lakhs less expenditure Rs. 9101.93 lakhs) has been carried over to Capital Fund A/c.

A comparative statement of Income & Expenditure during 2007-08 vis-a-vis 2006-07 is as under:

	रु. लाख में (Rs. in lakhs)		वृद्धि / घटाव (%) Increase/Decrease
	2006-07	2007-08	(%)
आय INCOME			
1. उत्पाद प्रमाणन Product Certification	12549.99	14379.04	14.57
2. स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग प्रमाणन Gold Hallmarking Certification	593.98	761.66	28.23
3. पद्धति प्रमाणन System Certification	249.97	264.48	5.80
4. मानकों की बिक्री Sales of Standards	808.11	790.24	(–) 2.21
5. सम्मेलन, परामर्श व प्रशिक्षण शुल्क Conference, Consultancy & Training Fee	155.21	116.27	(–) 25.09
6. विविध आय Miscellaneous Income	175.01	148.88	(–) 14.93
उप योग Sub Total	14532.27	16460.57	13.27
7. ब्याज से आय Interest Income	451.45	822.56	82.20
कुल TOTAL	**14983.72**	**17283.13**	

	2006-07	2007-08	(%)
व्यय EXPENDITURE			
1. वेतन और भत्ते Pay & Allowances	4325.93	4608.73	6.54
2. सेवानिवृत्ति लाभ (लेखांकन टिप्पणी 2.1.2.1 देखें) Retirement Benefits (Refer Accounting Note 2.1.2.1)	620.58	591.16	(–) 4.74
3. अन्य प्रचालन व्यय Other Operating Expenses	3355.70	3623.87	7.99
4. मूल्यह्रास Depreciation	331.43	278.17	(–) 16.07
5. पेंशन देनदारी लेखे के प्रावधान में अंशदान Contribution towards shortfall in Pension Liability Account	3490.04	–	
कुल TOTAL	**12123.68**	**9101.93**	
(पूंजी कोष में अंतरित अधिशेष) (Surplus Carried to Capital Fund)	2860.04	8181.20	

भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2008 का पक्का चिट्ठा

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2008

	अनुसूची SCHEDULE		31.3.2008 को स्थिति As on 31.3.2008 (रुपये / Rupees)		31.3.2007 को स्थिति As on 31.3.2007 (रुपये / Rupees)
निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS					
पूँजी निधि Capital Fund	एन N		1725726948		906066625
रिजर्व और निधियाँ Reserves & Funds	ओ (ए) O (a)		746801042		697451661
पेंषन देयता खाते Pension Liability Account	ओ (बी) O (b)		3809305660		3570315327
ऋण Loans	पी P		–		–
	योग **TOTAL**		6281833650		5173833613
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS					
अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	क्यू Q		269170079		269825612
निवेश Investments	आर R		5316329461		4356651086
कार्यकारी पूँजी WORKING CAPITAL					
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans & Advances	एस S	766275303		601199668	
नामे : चालू देयता *Less* : Current Liabilites	टी T	69941193	696334110	53842753	547356915
योग **TOTAL**			6281833650		5173833613

लेखा संबंधी नीतियाँ / लेखा पर टिप्पणियाँ परिशिष्ट–I

Accounting Policies/Notes on Accounts Appendix-I.

निवेश का विवरण परिशिष्ट–II

Details of Investments Appendix-II.

ऊपर दी गई अनुसूचियाँ लेखे का भाग हैं।

The Schedules referred to above form part of Accounts.

हस्ता./Sd-	हस्ता./Sd-	हस्ता./Sd-	हस्ता./Sd-
(राकेश कक्कड़)	**(अलिंद चन्द्र)**	**(के.के. भोजवानी)**	**(एच.आर.आहुजा)**
(Rakesh Kacker)	**(Alinda Chandra)**	**(K.K. Bhojwani)**	**(H.R. Ahuja)**
महानिदेशक	अपर महानिदेशक	निदेशक (लेखा)	निदेशक (वित्त)
Director General	Addl. Director General	Director (Accounts)	Director (Finance)

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2008

		अनुसूची SCHEDULE	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR 2007-2008 (रुपये / Rupees)	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2006-2007 (रुपये / Rupees)
I.	**आय INCOME**			
1.	उत्पाद प्रमाणन Product Certification		1437904113	1254999383
2.	स्वर्ण हॉलमार्किंग प्रमाणन Gold Hallmarking Certification		76166383	59397436
3.	पद्धति प्रमाणन System Certification		26447808	24996824
4.	मानकों की बिक्री Sales of Standards	ए A	79023827	80811389
5.	अन्य आय Other Income	बी B	26514616	33022409
6.	निवेश पर अर्जित ब्याज Interest Earned on Investments		82256223	45145301
7.	सरकारी अनुदान (राजस्व) Govt. Grant (Revenue)		0	0
		योग TOTAL	**1728312970**	**1498372742**
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
1.	व्यय और भत्ते Pay and Allowances	सी C	460872967	432592758
2.	सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ Retirement Benefits	डी D	59115800	62058482
3.	कर्मचारियों के लाभ Other Staff Benefits	ई E	33693873	36387423
4.	यात्रा व्यय Travelling Expenses	एफ F	38997328	37277297
5.	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे Subscription to International Organizations	जी G	16888818	16432729
6.	उत्पादन Production	एच H	7144174	6704667
7.	परीक्षण Testing	आई I	90990029	73981744
8.	प्रचार Publicity	जे J	20432951	16469717
9.	कार्यालय व्यय Office Expenses	के K	70152838	71863206
10.	मरम्मत और रख–रखाव Repairs & Maintenance	एल L	40909901	38476515
11.	अन्य व्यय Other Expenses	एम M	43177950	37976844
12.	मूल्य ह्रास Depreciation	क्यू Q	27816684	33143349
13.	पेंशन देयता खाते में कमी के प्रति योगदान Contribution Towards Shortfall in Pension Liability Account	ओ (बी) O (b)	–	349003918
		योग TOTAL	**910193313**	**1212368649**
III.	**अधिशेष पूँजी कोष में लाया गया (I-II) SURPLUS CARRIED TO CAPITAL FUND (I-II)**		**818119657**	**286004093**

ऊपर दी गई अनुसूचियाँ लेखे का भाग है।
The Schedules referred to above form part of Accounts.

अनुसूची ए–मानकों की बिक्री SCHEDULE A — SALE OF STANDARDS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2007-2008	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2006-2007
1.	भारतीय मानक Indian Standards	44798426	46047360
2.	भारतीय एजेंट से रॉयल्टी Royalty from Indian Agent	25146495	27853270
3.	विदेशी प्रकाशन कमीशन और रॉयल्टी Royalty from Overseas Bodies & Overseas Publication Commission	9078906	6910759
	योग **TOTAL**	**79023827**	**80811389**

अनुसूची बी–अन्य आय SCHEDULE B — OTHER INCOME

1.	सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क Conferences, Consultancy & Training Fees	11626744	15521098
2.	विविध (*देखें* टिप्पणी 2.14) Miscellaneous (*see* Note 2.14)	14887872	17501311
	योग **TOTAL**	**26514616**	**33022409**

अनुसूची सी–वेतन और भत्ते SCHEDULE C — PAY AND ALLOWANCES

1.	**वेतन PAY**		
	महानिदेशक Director General	354459	341818
	अधिकारी Officers	130791261	132141884
	कर्मचारी Staff	148144995	148700818
	उप योग Sub Total	**279290715**	281184520
2.	**भत्ते ALLOWANCES**		
	महानिदेशक Director General	202570	96774
	अधिकारी Officers	84277457	71850927
	कर्मचारी Staff	97102225	79460537
	उप योग Sub Total	181582252	151408238
	योग **TOTAL**	**460872967**	**432592758**

अनुसूची डी–सेवानिवृत्ति लाभ SCHEDULE D — RETIREMENT BENEFITS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2007-2008	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2006-2007
1.	भविष्य निधि कोष में कमी की ओर योगदान (*देखें* टिप्पणी 2.20) Contribution to G.P.F. towards Deficiet (*see* Note 2.20)	280662	3592477
2.	पेंशन देयता खाते में वार्षिक योगदान (*देखें* टिप्पणी 2.1.2.1) Yearly Contribution to Pension Liability A/c (*see* Note 2.1.2.1)	57281584	57507804
3.	अंशदायी नई पेंशन योजना में योगदान Contribution to Contributory New Pension Scheme	1553554	958201
	योग TOTAL	**59115800**	**62058482**

अनुसूची ई–अन्य स्टाफ लाभ SCHEDULE E — OTHER STAFF BENEFITS

1.	के. सरकार स्वा. से. और अन्य चिकित्सा लाभ CGHS and Other Medical Benefits–कर्मचारी Employees	16686284	17621010
	–पेंशनर Pensioners	7814891	7436223
2.	कर्मचारी कल्याण Staff Welfare	6045340	3371242
3.	छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Concession	3147358	7958948
	योग TOTAL	**33693873**	**36387423**

अनुसूची एफ–यात्रा व्यय SCHEDULE F — TRAVELLING EXPENSES

1.	विदेश Overseas	4644540	6751302
2.	अधिकारी और कर्मचारी Officers and Staff	33974394	30294862
3.	समिति सदस्य Committee Members	378394	231133
	योग TOTAL	**38997328**	**37277297**

अनुसूची जी–अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे SCHEDULE G — SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

1.	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International Standards Organization	10720168	9821799
2.	अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग International Electrotechnical Commission	6168650	6610930
	योग TOTAL	**16888818**	**16432729**

अनुसूची एच–उत्पादन SCHEDULE H — PRODUCTION

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2007-2008	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2006-2007
1.	मानक Standards	6826348	5951507
2.	बुलेटिन Bulletin	317826	753160
	योग TOTAL	7144174	6704667

अनुसूची आई–परीक्षण SCHEDULE I — TESTING

1.	परीक्षण शुल्क Testing Fees	64120302	51560697
2.	प्रयोगशाला में उपभोज्य सामान और प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत और रख–रखाव Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab Equipment	6690703	7787809
3.	बाजार से खरीदे गए नमूने Market Samples	4329907	4498838
4.	बाहरी एजेंसियों को निरीक्षण प्रभार Inspection Charges to Outside Agencies	15849117	10134400
	योग TOTAL	90990029	73981744

अनुसूची जे–प्रचार SCHEDULE J — PUBLICITY

1.	प्रचार Publicity	20432951	16469717

अनुसूची के–कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFICE EXPENSES

1.	स्टेशनरी Stationery	9396375	8661882
2.	डाक व्यय Postage	5939260	7034396
3.	टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex	9198789	9419379
4.	भर्ती Recruitment	564154	134322
5.	जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment	1424154	1095843
6.	वर्दी Liveries	432995	401224
7.	भाड़ा और ढुलाई Freight and Cartage	2000859	1906448
8.	बीमा और बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges	1939796	1802761
9.	विविध Miscellaneous	3562412	4229603
10.	किराया और कर Rent and Taxes	12271407	13222079
11.	बिजली और पानी Electricity and Water	23422637	23955269
	योग TOTAL	70152838	71863206

अनुसूची एल–मरम्मत और रख-रखाव SCHEDULE L — REPAIRS AND MAINTENANCE

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2007-2008	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2006-2007
1.	फर्नीचर एवं उपस्कर Furniture and Equipment	3915665	2933662
2.	भवन Building	32929184	31365318
3.	वाहन और डीएलवाई टैक्सियाँ Vehicles and DLY Taxies	4065052	4177535
	योग **TOTAL**	**40909901**	**38476515**

अनुसूची एम–अन्य व्यय SCHEDULE M — OTHER EXPENSES

1.	सम्मेलन, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम Conferences, Consultancy and Training Programme	13541546	16156178
2.	इलैक्ट्रॉनिकी आँकड़ा संसाधन Electronic Data Processing	9795836	9183977
3.	पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय Library Subscription and Other Expenses	345761	299018
4.	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fees	1738535	1613089
5.	विधि प्रभार Legal Charges	3809276	3587578
6.	कर्मचारी प्रशिक्षण Staff Training	201959	1858796
7.	आवास निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज पर छूट Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	379221	338314
8.	अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans from:		
	क) केन्द्र सरकार a) Central Government	0	0
	ख) अन्य स्रोत – विश्व बैंक ऋण b) Other Sources—World Bank Loan	0	0
9.	डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला (*देखें* टिप्पणी 2.19) Bad Debts Written Off (*see* Note 2.19)	4535520	60944
10.	पूँजी निवेश (अचल परिसंपत्तियाँ) बट्टे खाते में डाला (कुल) Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	133260	0
11.	गुणता पद्धति प्रभार Quality System Charges	4689984	3353802
12.	हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ Hindi Promotional Activities	2217227	1174437
13.	प्रर्वतन आउटसोर्सिंग व्यय Enforcement Outsourcing Expenses	1789825	350711
	योग **TOTAL**	**43177950**	**37976844**

अनुसूची एन—पूँजी निधि SCHEDULE N — CAPITAL FUND

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		31 मार्च 2008 को स्थिति As on 31 March 2008		31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31 March 2007
वर्ष के आरम्भ में आरम्भिक शेष **Opening Balance at the Begining of the Year**			906066625		618556612
जमा ***Add:***				
i) मंत्रालय से योजनागत अनुदान से पूँजीगत परिसम्पत्तियों की लागत [अनुसूची 'ओ (ए)' की क्रम सं. 1.1 (क) देखें] Cost of Assets Capitalized from Plan Grants from Ministry [Refer Schedule 'O (a)' Sl No. 1.1(a)]	94791		1133075	
ii) बिहार सरकार से पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत [अनुसूची 'ओ (ए)' की क्रम सं. 1.1 (ख) देखें] Cost of Assets Capitalized from Grant from Government of Bihar [Refer Schedule 'O(a)' Sl No. 1.1(b)]	502194		–	
iii) अपारम्परिक–उर्जा मंत्रालय से पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत [अनुसूची 'ओ (ए)' की क्रम सं. 1.1 (घ) तथा टिप्पणी 2.7 देखें] Cost of Assets Capitalised from Grant from Ministry of Non-Conventional Energy Sources [Refer Schedule 'O(a)' Sl No. 1.1 (d) & Note 2.7]	810082		195874	
iv) उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता से पूंजीकृत परिसम्पतियों की लागत [अनुसूची 'ओ(ए)' की क्रम संख्या 1.2 (क) और टिप्पणी 2.4 देखें] Cost of Assets Capitalised from assistance from Consumer Welfare Fund [Refer Schedule 'O(a)' Sl No. 1.2(a) and Note 2.4]	21798		176971	
v) सहायता के रूप में प्रदत्त परिसम्पत्तियों की लागत (2 लैपटॉप) Cost of Assets (2 Laptops) provided by Spice Board as aid	111800		–	
(i) से (v) तक का योग Total (i) to (v)		1540665		1505920
vi) आय और व्यय खाते से अंतरित अधिशेष Surplus transferred from Income & Expenditure Account		818119658		286004093
वर्षान्त पर अंतिम शेष **Closing Balance at the End of the Year**		1725726948		906066625

अनुसूची पी–ऋण SCHEDULE P — LOANS

[राशि रुपयों में Amount In Rupees]

ऋण का प्रकार Nature of Loan	31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31 March 2007	वर्ष 2007-08 के दौरान During 2007-08 प्राप्तियाँ Receipts	भुगतान Repayment	31 मार्च 2008 को शेष Balance on 31 March 2008
i) भारत सरकार से प्राप्त ऋण Loans from Govt. of India	0	0	0	0
ii) अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण Loans from other Sources	0	0	0	0
योग **Total**	**0**	**0**	**0**	**0**

अनुसूची क्यू–अचल परिसंपत्तियाँ SCHEDULE Q — FIXED ASSETS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

क्रम सं. Sl No.	विवरण Description	सकल ब्लाक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost				मूल्यह्रास Depreciation				नेट ब्लाक Net Block	
		31 मार्च 2007 को स्थिति As at 31 March 2007	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written-Off	31 मार्च 2008 को स्थिति As at 31 March 2008	31 मार्च 2007 तक Up to 31 Mar 2007	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written-Off	31 मार्च 2008 तक Up to 31 Mar 2008	31 मार्च 2008 को स्थिति As at 31 Mar 2008	31 मार्च 2007 को स्थिति As at 31 Mar 2007
1.	भवन मुख्यालय (मानक भवन/मानकालय) Building-Headquarters (Manak Bhavan/Mankalaya)	14608101	0	0	14608101	10829431	387108	0	11216539	3391562	3778670
2.	भवन–I चेन्नई Building – I Chennai	1133556	0	0	1133556	890496	22336	0	912832	220724	243060
3.	भवन–II चेन्नई Building – II Chennai	9262130	0	0	9262130	5825207	343692	0	6168899	3093231	3436923
4.	भवन–साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला Building – Central Laboratory at Sahibabad	14365960	0	0	14365960	10457459	390850	0	10848309	3517651	3908501
5.	भवन–मुम्बई Building – Mumbai	7674627	0	0	7674627	4318912	154581	0	4473493	3201134	3355715
6.	भवन–I कोलकता Building – I Kolkata	3112636	0	0	3112636	2338567	57931	0	2396498	716138	774069
7.	भवन–II कोलकता Building – II Kolkata	10033560	0	0	10033560	5266118	460417	0	5726535	4307025	4767442
8.	रिहायशी फ्लैट Residential Flats	62296310	0	0	62296310	27974174	1716107	0	29690281	32606029	34322136
9.	प्रयोगशाला उपस्कर, कम्पयूटर और संबंधित उपकरण–योजना निधि Laboratory Equipment, Computers and Associated Equipment —Plan Fund	142876871	596985	0	143473856	136535431	1035676	0	137571107	5902749	6341440
10.	फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर Furniture and Office Equipment	110358832	11661761	1487202	120533391	90786903	3216102	1230161	92772844	27760547	18858252
11.	वाहन Vehicles	3523958	0	21924	3502034	2075021	218093	21478	2271636	1230398	1448937
12.	रिप्रोग्राफी और जीरॉक्स उपस्कर Reprographic and Zerox Equipment	653909	0	0	653909	651702	331	0	652033	1876	2207
13.	पुस्तकालय की पुस्तकें Library Books	20958505	1071402	16169	22013738	20713577	979817	16169	21677225	336513	244928
14.	मुख्यालय भवन का विस्तार–मानक भवन में सभागार Ext.of HQ Building—Auditorium in Manak Bhawan	1442902	0	0	1442902	1189679	25625	0	1215304	227598	253223

क्रम सं. SI No.	विवरण Description	सकल ब्लाक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost				मूल्यह्रास Depreciation				नेट ब्लाक Net Block	
		31 मार्च 2007 को स्थिति As at 31 March 2007	जमा Addition	घटा बिक्री/बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written-Off	31 मार्च 2008 को स्थिति As at 31 March 2008	31 मार्च 2007 तक Up to 31 Mar 2007	जमा Addition	घटा बिक्री/बट्टे-खाते Deduction Sale/ Written-Off	31 मार्च 2008 तक Up to 31 Mar 2008	31 मार्च 2008 को स्थिति As at 31 Mar 2008	31 मार्च 2007 को स्थिति As at 31 Mar 2007
15.	मुख्यालय भवन का विस्तार–अग्नि शमन परियोजना Ext.of HQ Building—Fire Fighting Project	2801090	0	0	2801090	2431252	43089	0	2474341	326749	369838
16.	विश्व बैंक परियोजना उपस्कर World Bank Project Equipment	25064949	0	0	25064949	19858978	781960	0	20640938	4424011	5205971
17.	भूमि–जम्मू Land–Jammu	49467	0	0	49467	0	0	0	0	49467	49467
18.	नोएडा में बिल्डिंग में प्रशिक्षण संस्थान Training Institute at Noida – Building	111165146	67554	0	111232700	22974873	4091331	0	27066204	84166496	88190273
19.	भवन–भोपाल कार्यालय Building—Bhopal Office	15882997	0	0	15882997	7004792	887821	0	7892613	7990384	8878205
20.	प्रयोगशाला उपस्कर – भा मा ब्यूरो निधि Laboratory Equipment—BIS Fund	22673739	10164226	0	32837965	9985552	3888149	0	13873701	18964264	13406109
21.	भवन जयपुर (परिसज्जा सहित) Building Jaipur (Including Furnishing)	46208680	0	0	46208680	3165880	2835252	0	6001132	40207548	43042800
22.	भवन फरीदाबाद कार्यालय (परिसज्जा सहित) Building Faridabad Office (including Furnishing)	13388106	0	0	13388106	5230333	816338	0	6046671	7341435	8157773
23.	अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपाय Additional Fire Safety Measures	3255717	0	0	3255717	1932573	198472	0	2131045	1124672	1323144
24.	नया केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र (पूंजी–डब्ल्यूआईपी) (देखें टिप्पणी 2.10) New Central AC Plant (Cap.- WIP)(*see* Note 2.10)	8273568	165000	0	8438568	0	0	0	0	8438568	8273568
25.	एनआईटीएस में सीडब्ल्यूएफ से ली गई परिसंपत्तियाँ Assets out of CWF at NITS	11194026	21798	0	11215824	4831550	741572	0	5573122	5642702	6362476
26.	मानक भवन बिल्डिंग का आधुनिकीकरण (पूंजी–डब्ल्यूआईपी) Modernization of Manak Bhawan Building (Cap–WIP)	168828	0	0	168828	0	0	0	0	168828	168828
27.	समेकित कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर (एनआईसी) Computer under Integrated Computerization Project (NIC)	77772837	2859830	0	80632667	73290594	4391005	0	77681599	2951068	4477998
28.	प्रयोगशाला उपकरण (अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) Laboratory Equipments(Grant–Min. of NCES)	195874	810082	0	1005956	12215	133029	0	145244	860712	183659
	योग **TOTAL**	**740396881**	**27418638**	**1525295**	**766290224**	**470571269**	**27816684**	**1267808**	**497120145**	**269170079**	**269825612**

अनुसूची आर–निवेश (लागत पर) SCHEDULE R — INVESTMENTS (AT COST)

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31 March 2007	जमा Additions	कटौतियाँ (बिक्री / परिपक्वता) Deductions (Sale/Maturity)	31 मार्च 2008 को स्थिति As on 31 March 2008
1.	भा.मा.ब्यूरो निधि का निवेश **Investments of BIS Funds**				
	1.1 पेंशन देयता लेखा में निवेश Investment towards Pension Liability Account	3570315327	1336989026	1097998693	3809305660
	1.2 निवेश–सामान्य भविष्य निधि General Investment towards Capital Fund	129685859	672280064	0	801965923
	योग **TOTAL**	**3700001186**	**2009269090**	**1097998693**	**4611271583**
2.	नई अंशदायी पेंशन योजना में निवेश **Investment - New Contributory Pension Scheme**	**3116943**	**3101139**	**0**	**6218082**
3.	निवेश – सामान्य भविष्य निधि **Investment – General Provident Fund**	651785957	51994839	11200000	692580796
4.	निवेश – परियोजना निधि **Investment – Project/Scheme Fund**				
	4.1 अहमदाबाद भवन परियोजना–सिडीकेट बैंक Ahmedabad Building Project–Syndicate Bank	1300000	0	0	1300000
	4.2 योजनागत परियोजनाएँ–केनरा बैंक Plan Projects–Canara Bank	447000	459000	447000	459000
	4.3 हालमार्किंग / एसेयिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना Scheme for setting up of Hallmarking/ Assaying Centres	0	4500000	0	4500000
	कुल योग **GRAND TOTAL**	**4356651086**	**2069324068**	**1109645693**	**5316329461**

टिप्पणियाँ NOTES

1. निवेश के ब्यौरे परिशिष्ट II में दिए गए हैं।
The details of investment are given in Appendix II.

2. भा.मा. ब्यूरो निधि के निवेश पर टिप्पणियाँ परिशिष्ट I की टिप्पणी संख्या 2.3 में दी गई हैं।
Notes on Investment of BIS Funds are given at Note No. 2.3 of Appendix I.

3. उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर नियमों के संदर्भ में प्रोदभूत और देय ब्याज जो 31.3.2008 को प्राप्त नहीं हुए उसे अनुसूची एस – चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम क्रम संख्या 10(i) पर रुपये 464544832 के रूप में दर्शाया गया है।
The interest accrued but not due as on 31.3.2008 in respect of investment of BIS Funds at Sl No. 1 above amounted to Rs. 464544832 which has been shown in Schedules S – Current Assets, Loans & Advances at Sl No. 10(i).

अनुसूची एस–चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम
SCHEDULE S — CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2008 को स्थिति As on 31.3.2008	31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31.3.2007
1.	भण्डार (लागत पर) **Stock (at Cost)**		
	क) छपाई का कागज a) Printing Paper	440960	271988
	ख) प्रयोगशाला में उपकरण और स्टोर का सामान b) Laboratory Apparatus and Stores	1400645	1447779
	ग) स्टेशनरी तथा कंप्यूटर की खपत योग्य सामग्री और कैंटीन c) Stationery, Computer Consumables and Canteen	2132716	1795876
	घ) मरम्मत और रख–रखाव की खपत योग्य सामग्री d) Repair & Maintenance Consumables	955021	986795
	ड.) स्वर्ण आभूषणों का स्टॉक e) Stock of Gold Jewellery	762018	762018
	योग Total	**5691360**	**5264456**
2.	फुटकर लेनदारियाँ **Sundry Debtors**		
	क) प्रकाशनों की बिक्री a) Sale of Publications	1720140	1696570
	ख) प्रमाणन b) Certification	11463630	6717244
	ग) प्रमाणन—आवेदन शुल्क की संशोधित बकाया राशि, नवीकरण शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क (*देखें* टिप्पणी 2.19) c) Certification—Revision arrears of application fee, renewal fee and annual licence fee (*see* Note 2.19)		
	— संदिग्ध ऋण Doubtful Debts	–	4462029
	— अन्य Others	–	–
	योग Total	**13183770**	**12875843**
3.	ऋण और अग्रिम **Loans and Advances**		
	क) निम्नलिखित के लिए कर्मचारियों को ऋण: a) Loans to employees for:		
	i) वाहन की खरीद के लिए Purchase of Conveyance	10342859	10809470
	ii) आवास निर्माण के लिए House Construction	23049953	26168894
	iii) कंप्यूटर के लिए Computer	3022807	2154797
	ख) निम्नलिखित के लिए कर्मचारियों को अग्रिम: b) Advances to employees for:		
	i) त्यौहार Festival	679855	606505
	ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural Calamities	20750	101650
	iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	2789188	2390179
	iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	666869	602045
	v) पंखा अग्रिम Fan Advance	49	149

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2008 को स्थिति As on 31.3.2008	31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31.3.2007
ग) c)	समायोजनीय अग्रिम Adjustable Advances :		
	i) एकीकृत कम्प्यूटरीकरण की परियोजना (एनआईसी) (*देखें* टिप्पणी 2.9) Integrated Computerization Project (NIC) (*see* Note 2.9)	4945846	7800876
	ii) अन्य (क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / मुख्यालय) Others (ROs/BOs/HQ)	10763726	5524667
	iii) योजना परियोजना स्कीम (प्रयोगशाला उपकरण) Plan Project Scheme (Lab Equipment)	93672	188463
	iv) उपभोक्ता कल्याण निधि (एनबीसीसी) Consumer Welfare Fund (NBCC)	332260	332260
	v) पंजीयक–छोटे मामले न्यायालय–मुम्बई (*देखें* टिप्पणी 2.8) Registrar–Small Causes Court–Mumbai (*see* Note 2.8)	18360598	18360598
घ) d)	वसूली योग्य लेखे Accounts Recoverable :		
	i) वसूली योग्य लेखे (कर्मचारियों से) (*देखें* टिप्पणी 2.18) Accounts Recoverable (Employees) (*see* Note 2.18)	354989	339732
	ii) सरकारी पार्टियों से वसूली योग्य (वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले विभाग से) Recoverables from Govt. Parties (From MOF, MEA & DCA)	6453831	4683573
	iii) वसूली योग्य लेखे (अन्य) (*देखें* टिप्पणी 2.17) Accounts Recoverable (Others) (*see* Note 2.17)	19531156	24232613
	योग Total	**101408408**	**104296471**
4.	**सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम Advances from GPF**	18221960	17617730
5.	**प्रतिभूति जमा Security Deposits**	2468897	2742208
6.	**पूर्वप्रदत्त व्यय Prepaid Expenses**	217277	215885
7.	**स्रोत पर काटा गया कर Tax Deducted at Sources**	23520274	14759726
8.	**प्राप्त सेवाकर (*देखें* टिप्पणी 2.21) Service Tax Receivable (*see* Note 2.21)**	1020135	420806
9.	**हितकारी निधि (*देखें* टिप्पणी 2.16) Benevolent Fund (*see* Note 2.16)**	566224	830482
10.	**ब्याज प्राप्ति Interest Accrued**		
	i) भा मा ब्यूरो निधि BIS Fund	464544832	310183998
	ii) सा. भ. निधि GP Fund	15136151	15852357
	iii) नई पेंशन योजना New Pension Scheme	391663	–
	iv) अन्य Others	67665	2866
	योग Total	**480140311**	**326039221**
11.	**रोकड़ तथा बैंक शेष Cash and Bank Balances**		
	क) बैंक से a) With Banks		
	–पेंशन देयता खाते के प्रति Towards Pension Liability Account	12793837	5888850
	– मुख्यालय में लेखा Accounts at Headquarters	48216223	47226018
	– क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों में लेखा Accounts at Regional / Branch Offices	51596986	62248214
	ख) हाथ में (इम्प्रेस्ट सहित), b) In hand (including imprest)	688013	561583
	ग) फ्रेंकिंग मशीन शेष, c) Franking Machine Balance	291628	212175
	घ) पारवहन में चैक, d) Cheques in Transit	6250000	–
	योग Total	**119836687**	**116136840**
	कुल योग Grand Total	**766275303**	**601199668**

अनुसूची टी–चालू देयताएँ SCHEDULE T — CURRENT LIABILITIES

[राशि रुपयों में / Amount in Rupees]

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2008 को स्थिति As on 31.3.2008	31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31.3.2007
1.	फुटकर देनदारियाँ Sundry Creditors		
	क) देश में a) Inland	24889321	20409870
	ख) विदेश में b) Abroad	9291276	7500000
	ग) बयाना जमा राशि/प्रतिधारण धन c) Earnest Money Deposits/Retention Money	16628042	14835545
2.	ग्राहक बकाया Customer Balances		
	क) बिक्री a) Sales	346227	415039
	ख) प्रमाणन b) Certification	8380380	8122738
3.	भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के) Accounts Payable (Employees)	452943	595982
4.	गुजरात सरकार (अ.शा.का. भवन खाता) Govt. of Gujarat (ABO Building A/c)	1312111	1399666
5.	यूएनडीपी सहायता—अव्ययितशेष UNDP Assistance — Unspent Balance	210702	210552
6.	देय सेवा कर Service Tax Payable	429369	352539
7.	अप्रदत वेतन Unpaid Salaries	822	822
8.	आस्थगित आय लेखा Deffered Income A/c	8000000	–
	योग **TOTAL**	**69941193**	**53842753**

परिशिष्ट-I

लेखाकरण संबंधी नीतियाँ / लेखा पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण संबंधी नीतियाँ

i) आय एवं व्यय स्वीकृति

प्रमाणन एवं विविध आय का लेखाकरण सामान्यतः नकद आधार पर किया जाता है। बिक्री आय का लेखाकरण सामान्यतः प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज को छोड़कर, जिनका लेखाकरण नकद आधार पर किया जाता है, निवेशों पर ब्याज आय का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

ii) निवेश

निवेशों को लागत पर दिखाया जाता है।

iii) माल सूचियाँ

नीतिगत रूप से भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखाकरण नहीं किया जाता। किन्तु कागज, प्रयोगशाला, उपभोज्य मदों, लेखा सामग्री तथा स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

iv) अचल परिसंपत्तियाँ और मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों का ब्यौरा आयकर अधिनियम 1961 में सदृश परिसम्पत्तियों के लिए दी गई दरों से बही खाते डाले गए मूल्य पर प्रभारित करने की विधि द्वारा प्राप्त संचित मूल्यह्रास को घटाकर लागत पर किया जाता है।

v) सामान्य भविष्य निधि खाते

कर्मचारियों के सा.भ.नि. खाते में अधिशेष / कमी को सा.भ.नि. खाते में नहीं रखा जाता है और इसे ब्यूरो की आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

vi) अग्रिम

कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण / वाहन खरीद अग्रिमों पर ब्याज का लेखाकरण मूलराशि की वसूली के पश्चात् लेखों में किया जाता है।

2. लेखा पर टिप्पणियाँ

2.1 पेंशन देयता लेखा [अनुसूची ओ (बी)] केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 द्वारा शासित कर्मचारियों के संदर्भ में

2.1.1 पेंशन / सेवानिवृत्ति के लाभ देयता के निर्धारण पर मै. हेविट आउटसोर्सिंग सर्विसेज़ इंडिया लि. की वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट का कार्यकारिणी समिति (ईसी) ने 23.3.2006 को आयोजित अपनी 70 वीं बैठक में अनुमोदन कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार 31.3.2005 तक पेंशन और ग्रेच्युटी की कुल प्रोदभूत देयता रु. 36422.00 है। इसके अतिरिक्त सेवारत कर्मचारियों की भावी सेवा पेंशन देयता का वास्तविक मूल्य रु. 7298.00 लाख तथा भावी सेवा ग्रेच्युटी देयता का वास्तविक मूल्य रु. 464.00 लाख है जिसके लिए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का क्रमशः

APPENDIX-I

ACCOUNTING POLICIES/NOTES ON ACCOUNTS

1. ACCOUNTING POLICIES

i) Income & Expenditure Recognition

Certification and miscellaneous income is accounted on cash basis. Sales income is accounted on accrual basis. Interest income on investments is accounted on accrual basis excluding the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

ii) Investments

Investments are shown at cost.

iii) Inventories

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the stock of paper, laboratory consumables, stationery and gold are valued at cost.

iv) Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation charged on written down value method derived from the rates provided for the corresponding assets in the Income-tax Act 1961.

v) GPF Accounts

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are not kept in the GPF Account and the same are treated as income/expense of the Bureau.

vi) Advances

The interest on house building/vehicle advances given to employees is accounted for in the accounts after recovery of principal amount.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 Pension Liability Account [Schedule O(b)] – in respect of employees governed by Central Civil Services Pension Rules, 1972

2.1.1 The Acturial Valuation Report for assessment of liability for Pension/Retirement benefits of M/s Hewitt Outsourcing Services India Ltd, was approved by Executive Committee in its 70th meeting held on 23.3.2006. According to Report, the total accrued liability in respect of Pension and Gratuity amounted to Rs.36422.00 lakhs as on 31.3.2005. In addition to this the actuarial value of future service pension liability of active employees amounted to Rs. 7298.00 lakhs and the actuarial value of future service gratuity liability amounted to Rs. 464.00 lakhs for which an annual

20.40 प्रतिशत एवं 1.20 प्रतिशत का अंशदान वार्षिक रूप से देयता को पूरा करने के लिए लिया जाएगा।

2.1.2 वास्तविक रिपोर्ट के अनुरूप 31.3.2008 तक पेंशन देयता लेखा में निम्नलिखित जमा/नामे किए गए :

2.1.2.1 अर्हक वेतन के 20.4 प्रतिशत की दर पर परिकलित सेवारत कर्मचारियों की भावी सेवा पेंशन देयता के लिए 5,29,94,522 रुपए की राशि तथा अर्हक वेतन के 1.20 प्रतिशत की दर पर परिकलित भावी सेवा उपदान देयता के लिए 42,87,062 रुपए की राशि, जो कुल मिला कर 5,72,81,584 रुपए बैठती है, **'पेंशन देयता के लिए प्रावधान के लिए अंशदान खाता' [अनुसूची घ – मद (2)]** में प्रभारित कर दी गई है तथा उसे लेखा शीर्ष **पेंशन देयता खाते [अनुसूची ओ (बी) (iv)]** में जमा कर दिया गया है।

2.1.2.2 चूंकि कुल अर्जित ब्याज में पेंशन देयता लेखा में निवेश पर ब्याज तथा पूंजीगत निधि शामिल है इसलिए पूर्व परिपाटी के अनुसार 2007–08 के कुल अर्जित रु. 40,63,83,218 के ब्याज को 'पेंशन देयता खाता एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 1.4.2007 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है।

(राशि रुपयों में)

	1.4.2007 तक आरंभिक शेष	1.4.2007 तक आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित रु. 40,63,83,218 का ब्याज
पेंशन देयता खाता [अनुसूची 'ओ (बी)']	357,03,15,327	32,41,26,995
पूंजीगत निधि (अनुसूची 'एन')	90,60,66,625	8,22,56,223
कुल	447,63,81,952	40,63,83,218

अतः "पेंशन देयता रु. 32,41,26,995 के अर्जित ब्याज को पेंशन देयता खाते **[अनुसूची ओ (बी) – मद (ii)]** में जमा कर दिया है तथा शेष ब्याज रु. 8,22,56,223 को आय एवं व्यय लेखा **(आय समूह का क्रम 6)** में दिखाया गया है।

लेखा नीति के अनुसार ब्याज आज की पहचान के लिए यूपीसीएसएमएफएल, एमपीईबी और एमपीएसआईडीसी में चूंके निवेश पर संचयी प्रोदभूत ब्याज को आय के रूप में नहीं लिया गया है। इसे वर्ष की आय में तब लिया जाएगा जब इस पर वास्तव में ब्याज प्राप्त होगा। आईएफसीआई के संदर्भ में संविदात्मक दर और परिपक्व हुए निवेश पर 1.4.2003 से 9 प्रतिशत के ब्याज के अंतर को वास्तविक प्राप्ति के वर्ष की आय में डाला जाएगा।

contribution of 20.40 percent and 1.20 percent respectively of basic pay and dearness pay shall be made every year to meet up this liability

2.1.2 In consonance with the actuary report, the following credits/debits have been made to the Pension Liability Account as on 31.3.2008:

2.1.2.1 An amount of Rs. 5,29,94,522 towards future service pension liability of active employees calculated @ 20.4 percent of qualifying salary and Rs. 42,87,062 towards future service gratuity liability calculated @ 1.20 percent of qualifying salary, totalling to Rs. 5,72,81,584 has been charged to Income and Expenditure Account under the account head **'Contribution to Pension Liability Account' [Schedule D – Item (2)]** and credited to account head **'Pension Liability Account' [Schedule O(b) (iv)].**

2.1.2.2 Since the total interest earnings includes the interest on the Investment towards Pension Liability A/c, as well as Capital Fund, therefore, as per the previous practice, the total interest earnings of 2007-08 which stood at Rs. 40,63,83,218 have been apportioned between Pension Liability A/c and Income & Expenditure A/c in the ratio of opening balance as on 1.4.2007 in Pension Liability Account and Capital fund A/c as under:

(Amount in Rupees)

	Opening Balance as on 1.4.2007	Interest of Rs. 40,63,83,218 apportioned in the ratio of opening balance on 1.4.2007
Pension Liability A/c [Schedule 'O(b)']	357,03,15,327	32,41,26,995
Capital Fund (Schedule 'N')	90,60,66,625	8,22,56,223
Total	447,63,81,952	40,63,83,218

Therefore the interest earnings of Rs. 32,41,26,995 have been credited to **"Pension Liability Account" [Schedule O(b) – Item (ii)]** and the remaining interest earnings of Rs.8,22,56,223 appear in the Income & Expenditure Account **(Sl. 6 of Income Group)**.

As per the Accounting Policy for recognition of the interest income, the cumulative interest accrued on default investments in UPCSMFL, MPEB and MPSIDC has not been considered as income.It shall be considered as income in the year when the interest is actually received. As regards IFCI, the difference of interest between contractual rate and 9 percent w.e.f. 1.4.2003 on investments already matured shall be credited to income in the year of actual receipt.

2.1.2.3 वर्ष 2007–08 के दौरान पेंशन, उपदान तथा कम्युटेशन के कुल भुगतानों की राशि **रु. 14,24,18,246** थी (प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से रु. 2,95,885 रुपए तथा अंशदान सामान्य निधि योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से **रु. 22,76,767** की निवल प्राप्तियों को सी.सी.एस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पेंशनर्स में परिवर्तित कर दिया गया है)। इसे **'पेंशन देयता खाते [अनुसूची ओ(बी) – मद v]** नामे डाल दिया गया है।

2.1.2.4 उक्त लेनदेनों के परिणामस्वरूप पेंशन देयता खाते में शेष राशि 31.3.2006 को **रु. 380,93,05,660** बैठती है [अनुसूची ओ(बी)]।

2.1.3 पेंशन निधि खाते के लिए भा.मा. ब्यूरो नियमावली 1987 में नियम 17 एच को शामिल करने का प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव : यह प्रस्ताव उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

2.2 1.1.2004 से आगे भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू अंशदायी [अनुसूची ओ (ए) – मद 2(ख)] नई पेंशन योजना : 4.2.2004 के का. ज्ञा. सं. 1(7) (2)/2003/टीए/67–74 के साथ पठित भारत सरकार के आदेश सं. जीआई.एम.एफ. (सीजीए) का. ज्ञा. सं.1(7) (2)/2003/टीए/11 दिनांक 7.1.2004 के अनुसार 1.1.2004 से आगे (केन्द्रीय सरकारी विभागों से आए कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर) भा. मा. ब्यूरो में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर सरकार की नई पेंशन योजना प्रयोज्य है। 1.4.2007 को अंशदायी नई पेंशन योजना में आरंभिक शेष की राशि **रु. 31,16,943** लाख थी। वर्ष के दौरान योजना निधि में कर्मचारियों के अंशदान तथा भा. मा. ब्यूरो का अंशदान **रु. 35,30,815** था (उन कर्मचारियों के प्रतिदायों को घटा कर जिन्होंने भा. मा. ब्यूरो छोड़ दिया तथा ब्याज को जमा करके)। इस प्रकार 31.3.2008 को अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि **रु. 66,47,758** थी।

2.3 निधियों का निवेश

2.3.1 कुल निवेशः भा मा ब्यूरो (अनुसूची आर – मद 1): 31.3.2008 को कुल निवेश लगभग **रु. 461,12,71,583** लाख है। वर्ष 2007–08 में निवल लेन–देन निम्नानुसार हैं:

(राशि रु. में)

1.4.2007 तक निवेश		**370,00,01,186**
2007–08 दौरान सकल वर्धन	200,92,69090	
2007–08 के दौरान सकल परिपक्वताएँ (–)	109,79,98693	
2007–08 के दौरान निवल वर्धन		**91,12,70,397**
2007–08 तक निवेश		**461,12,71,583**

2.3.2 निवेश का आबंटन : **रु. 380,93,05,660** के कुल निवेश में से **रु. 461,12,71,583** निवेश आवंटित किए गए हैं तथा उन्हें **"पेंशन देयता खाते"** के अंतर्गत रखा गया है (अर्थात् पेंशन देयता खाते के

2.1.2.3 The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2007-08 amounted to **Rs. 14,24,18,246** [net of receipts of **Rs. 2,95,885** from deputationists and **Rs. 22,76,767** from employees retired under Contributory Provident Fund Scheme which have been converted into pensioners under C.C.S.(Pension) Rules 1972.] This has been debited to **'Pension Liability Account' [Schedule O(b) – Item v].**

2.1.2.4 As a result of the above transactions, the balance in the Pension Liability Account thus amounts to **Rs. 380,93,05,660** as on 31.3.2008. **[Schedule O(b)]**

2.1.3 Proposal for making a Provision in BIS Rules, 1987 for insertion of Rule 17H regarding Pension Fund Account: The proposal is under consideration of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Ministry of Finance.

2.2 Contributory New Pension Scheme Fund [Schedule O(a) – Item 2(b)] applicable to recruits from 1.1.2004 onwards: The new pension scheme of Govt. of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004 (except in cases of employees who joined from Central Government Departments) onwards as per GOI Order No. GI.M.F.(CGA) O.M. No. /(7)(2)/2003/TA/11 dated 7.1.2004 read with O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/67-74 dated 4.2.2004. The opening balance in Contributory New Pension Scheme Fund as on 1.4.2007 amounted to **Rs. 31,16,943**. The contribution of employees and BIS contribution during the year amounted to **Rs. 35,30,815** (net of refunds to employees who left BIS and the interest credited). The balance in the Contributory New Pension Scheme Fund as on 31.3.2008 thus amounted to **Rs. 66,47,758.**

2.3 Investment of Funds

2.3.1 Total Investments: BIS (Schedule R – Item 1): The total investments of BIS Funds as on 31.3.2008 amounted to **Rs. 461,12,71,583**. The net of transaction during 2007-08 is as under:

(Amount in Rupees)

Investments as on 1.4.2007		**370,00,01,186**
Gross Additions during 2007-08	200,92,69090	
Gross Maturities during 2007-08	(-)109,79,98693	
Net Additions during 2007-08		**91,12,70,397**
Investments as on 31.3.2008		**461,12,71,583**

2.3.2 Allocation of Investment : Out of total investment of **Rs. 461,12,71,583** the investments of **Rs. 380,93,05,660** have been allocated and kept under **"Investment toward Pension Liability A/c"** (that is

बराबर) **(अनुसूची 'आर' के मद 1.1)**। रु. **80,19,65,923** के शेष निवेश को पूंजी निधि में भा. मा. ब्यूरो के सामान्य निवेशों से संबंधित हैं। **(अनुसूची 'आर' की मद 1.3)**।

2.3.3 यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी और एमपीएसआईडीसी में निवेशों से संबंधित अर्जित ब्याज तथा देय ब्याज की चूक हुई है। वित्त समिति ने 2.5.2005 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी और एमपीएसआईडीसी के संबंध में भी समझौता प्रस्तावों पर विचार किया तथा उनके प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। वित्त समिति ने यह निर्णय भी लिया की ऐसे सभी चूक करता निवेशों में कानून को अपना कार्य करने दिया जाए। जिनमें माननीय न्यायालयों में मामले दायर किये गए हैं।

2.3.4 निवेशों की परिपक्वता की तिथि तक चूके ब्याज की संस्थावार राशि निम्न प्रकार है: –

Equal to the amount of Pension Liability A/C) **[Item 1.1 of Schedule 'R']**. The balance investments of **Rs. 80,19,65,923** pertains to General Investments of BIS **towards Capital Fund. (Item 1.2 of Schedule 'R')**

2.3.3 The interest accrued and due have been defaulted in respect of investments in UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC. The Financial Committee(FC) in its 28th meeting held on 2.5.2005 considered the settlement proposals in respect of UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC and decided to reject their offers. FC also decided that let the law take its own course in all such default investments where the cases have been filed in the Hon'ble Courts.

2.3.4 The Institution wise amount of interest default till the date of maturity of investments are as under:

(रुपये लाखों में /Rs. in lakhs)

संस्था **Institution**	ब्याज की दर **Rate of Interest**	निवेश की राशि **Amount of Investment**	निवेश की तिथि **Date of Investment**	परिपक्वता की तिथि **Date of Maturity**	तिथि जब से ब्याज की अदायगी नहीं की गई है **Date since when Interest is Defaulted**	अदायगी न किए जाने की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक कूपन दर पर ब्याज **Interest from Date of Default to Maturity Date at Coupon Rate**
यू पी को ऑपरेटिव एण्ड स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यू.पी.सी. एस.एम.एफ.एल.) U.P. Cooperative & Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL)	16%	200.00	17.12.1998	30.4.2003 (33%) 30.10.2003 (33%) 30.10.2004 (34%)	1.5.2000	128.00 (4 years 6 months) (4 वर्ष 6 माह)
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एम.पी.एस.ई.बी) Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB)	15%	100.00	31.10.1998	1.12.2003 (1/3rd) 1.12.2004 (1/3rd) 1.12.2005 (1/3rd)	1.7.2001	66.25 (4 years 5 months) (4 वर्ष 5 माह)
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (MPSIDC)						
भा मा ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	14.40%	300.00	2.11.1999	31.1.2005	1.11.2001	140.40
सामान्य भविष्य निधि GPF Funds	14.40%	45.00	17 .11.1999	31.1.2005	1.11.2001	21.06
निधियाँ		**345.00**				(3 years 3 months) (3 वर्ष 3 माह)

चूककर्ता निवेशों के उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:–

यूपीसीएसएमएफएल : 1.5.2005 से परिपक्वता की तिथि तक देय ब्याज के साथ–साथ परिपक्वता तिथियों पर देय निवेश की मूल राशि यूपीसीएसएमएफएल से प्राप्त नहीं हुई हैं। भा मा ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला दायर किया है जिस पर निर्णय लम्बित है। सम्पूर्ण ब्याज को छोड़कर केवल मूल धनराशि स्वीकार करने के लिए यूपीसीएसएमएफएल का भा मा ब्यूरो को मै. दाराशॉ एण्ड कंपनी के माध्यम से प्राप्त एकबारगी समझौता प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

एमपीएसईबी : 1.7.2001 से परिपक्वता की तिथि तक ब्याज तथा साथ ही परिपक्वता तिथियों को देय निवेश की मूल राशि एमपीएसईबी से प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला दायर किया है जिस पर निर्णय लम्बित है। कूपन दर के स्थान पर ब्याज को कम करके बकायदार तिथि से 31.3.2005 तक 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने तथा 30.11.2005 तक 8 प्रतिशत करने के लिए एमपीएसईबी के भारतीय मानक ब्यूरो को प्राप्त प्रस्ताव वित्तीय समिति द्वारा 19 जून 2006 को आयोजित इसकी 32वीं बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया था। वित्त समिति ने यह निर्णय भी किया कि भा मा ब्यूरो राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में अपने मामले का परिशीलन जारी रखेगा।

एमपीएसआईडीसी : 1.11.2001 से परिपक्वता की तिथि तक ब्याज तथा ही साथ परिपक्वता तिथि को देय निवेश की मूल राशि एमपीएसआईडीसी से प्राप्त नहीं हुई है। 1.11.2001 से देय सम्पूर्ण ब्याज को छोड़कर केवल मूल धनराशि स्वीकार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को एमपीएसआईडीसी का प्रस्ताव वित्तीय समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। भा. मा. ब्यूरो ने भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष मामला दायर किया था। मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग ने भा. मा. ब्यूरो के पक्ष में निर्णय दिया। एमपीएसआईडीसी द्वारा राष्ट्रीय आयोग में दायर अपील खारिज कर दी गई। भा मा ब्यूरो ने 16 अप्रैल 2007 को माननीय उच्चतम न्यायालय में आपत्ति सूचना दायर की गई है ताकि यदि एमपीएसआईडीसी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करे तो कोई एक पक्षीय निर्णय/आदेश पारित न हो। माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एमपीएसआईडीसी द्वारा 24 अगस्त, 2007 को दायर विशेष लीव याचिका सं. 14186/2007 को खारिज कर दिया। रु. 345 लाख तथा 1 नवम्बर, 2001 से आज तक के ब्याज की वसूली हेतु माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष मूल याचिका सं. 84/2007 दायर की गई।

2.3.5 आईएफसीआई में निवेश : 12.10 प्रतिशत से 14.75 प्रतिशत के बीच की विभिन्न ब्याज दरों पर आईएफसीआई में कुल निवेश भा मा ब्यूरो निधियों से 1180 लाख रुपए और सामान्य भविष्य निधि से 285 लाख रुपए था। ब्याज दरों में आम गिरावट के परिणामस्वरूप इसकी पुनर्संरचना के कारण आईएफसीआई 1.4.2003 से आगे ब्याज दर को 9 प्रतिशत पर पुनः निर्धारित करने तथा परिपक्वता को एक अन्य 5 वर्षों या अधिक समय के लिए बढ़ाने पर सहमत होने का अनुरोध भा मा ब्यूरो से कर रहा था। स्वीकृत किए जाने पर यह प्रस्ताव परिपक्वता

The status in above cases of default investments is as under:

UPCSMFL : The interest from 1.5.2000 to date of maturity as well as the principal amount of investment due on maturity dates have not been received form UPCSMFL. BIS had filed case before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) which is pending for decision. The one time settlement proposal of UPCSMFL to BIS received through M/s. Darashaw & Co. to accept principal only by foregoing entire interest due was rejected by Financial Committee.

MPSEB : The interest from 1.7.2001 to date of maturity as well as the principal amount of investment due on maturity dates have not been received from MPSEB. BIS had filed case before the National Consumer Disputes Redressal Commission. (NCDRC) which is pending for decision. The proposal of MPSEB to BIS for reduction of interest rate to 7 percent p.a. from date of default to 31.3.2005 and 8 percent upto 30-11-2005 in place of coupon rate was rejected by Financial Committee in its 28th meeting held on 28-5-2005 and 32nd meeting held on 19 June 2006. FC also decided that BIS may continue to pursue its case in National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC).

MPSIDC : The interest from 1.11.2001 to date of maturity as well as the principal amount of investment due on maturity dates have not been received from MPSIDC. The proposal of MPSIDC to BIS to accept the principal only by foregoing the entire interest due since 1.11.2001 was rejected by Financial Committee. BIS had filed case before the M.P. State Consumer Redressal Commission in Bhopal. The case was decided by M.P.State Consumer Dispute Redressal Commission in favour of BIS. The Appeal filed by MPSIDC in National Commission was dismissed. A Caveat was filed by BIS in Hon'ble Supreme Court on 16 April 2007 so that there is no ex-parte decision/order passed if MPSIDC appeals before Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court of India has dismissed the Special Leave Petition No. 14186/2007 filed by MPSIDC on 24 August 2007. The Original Petition No. 84/2007 for recovery of Rs. 345 lakhs and interest w.o.f. 1 November 2001 till date has been filed before the Hon'ble National Commission.

2.3.5 Investment in IFCI : Total investment with IFCI from BIS Funds was Rs. 1180 lakhs and from G.P. Fund Rs. 285 lakhs at various rates of interest ranging from 12.10 percent to 14.75 percent. Due to its restructuring as a result of general fall in interest rates, IFCI had been requesting BIS to agree to reset the interest rate at 9 percent w.e.f. 1.4.2003 onwards and to shift the maturity for another 5 years or more. This proposal if accepted will

तक सभी निवेशों पर भा मा ब्यूरो तथा भा मा ब्यूरो सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज में 1.36 करोड़ रुपए की कमी में परिणामी होगा। भा मा ब्यूरो ने 28.5.2003 को आयोजित वित्तीय समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आईएफसीआई के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा उन्हें सूचित किया कि वे देय तिथियों को सम्मत ब्याज दर तथा परिपक्वता राशि अदा कर दें। आईएफसीआई ने भा मा ब्यूरो के निवेशों पर ब्याज की अदायगी 9 प्रतिशत की घटी दर पर की थी। भा मा ब्यूरो ब्याज की अंतरराशि की अदायगी के लिए आईएफसीआई से अनुरोध करता रहा है तथा इसने कानूनी नोटिस भी जारी किए है। कानूनी परामर्शदाता की अनुशंसा के अनुसरण में तथा भा. मा. ब्यूरो, महानिदेशक के अनुमोदन से भा मा ब्यूरो द्वारा आईएफसीआई लि. के विरूद्ध परिसमाप्न याचिका डायरी संख्या 5038 दिनांक 18.4.2007 के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

रु. 1465 लाख के कुल निवेश में से रु. 1385 लाख का निवेश परिपक्व हो गया था। रु. 80 लाख के शेष निवेश की परिपक्वता 7.6.2009 को होगी। तथापि आईएफसीआई लि. ने अपने लिए में रु. 80,00,000 के शेष निवेश (रु. 13.25 प्रतिशत की मूल ब्याज दर पर) के पूर्वपरिपक्व ऋणमोचन के लिए एकपक्षीय तरीके से स्वयं अपने पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 के द्वारा 24 दिसम्बर, 2007 की तिथि के कुल रु. 83,94,521 के तीन चैक भेजे (रु. 80,00,000 मूलधन और 9 प्रतिशत की दर से रु. 3,94,521 का ब्याज) और भा मा ब्यूरो से डिस्चार्ज प्रमाणपत्र भेजने तथा/अथवा डिमैटीरियलाईज फार्म में भा.मा.ब्यूरो की होल्डिंग्स को आईएफसीआई डिमैट खाते में अंतरित करने का आग्रह किया, यदि ऐसा न किया गया हो। भा. मा. ब्यूरो ने आईएफसीआई को पत्र दिनांक 31.12.2007 के द्वारा सूचित किया था कि भा मा ब्यूरो देय ब्याज के अन्तर के लिए प्राप्त राशि तथा आईएफसीआई के भा मा ब्यूरो की तरफ बकाया राशि को समयोजित करेगा तथा लम्बित समाप्न याचिका में शेष राशि का दावा करेगा।

भारतीय चार्टिड एकाउंटेट संस्थान के राजस्व मान्यता (एएस–9) पर लेखा मानक के अनुसार अन्यों द्वारा उद्यम संसाधनों के उपयोग से अर्जित ब्याज इत्यादि से होने वाले राजस्व को तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब मापकता अथवा संग्रहणीयता में कोई विशेष अनिश्चिततता न हो। इस प्रकार आईएफसीआई से प्राप्त कुल रु. 83,94,521 की राशि में से रु. 3,94,521 की राशि की 2007–08 के लिए ब्याज से आय के रूप में पहचान की गई तथा भा मा ब्यूरो द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों में दायर याचिका का अंतिम फैसला होने तक रु. 80,00,000 की राशि को पहचान के लिए अस्थगित कर दिया गया। इसलिए रु. 80,00,000 की मूल राशि को आईएफसीआई से बकाया राशि के रूप में दर्शाया गयाहै तथा निवेश अनुसूची **(अनुसूची 'आर' – मद 1)** में शामिल किया गया है और तदनुरूप वर्तमान देयताओं **(अनुसूची 'टी' – मद 8)** की अनुसूची में 'अस्थगित आय खाता' की खाता मद में दिखाया गया है।

2.4 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए अवसंरचना सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता [अनुसूची ओ (ए) – मद 1.2 (क)] : रु. 3,32,260 की निवल अग्रिम राशि में से सहायता की अव्ययित अधिशेष राशि 1.4.2007 को रु. 86,750 थी। बैंक ने वर्ष 2007–08 के दौरान इस निधि के बचत बैंक खाते में कुल रु. 4,855 का ब्याज जमा किया जो कि उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में जमा कर दिया गया है। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण संस्थान नोएडा ने पुस्तकालय की

result into shortfall of interest by Rs. 1.36 crore to BIS & BIS GPF on all investments till maturity. BIS did not accept the IFCI's offer as per the decision taken in the meeting of 20th FC held on 28.5.2003 and informed IFCI to pay to BIS the agreed rate of interest and maturity amount on due dates. IFCI had paid the interest on all investments of BIS at the reduced rate of 9 percent. BIS has been requesting IFCI for payment of the difference of the interest and also issued legal notices. In consonance with the recommendation of the legal counsel, and with the approval of DG:BIS, winding up petition against IFCI Ltd. were filed by BIS before the Hon'ble High Court of Delhi vide Diary No. 5038 dated 18.4.2007.

Out of total investment of Rs. 1465 lakhs , the investment of Rs. 1385 lakhs had matured. The maturity of remaining investment of Rs. 80 lakhs was due on 7.6.2009. However IFCI Ltd., vide its letter dated 19 December 2007 in a unilateral manner at their own had sent three cheques dated 24 December 2007 totaling to Rs. 83,94,521 (Rs. 80,00,000 of Principal and Rs. 3,94,521 of Interest @ 9 percent) towards **premature** redemption of remaining investment of Rs. 80,00,000 in IFCI Ltd, (original rate of interest of Rs. 13.25 percent) and requested BIS to send them the discharged certificates and/or transfer BIS holdings in dematerialized form to IFCI Demat Account, if not done already. BIS intimated to IFCI vide letter dated 31.12.2007 that BIS shall adjust the amount received against the difference of interest due and outstanding from IFCI to BIS and shall claim the balance amount in the pending winding up petition.

According to the accounting standard on revenue recognition(AS-9) of Institute of Chartered Accountant of India, the revenue arising from the use by others of enterprise resources yielding interest etc should only be recognized when no significant uncertainty as to measurability or collectability exists. Hence, out of the total amount of Rs. 83,94,521 received from IFCI, the amount of Rs. 3,94,521 has been recognized as interest income of 2007-08 and Rs. 80,00,000 has been deferred for recognition till the final settlement of the petition filed by BIS in the Hon'ble High Court. Therefore, the principal amount of Rs. 80,00,000 has been shown as outstanding from IFCI and included in the Schedule of Investment **(Schedule 'R' – Item 1)** and correspondingly shown under the Account Head "Deferred Income A/c" in Schedule of Current Liabilities **(Schedule 'T' – Item 8)**.

2.4 Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida [Schedule O(a) – Item 1.2(a)] : The unspent balance of the assistance as on 1.4.2007 net of advances of Rs. 3,32,260 amounted to Rs. 86,750. The interest credited by bank in the Saving Bank Account of this fund amounted to Rs.4,855 during 2007-08 and was credited to Consumer Welfare Fund Account itself. An expenditure of Rs. 21,798 was incurred

पुस्तकों की खरीद पर रु.21,798 का व्यय किया और उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में प्रभारित किया गया। 31.3.2008 को उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में निवल अव्ययित शेष (रु. 3,32,260 का अग्रिम खाते में लेन के बाद) रु. 69,808 रहा [अर्थात **अनुसूची ओ (ए) – मद 1.2 (क)]** के अनुसार रु. 4,02,067 में से एनबीसीसी को अग्रिम रु. 3,32,260 की राशि को घटाकर जिसे अभी समायोजित किया जाना है **[अनुसूची एस – मद 3(ग) (iv)]**।

2.5 केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/आकलन केन्द्रों की स्थापना की योजना : भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 30.9.2005 के अपने पत्र सं. 8/2/2004 भा मा ब्यूरो के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/आकलन केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा साथ ही वर्ष 2005–06 के दौरान योजना आरम्भ करने के लिए भा मा ब्यूरो को 50 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त भी कर दी है। इस योजना में 1.4.2007 को अव्ययित शेष राशि रु. 24,18,768 है। इस योजना के लिए 2007–08 के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग से एक करोड़ रु. की सहायता राशि और मिली। 2007–08 के दौरान रु. 32,47,894 की राशि खर्च की गई। इस योजना के बचत बैंक खातें में बैंक ने ब्याज जमा किया तथा वर्ष 2007–08 में अल्पावधि जमा पर रु.1,18,121 के अर्जित ब्याज को योजना के खातें में ही डाल दिया गया। इसलिए 31.3.2008 को इस योजना में अव्ययित शेष राशि रु. 92,88,995 रही **[अनुसूची ओ (ए) – मद 1.2 (ख)]**।

2.6 ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत "उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता संरचना" पर उपभोक्ता मामले विभाग की योजनाएं : उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने **'उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता संरचना'** के अंतर्गत अपनी नई निम्नलिखित योजनाओं को लागू करने के लिए भा. मा. ब्यूरो को फंड आवंटित किए हैं :

i) राष्ट्रीय मानकीकरण पद्धति
ii) राष्ट्रीय अनुरूपता मूल्यांकन एवं अनुपालन पद्धति
iii) शैक्षणिक संस्थानों में एचआरडी एवं क्षमता सृजन

भा. मा. ब्यूरो उपरोक्त योजनाएँ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने अनुमोदन पत्र सं. 8/8/2007–भा.मा.ब्यूरो द्वारा **'शैक्षणिक संस्थानों में एचआरडी एवं क्षमता सृजन'** योजना के अंतर्गत 2007–08 के दौरान रु. 50,00,000 का फंड जारी किया था। इसके चैक दिनांक 29.3.2008 अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ इसलिए इसकी राशि को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की अनुसूची [अनुसूची एस – मद 11 (डी)] के अंतर्गत "चैक इन ट्रांजिट" की लेखा मद

by Training Institute Noida during the year on purchase of Library Books and has been charged to Consumer Welfare Fund Assistance Account. The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.3.2008 (after taking into account the advances of Rs. 3,32,260) amounted to Rs. 69,808 i.e. Rs. 4,02,067 as – per **Schedule O(a) – Item 1.2(a)** less Rs. 3,32,260 of advances to NBCC yet to be adjusted **[Schedule S – Item 3(c)(iv)]**.

2.5 Scheme for setting up of Gold Hall Marking/ Assaying Centres in India with Central Assistance: This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.9.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance and also released Rs. 50,00,000 to BIS to commence the scheme during 2005-06. The unspent balance in the scheme as on 1.4.2007 amounted to Rs. 24,18,768. Further assistance of Rs. One Crore under the scheme was received during 2007-08 from Department of Consumer Affairs Government of India. The amount spent during 2007-08 amounted to Rs. 32,47,894. The interest credited by bank in the Saving Bank Account of this scheme and the interest earned on short term deposit from this scheme amounted to Rs.1,18,121 during 2007-08 and was credited to the Scheme Account itself. Therefore, the unspent balance in this Scheme Account as on 31.3.2008 amounted to Rs. 92,88,995. **[Schedule O(a) – Item 1.2(b)]**.

2.6 Schemes of Department of Consumer Affairs on the project of "Quality Infrastructure for Consumer Protection" under XIth Five Year Plan: The department of Consumer Affairs, Govt. of India has allocated funds to BIS for implementation of its following new schemes under the project **'Quality Infrastructure for Consumer Protection'** :

i) National System of Standardization;
ii) National System of Conformity Assessment and Compliance;
iii) HRD and Capacity Building in Educational Institutions

The above schemes will be operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India. The Department of Consumer Affairs had released funds of Rs. 50,00,000 during 2007-08 under the scheme **'HRD and Capacity Building in Educational Institutions'** vide its sanction letter No. 8/8/2007-BIS dated 31.3.2008. Since the cheque dated 29.3.2008 was received in the next financial year, therefore, the amount has been kept under the account head "Cheques in Transit" under the schedule of Current Assets, Loans and

में रखा गया है। 31.3.2008 तक रु. 50,00,000 की अव्ययित निधि को अनुसूची "आरक्षित एवं निधि" में **[अनुसूची ओ(ए) – मद 1.2(ग)]** दिखाया गया है।

2.7 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से अनुदान : भारत सरकार, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दिनांक 31.3.2006 के अपने पत्र सं. 7/6/2005 एस टी के तहत भा मा ब्यूरो की दो प्रयोगशालाओं अर्थात बैंगलोर तथा मोहाली में सौर फ्लैट प्लेट संग्राहकों के लिए परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु रु. 16,50,000 का अनुदान स्वीकृत किया था। वर्ष 2006–07 के दौरान कुल 8,10,082 खर्च किए इसमें बंगलौर शाखा कार्यालय ने रु. 1,95,874 की राशि व्यय की। 1.4.2007 तक अनुदान की अव्ययित राशि रु. 14,54,126 थी। वर्ष 2007–08 के दौरान कुल रु. 8,10,082 खर्च किए इसमें बंगलौर प्रयोगशाला में (रु. 6,47,251) और मोहाली प्रयोगशाला में (रु. 1,62,831) व्यय किए गए। अतएव 31.3.2008 को अनुदान का अव्ययित की शेष राशि रु. 6,44,044 थी जिसे 2008–09 में अग्रेनीत कर दिया गया। **[अनुसूची ओ(ए) – मद 1.1(घ)]**।

2.8 मुम्बई में रिक्त कर दिए गए भा मा ब्यूरो के बिक्री कार्यालय के किराया मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतान : भा मा ब्यूरो का नावल्टी सिनेमा भवन, ग्रांट रोड, मुम्बई – 400007 में एक किराए के भवन में बिक्री कार्यालय था, जिसके मालिक मै. गुडविल थिएटर्स प्रा. लि. थे। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह परिसर अप्रैल 2004 में खाली कर दिया था। गुडविल थिएटर्स प्रा. लि. द्वारा 2000 का मामला सं. 60/82 दायर किया गया तथा लघु वाद न्यायालय, मुम्बई ने 9.9.05 को आज्ञप्ति के साथ निर्णय पारित कर दिया तथा भा मा ब्यूरो द्वारा अदा किए जाने वाला मासिक (मैं.) लाभ 1.6.2000 से 30.4.2004 तक 3255 वर्ग फुट के क्षेत्रफल के लिए 205 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर पर नियत किया जिस पर आवेदनपत्र की तिथि अर्थात 27.2.2002 से (मासिक) लाभ की सम्पूर्ण राशि के भुगतान पर मेंस (मासिक) लाभ की राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज लगेगा। पारित की गई आज्ञप्ति के अनुसार, 3,66,60,598 रुपए की कुल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। भा मा ब्यूरो द्वारा दायर की गई आस्थगन अपील पर माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सीपीसी (आपराधिक दंड संहिता) के आदेश 41 नियम 5 के अनुसार, आस्थगन इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि अपीलकर्ता सम्पूर्ण आज्ञप्ति राशि न्यायालय में जमा करा देगा। अनुरोध की गई आज्ञप्ति राशि के लिए अपीलकर्ता को उसके लिए बैंक गारंटी देने का अनुदेश दिया जा सकता है तथा चूंकि अपीलकर्ता विशेष संविधि के अधीन एक सरकारी संगठन है, आज्ञप्ति के तहत राशि सदैव सुरक्षित है। तथापि माननीय न्यायालय ने डिमांड ड्राफ्ट द्वारा न्यायालय में 50 प्रतिशत आज्ञप्ति राशि जमा करने तथा शेष 50 प्रतिशत राशि के लिए बैंक गारंटी देने का निदेश जारी करने 9.9.2005 के निर्णय तथा आदेश पर सहर्ष रोक प्रदान कर दी। तदानुसार केनरा बैंक के पास भा मा ब्यूरो की सावधि जमा प्राप्ति के प्रति भा. मा. ब्यूरो ने लघु वाद न्यायालय के पक्ष में रु. 1,83,00,000 की बैंक गारंटी प्राप्त की। 9.1.2006 को रजिस्ट्रार, लघु वाद न्यायालय के पक्ष में न्यायालय में रु. 1,83,60,598 की राशि जमा की गई। इस भुगतान को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत **[अनुसूची 'एस' – मद 3(ग) (v)]** में रखा गया है।

Advances **[Schedule S – Item 11(d)]**.The unspent fund of Rs. 50,00,000 as on 31.3.2008 has been shown under the Schedule "Reserves & Funds" . **[Schedule O(a) – Item 1.2(c)]**.

2.7 Grant from Ministry of Non-Conventional Energy Sources: The Government of India, Ministry of Non-Conventional Energy Sources vide its letter No. 7/6/2005-ST dated 31.3.2006 had sanctioned a grant of Rs. 16,50,000 for setting up of test facility for Solar Flat Plate Collectors at two laboratories of BIS i.e. Bangalore & Mohali. During the year 2006-07, Bangalore Branch Office had spent Rs. 1,95,874. The unspent balance of grant as on 1.4.2007 amounted to Rs. 14,54,126. During the year 2007-08 a sum of Rs. 8,10,082 was spent in Bangalore Laboratory (Rs. 6,47,251) and Mohali Laboratory (Rs. 1,62,831). Therefore the unspent balance of this grant as on 31.3.2008 amounted to Rs. 6,44,044 which has been carried over to 2008-09. **[(Schedule O(a) – Item 1.1(d)]**.

2.8 Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai: BIS was having its Sales Office in a rented building at Novelty Cinema Building, Grant Road, Mumbai-400007 which was owned by Messrs. Goodwill Theatres Private Ltd BIS had vacated the premises in April 2004. A case No. 60/82 of 2000 was filed by Goodwill Theatres Private Ltd and the Small Causes Court Mumbai passed a judgment with decree on 9.9.05 and fixed mense profit to be paid by BIS at the rate of Rs. 205 per sq, feet per month for the area of 3255 sq. feet from 1.6.2000 to 30.4.2004 with interest @ 6 percent p.a. on the amount of mense profit from the date of application i.e. from 27.2.2002 till payment of entire amount of mense profit. As per the Decree passed, a total sum of Rs. 3,66,60,598 was directed to be paid. On the stay appeal filed by BIS, the Hon'ble Court came to the conclusion of that as per order 41 Rule 5 of CPC, the stay would be granted on condition that the Appellant would deposit the entire decreetal in the court. For the plea decreetal amount, Appellant could be directed to give bank guarantee for the same and as appellant is a Government Organization under the special statute and thereby the amount under decree is always secured. However, the Honble Court was pleased to grant stay on the judgement and order dated 9.9.2005 by issuing a direction to deposit 50 percent of decreetal amount in the Court by Demand Draft and a bank guarantee be given for the balance 50 percent of amount. Accordingly, BIS had obtained Bank Guarantee of Rs. 1,83,00,000/- in favour of Registrar Small Causes Court from Canara Bank against a Fixed Deposit Receipt of BIS. An amount of Rs. 1,83,60,598 in favour of Registrar, Small Causes Court, Mumbai was deposited with the Court on 9.1.2006. This payment has been kept under Current Assets, Loan & Advances **[Schedule 'S' – Item 3(c)(v)]**.

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 9.9.2005 के निर्णय को चुनौती देते हुए भा.मा. ब्यूरो ने लघु मामले न्यायालय की दोहरी पीठ, मुम्बई के समक्ष अपील संख्या 3/2006 दायर की। माननीय लघु मामले अपीलीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय/फैसला पारित किया गया जिसके तहत अपील को अंशतः स्वीकार किया गया तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार रु. 6,67,272 प्रति माह के बजाए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ रु. 5,17,500 रुपए प्रतिमाह के मासिक लाभ संशोधन के साथ लगभग रुपए 80 लाख की राहत प्रदान की गई।

चूंकि लघुवाद न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भा मा ब्यूरो की प्रत्याशाओं के अनुसार नहीं था इसलिए जमा की गई राशि, जिसे प्रतिवादी वापिस ले सकता है, की निर्मुक्ति के स्थगन हेतु एक आवेदन भा मा ब्यूरो के वकील द्वारा दायर किया गया है और मुम्बई न्यायाधिकरण क्षेत्र के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका **संख्या 7380/06,** 8.11.2006 को माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

यदि भा. मा. ब्यूरो के पक्ष में उपरोक्त मामला जाता है तो प्राप्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा अन्यथा अदा की गई राशि को व्ययों के लिए प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।

2.9 एनआईसी को एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना [अनुसूची एस – मद 3 (ग) (i)] के लिए समायोजनीय अग्रिम : भा.मा. ब्यूरो ने भा.मा.ब्यूरो की एकीकृत कम्प्यूटकरण परियोजना के लिए 2002–03 से 2005–06 के दौरान एनआईसी को रु. 8,22,16,000 का कुल अग्रिम दिया। इस अग्रिम में से रु. 7,44,15,124 का अग्रिम 2006–07 तक समायोजित किया गया। रु. 28,55,030 का अग्रिम 2007–08 के दौरान समायोजित करने के बाद 31.3.2008 तक रु. 49,45,846 शेष हैं जिसके लिए अभी समायोजन नहीं मिला है। एनआईसी से कम्प्यूटर तथा संबंधित उपकरणों की संतोषजनक संस्थापना रिपोर्ट प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात् इसे समायोजित किया जाएगा।

2.10 मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय ए सी संयंत्र : मानक भवन मुख्यालय के लिए नए केन्द्रीय ए. सी. संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003–04 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया। अनुमोदित परियोजना की लागत रुपए 2.68 करोड़ थी। परियोजना कार्य एनबीसीसी द्वारा रुपए 2.55 करोड़ की कुल लागत पर सितम्बर 2004 में मै. आरिफ इंजीनियर्स प्रा. लि, नई दिल्ली को सौंपा गया था। कार्य मार्च 2005 में शुरू किया गया तथा अनेक बार एक या अन्य कई कारणों से रोक दिया गया। जून 2006 से परियोजना रुकी हुई है।

परियोजना के लिए एनबीसीसी को किए गए रुपए 80,00,000 के कुल अग्रिम भुगतान में से रु. 31,60,194 की राशि वर्ष 2006–07 तक समायोजित कर ली गई है तथा 31.3.2008 तक की स्थिति के अनुसार एनबीसीसी के पास शेष बकाया अग्रिम की राशि रु. 48,39,806 है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 तक कुल भुगतान किए गए रु. 84,38,568 की समायोजित राशि को नियत परिसम्पत्तियों की अनुसूची **(अनुसूची क्यू – मद 24)** में चल रहे पूँजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है। यह परियोजना

An appeal No. 3/2006 was filed by BIS before Double Bench of Small Causes Court, Mumbai, challenging the judgment dated 9.9.2005 passed by Single Judge. A final decision/judgment has been passed by the Hon'ble Appellate Court of Small Causes, Mumbai vide which Appeal has been partly allowed and revision of mesne profit @ 5,17,500 per month with 6 percent interest p.a. instead of Rs.6,67,272 per month as ordered earlier by the Trial Court, thereby the relief of approximately Rs. 80 lakhs have been granted.

Since, the order passed by the Appellate Court was not as per the expectations of BIS , an application for stay for release of deposited money which respondent may likely to withdraw has been filed through BIS Advocate and a writ petition **No. 7380/06** filed on 8.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai has been admitted for hearing by the Hon'ble Court.

In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget.

2.9 Adjustable advances for Integrated Computerization Project [Schedule S – Item 3(c) (i)] to NIC : BIS had paid total advances of Rs. 8,22,16,000 to NIC during 2002-03 to 2005-06 for Integrated Computerization Project of BIS. Out of this, advances of Rs.7,44,15,124 were adjusted upto 2006-07. The advances of Rs. 28,55,030 were adjusted during 2007-08 leaving a balance of Rs. 49,45,846 as on 31.3.2008 for which adjustments are yet to be received. This shall be adjusted after receipt of certificate of satisfactorily installation report of computers and related equipments from NIC.

2.10 New Central AC Plant for Manak Bhawan Building: The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant (PMC) for the project. The cost of the project approved was Rs. 2.68 crores. The project work was awarded to M/s. Arief Engineers Pvt Ltd, New Delhi by NBCC at a total cost of Rs. 2.55 crores in September 2004. The work was started in March 2005 and was discontinued at number of times due to one or other reasons. The project is at standstill condition since June 2006.

Out of the total advance payment of Rs. 80,00,000 to NBCC for the project, a sum of Rs. 31,60,194 was adjusted upto 2006-07and the balance outstanding advance as on 31.3.2008 with NBCC amounts to Rs. 48,39,806. All total payments of Rs. 84,38,568 made up to 2007-08 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets **(Schedule Q – Item 24)**. As the project is in standstill

जून 2006 से रुकी हुई है इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया था कि अन्य परियोजनाओं नामतः जे बी ओ भवन तथा एनआईटीएस, नोएडा के निर्माण के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान निर्मुक्त नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी समिति की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एनबीसीसी के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार एनबीसीसी को करार समाप्त करने के लिए 45 दिनों का नोटिस दिया गया। कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय दोनों की एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य को रु. 16 करोड़ की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए।

2.11 जयपुर में भवन तथा प्रशिक्षण संस्थान भवन नोएडा की सलाहकार एनबीसीसी ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के लिए क्रमशः रु. 29.97 लाख और रु. 14.30 लाख का भुगतान मांगा है। परंतु संविदकार द्वारा किए गए कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और जारी है। करार के अनुसार प्रतिदेय राशि भौतिक सत्यापन पर दी जाएगी इसलिए इसे 31.3.2008 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं के अतिरिक्त के रूप में नहीं लिया गया है। भा.मा. ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय में नए केन्द्रीय एसी संयंत्र के मामलों का समाधान होने तक इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

2.12 मानक भवन परियोजना का आधुनिकीकरण : मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की योजना को आरंभ में कार्यकारी समिति द्वारा 29 मार्च 2004 को आयोजित अपनी लागत में 408 लाख रूपए की परियोजना लागत पर पूर्ण किया गया था तथा वर्ष 2004–05 में आरंभिक आरेख रूपरेखा तथा अनुमान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को 1,68,828 रूपए की राशि अदा की गई। अदा की गई राशि को नियत परिसम्पत्तियों की अनुसूची **(अनुसूची क्यू–मद 26)** में चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

बाद में मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की परियोजना का कार्य क्षेत्र 0.83 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना लागत पर आवरण कार्य नामतः फाल्स सीलिंग की व्यवस्था करना लगाना, आंतरिक बिजली की तारों को प्रतिस्थापित करना, अग्नि सचेतक प्रणाली तथा पेंटिंग का कार्य, तक सीमित कर दिया गया जैसाकि कार्यकारी समिति की 3 मई 2005 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया।

उपरोक्तानुसार संशोधित कार्यक्षेत्र के साथ मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की परियोजना का कार्य "मानक भवन के नए एसी संयंत्र की संस्थापना" के साथ संबद्ध है। चूंकि मानक भवन के नए एसी संयंत्र की संस्थापना की परियोजना जून 2006 से रुकी हुई स्थिति में हैं, अतः मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की परियोजना का कार्य भी आरम्भ नहीं किया जा सका।

condition since June 2006, therefore it was decided by the Competent Authority that no payment shall be released to NBCC against other projects, namely Construction of JBO Building and NITS Noida.

Executive Committee (EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC. Accordingly, NBCC was served with notice giving 45 days for termination of the agreement. EC also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD at an estimated expenditure of Rs. 16 crores.

2.11 NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building Noida has claimed payment of Rs. 29.97 lakhs and Rs. 14.30 lakhs in respect of **work at Jaipur** Building and Training Institute, Noida Building respectively, However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet complete and is under process. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.3.2008. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter.

2.12 Modernization of Manak Bhawan Building Project: The project of Modernization of Manak Bhawan Building was initially approved by the Executive Committee in its meeting held on 29 March 2004 with the project cost of Rs. 4.08 crores and an amount of Rs. 1,68,828 was paid to National Building Construction Corporation (NBCC) in the year 2004-05 for preparation of preliminary sketches, drawings and estimates. The amount paid has been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets **(Schedule Q – Item 26)**.

Later on the scope of Project of Modernization of Manak Bhawan Building was restricted to cover work, namely providing and fixing, false ceiling, replacement of internal electrical wiring, fire alarm system and painting work with the revised project cost of Rs. 0.83 crore as approved in Executive Committee at its meeting held on 3 May 2005.

The work of Modernization of Manak Bhawan Building Project with the revised scope as above is linked up with project work of "Installation of New AC Plant of Manak Bhawan". As the Project of Installation of New AC Plant of Manak Bhawan is in standstill condition since June 2006, therefore the work of Modernization of Manak Bhawan Building Project also could not be initiated.

कार्यकारिणी समिति की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मानक भवन और मानकालय दोनों की एयरकंडीशनिंग से संबंद्ध सिविल और विद्युत कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए।

2.13 भा मा ब्यूरो की निधियों में से पूँजीगत व्यय : वर्ष 2007–08 के दौरान समायोजित भा मा ब्यूरो की निधियों में से किया गया पूँजी व्यय रु. 25877973 **(अनुसूची क्यू)** (अर्थात अनुसूची क्यू के अनुसार रु.27418638 के कुल वर्धन में से **अनुसूची एन** में सरकारी अनुदान / सहायता से पूँजीकृत परिसम्पत्तियों के लिए रु. 1540665)। रु. 25877973 के वर्धन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

It was decided by Executive Committee in its 79th meeting held on 27 March 2008 that the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD.

2.13 Capital Expenditure out of BIS Funds : The capital expenditure out of BIS Funds including adjustment of advances during 2007-08 amounted to Rs. 25877973 **(Schedule Q)** (that is Rs.27418638 of total addition as per Schedule Q LESS Rs. 1540665 towards assets capitalized from Govt. Grants/assistance at as given in **Schedule N**). The details of addition of Rs. 25877973 are as under:

(राशि रुपयों में/Amount in Rupees)

परिसम्पत्ति समूह **Assets Group**	**2007-08**	**2006-07**
प्रयोगशाला उपकरण – भा मा ब्यूरो निधियाँ Laboratory Equipments – BIS Funds	1,01,64,226	79,24,274
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स कार्यालय उपकरण तथा कम्प्यूटर Furniture & Fixtures, Office Equipments & Computers	1,15,49,961	58,76,303
नया केन्द्रीय ए सी संयंत्र मानक भवन (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी) New Central AC Plant Manak Bhawan (Cap. WIP)	1,65,000	47,00,000
पुस्तकालय पुस्तकें Library Books	10,71,402	12,02,151
एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर तथा संबद्ध उपकरण एन आई सी (अग्रिम राशियों का समायोजन) Computer & Associated Equipments under Integrated Computerization Project-NIC (adjustment of advances)	28,59,830	11,45,949
जयपुर भवन का निर्माण Construction of Jaipur Building	–	5,94,097
वाहन Vehicles	–	3,32,383
भवन – प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा Building – Training Institute Noida	67,554	11,522
योग TOTAL	**2,58,77,973**	**2,17,86,679**

2.14 विविध आय (अनुसूची बी – मद 2) : वर्ष 2007–08 के दौरान रु. 148.88 लाख की विविध आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रु. लाखों में)

i)	पुस्तकालय सदस्यता शुल्क	28.76
ii)	वाहन, कम्प्यूटर और भवन इमारत अग्रिम से ब्याज	21.09
iii)	आयकर विभाग से टीडीएस के रिफंड से ब्याज	2.31
iv)	विनिमय दर में भिन्नता से अर्जन	5.73
v)	सी जी एच एस अंशदान	5.59
vi)	स्टेंडर्ड इंडिया अंशदान	2.99
vii)	स्टॉफ क्वार्टरों से लाइसेंस शुल्क	4.74
viii)	अन्य विविध प्राप्तियाँ मुख्यालय	5.59
ix)	क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों में विविध आय	26.04
x)	प्रयोगशालाओं में व्यवसायिक परीक्षण शुल्क तथा अन्य विविध प्राप्तियाँ	46.04
	कुल	**148.88**

2.14 Miscellaneous Income (Schedule B – Item 2): The detail of Miscellaneous Income of Rs. 148.88 lakhs during the year 2007-08 is as under:

(Rs. in lakhs)

i)	Library Membership Fee	28.76
ii)	Interest from Conveyance, Computer and House Building Advance	21.09
iii)	Interest from Income Tax Deptt. on Refund of TDS	2.31
iv)	Gain by Exchange Rate Variation	5.73
v)	CGHS Contribution	5.59
vi)	Standards India Subscription	2.99
vii)	Licence fee from Staff Quarters	4.74
viii)	Other Miscellaneous Receipts HQ	5.59
ix)	Miscellaneous Income at ROs/BOs	26.04
x)	Commercial Testing Fees & Other Miscellaneous receipts in Laboratories	46.04
	TOTAL	**148.88**

2.15 विनिमय दर में भिन्नता से अर्जन : आईएसओ और आईईसी के सदस्यता शुल्क के 50 प्रतिशत के लिए 31.3.2007 तक वर्ष 2006–07 के लेखा में रु. 75,00,000 की देयताएं सृजित की गई। वर्ष 2006–07 में व्यय प्रभारित किया गया तथा 2007–08 में देय भुगतान किया गया। 2007–08 में भुगतान के समय विनिमय दर रु. 34.32 थी तथा रु. 69,27,347 की राशि थी। इसलिए विनिमय दर से भिन्नता के कारण रु. 5,72,653 के अन्तर को विविध आय **(अनुसूची बी–मद 2)** में दर्शाया गया है।

2.16 परोपकारी निधि [अनुसूची ओ मद 2 (क)] : 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार परोपकारी निधि में रु. 5,66,224 का नामे शेष दर्शाया गया है जो भा मा ब्यूरो के विगत खाते से परोपकारी निधि – में राशि के अस्थायी अंतरण के कारण है। पिछले वर्षों में इसे **"अनुसूची ओ–आरक्षित एवं निधि"** में दिखाया जाता था। प्रमाणिक आडिट के परामर्श अनुसार इसे "वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम" **(अनुसूची एस–मद 9)** की अनुसूची में दर्शाया गया है। 31.3.2008 तक, परोपकारी निधि द्वारा भा मा ब्यूरो के रु. 8,04,500 देय हैं जो लेखे वसूलनीय (अन्य) तथा विविध लेनदार के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं।

2.15 Gain by Exchange Rate Variation: Liability of Rs. 75,00,000 was created as on 31.3.2007 in the accounts of 2006-07 towards 50 percent of Membership Fee of ISO and IEC amounting to CHF 201834 at the exchange rate of Rs. 37.16. The expenditure was charged in the year 2006-07 and the payment was due and made in 2007-08. The exchange rate was Rs. 34.32 when the payment was made in 2007-08 and the payment amounted to Rs. 69,27,347. Therefore the difference of Rs. 5,72,653 due to exchange rate variation has been shown in the Miscellaneous Income **(Schedule 'B' – Item 2)**.

2.16 Benevolent Fund : The Benevolent Fund as on 31.3.2008 shows a debit balance of Rs. 5,66,224 which is due to shortage of funds therein and temporary transfer of amount to the Benevolent Fund from BIS Account in the past. In previous years it was shown under **"Schedule O - Reserves & Funds"** As suggested by the statutory audit this has been reflected under the Schedule of "Current Assets, Loans & Advances" **(Schedule 'S' – Item 9)**. The Benevolent Fund owes Rs. 8,04,500 to BIS as on 31.3.2008 which has been reflected under Accounts Recoverable (others) and Sundry Creditors.

2.17 अनुसूची – एस 'वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम' [मद 3(घ)(iii), के अंतर्गत वसूली योग्य लेखे (अन्य) में स्वर्गीय श्री डी. के. चड्ढा प्रवर श्रेणी लिपिक, कानपुर शाखा कार्यालय द्वारा अपविनियोजित किए गए 5,17,450 रुपए शामिल हैं। ब्यूरो ने मृत्यु उपदान तथा अवकाश नकदीकरण का भुगतान को रोक लिया है। श्री एस. एस. त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है।

2.18 अनुसूची 'एस' [मद 3 (घ) (i)] के अंतर्गत वसूलनीय राशि (कर्मचारी) में निलम्बाधीन श्री मोहन सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक द्वारा कथित रूप से की गई जालसाजी / गबन के रु. 12000 शामिल है। एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा मामला दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा के जाँचाधीन है। इस मामले के प्रशासनिक अधिकारी उपमहानिदेशक (मध्य क्षेत्र) द्वारा श्री मोहन सिंह के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक जाँच की जा रही है।

2.19 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते डाल दिए जाने के बाद आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित कर दिया जाता है। वर्ष 2007–08 के दौरान, रु. 45,35,520 के अशोध्य ऋण के बट्टे खाते में डाला गया जिसे **अनुसूची एम – मद 9** में दर्शाया गया है। इसमें कार्यकारी समिति की 5 और 6 जुलाई 2007 को हुई 74वीं बैठक द्वारा प्रमाणन देनदारों के बट्टे खाते में डाले गए (आवेदन शुल्क, नवीकरण शुल्क और वार्षिक शुल्क में संशोधन करने के पिछली कार्यकारिणी के निर्णय को कार्यान्वित न करने के कारण) रु. 44,62,029 शामिल हैं।

2.20 भविष्य निधि खातों में घाटा : अभिदाता खातों में 8 प्रतिशत की दर पर जमा की गई ब्याज की कुल राशि तथा निधि के निवेश पर अर्जित कुल ब्याज के बीच अंतर के कारण वर्ष 2007–08 के दौरान भविष्य निधि खातों में **रु. 2,80,662** का घाटा था। इसे लेखाकरण नीति के अनुसार भा मा ब्यूरो का व्यय माना गया है तथा लेखा शीर्ष "भविष्य निधि खाते में अंशदान" **(अनुसूची डी – मद 1)** के अंतर्गत आय एवं व्यय खाते में प्रभारित कर दिया गया है।

2.21 "प्राप्तियोग्य सेवा कर" मद के खाते में **अनुसूची 'एस' – मद 8** में दिखाई गई रु. 10,20,135 की राशि मुख्यालय (रु. 8,16,331) और क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय (रु. 2,03,804) से संबंधित 31.3.2008 तक अनुप्रयुक्त सीईएनवीएटी ऋण को दर्शाती है।

2.22 अप्रदत्त तत्काल देयताएं निम्न प्रकार से हैं :

(i) आयुक्त (अपील) सीसीई द्वारा प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा में इकठ्ठा किए गए प्रशिक्षण शुल्क पर सेवा कर के संदर्भ में की गई अपील पर आदेश द्वारा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 78 के अंतर्गत रु. 1,00,000 तथा अंतर्गत धारा 76 के अंतर्गत प्रतिदिन लगाए गए रु. 200 जुर्माने की देयता उपार्जन की तिथि से लेकर सेवा कर के मूलधन (लगभग रु. 2.39 लाख) का भुगतान किए जाने तक मांग। भा.मा. ब्यूरो ने अपील अधिकरण के समक्ष दर्ज की है।

2.17 The Accounts Recoverable (Others) under Schedule 'S' – 'Current Assets, Loans & Advances' [Item 3(d)(iii)] includes Rs. 5,17,450 misappropriated by Late Shri D.K. Chadha, UDC, in Kanpur Branch Office. Bureau has withheld the payment of death gratuity and leave encashment. The disciplinary proceedings initiated against Shri S.S. Tripathi, Section Officer, Kanpur Branch Office are under progress.

2.18 Accounts Recoverable (Employees) under Schedule 'S' [Item 3(d)(i)] includes Rs. 12000 towards forgery/embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, UDC who is under suspension. A FIR was registered and the case is under scrutiny in the prosecution branch of Delhi Police which will thereafter be filed in the Court by Delhi Police. The departmental disciplinary enquiry is being undertaken against Shri Mohan Singh by Deputy Director General (Central Region), the disciplinary authority in this case.

2.19 Provision for Bad and Doubtful Debts: No provision is made for Bad and Doubtful Debts. The Bad debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are written off by the competent authority. During 2007-08 bad debts of Rs. 45,35,520 were written off and have been shown under **Schedule 'M' – Item 9**. This includes write off of Rs. 44,62,029 of Certification Debtors (due to non- implementation of past EC's decision to revise the rates of Application Fee, Renewal Fee and Annual Licence Fee) by the Executive Committee in its 74th meeting held on 5 & 6 July 2007.

2.20 Deficit in Provident Fund Accounts: There was a deficit of **Rs. 2,80,662** in Provident Fund Accounts during 2007-08 due to difference between the total amount of interest credited to subscribers accounts @ 8 percent and the total actual interest earned on investment of the Fund. This has been treated as expense of BIS as per the Accounting Policy and charged to Income and Expenditure Account under the account head, "Contribution to Provident Fund Account" **(Schedule D – Item 1)**.

2.21 An amount of Rs. 10,20,135 appearing in **Schedule 'S' – Item 8** under the Account Head "Service Tax Receivable" represents the unutilized CENVAT Credit as on 31.3.2008 in respect of Headquarters (Rs. 8,16,331) and ROs/BOs (Rs. 2,03,804).

2.22 Contingent Liabilities not provided are as under:

(i) Demand of penalty of Rs. 1,00,000/- under Section 78 and penalty of Rs. 200/- per day under Section 76 of Finance Act 1994 from the date liability accrued till principal amount of service tax was paid (approx. Rs. 2.39 lakhs), sustained by Commissioner (Appeals) CCE vide order in appeal in respect of Service Tax on Training Fee collected at Training Institute, Noida. BIS has filed an appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) संयुक्त आयुक्त, सेवा कर, चेन्नई ने भा.मा.ब्यूरो की राशि पर धारा 73(1) के अंतर्गत रु. 14,76,620, धारा 75 के अंतर्गत ब्याज, 10.9.2004 से 17.4.2006 तक प्रतिदिन रु. 100 का जुर्माना तथा धारा 76 के अंतर्गत रु. 200 प्रतिदिन अथवा 2 प्रतिशत प्रतिमाह जो भी अधिक हो, 18.4.2006 से भुगतान की अंतिम तिथि तक अधिकतम रु. 14,47,666 तक तथा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 78 के अंतर्गत रु. 14,76,620 का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना भा.मा.ब्यूरो की उस राशि पर लगाया गया था जो उसने केन्द्रों द्वारा लाइसेंसी स्वर्णकारों से लिए गए हॉलमार्किंग प्रभार (न्यूनतम रु. 2 प्रति वस्तु के साथ) के 10 प्रतिशत के रूप में हॉलमार्किंग केन्द्रों से ली थी। भा.मा. ब्यूरो ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), चेन्नई के समक्ष की है।

2.23 आय–कर छूट : महानिदेशक, आयकर (छूट), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 167 दिनांक 30–4–2008 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के की धारा 10 की उपधारा 23 सी की उपधारा (iv) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को अनुमोतदत किया गया है। तदनुसार भा.मा.ब्यूरो की आय को कुल आय में नहीं लिया जाता है। आयकर विभाग का यह आदेश निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिए और आगे के लिए भा.मा.ब्यूरो पर लागू है। भा.मा.ब्यूरो ने उपभोक्ता विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से स्थायी रूप से आय–कर में छूट का अनुरोध किया है। इस पर निर्णय की प्रतीक्षा है।

2.24 आय एवं व्यय लेखे में अधिशेष राशि : आय एवं व्यय लेखे में रु. 81,81,19,657 की अधिशेष राशि को पूँजी निधि में अग्रेनीत कर दिया गया है **(अनुसूची एन – मद vi)**।

2.25 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक पाया गया, पुनः समूहबद्ध किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके। विगत वर्षों के निम्नलिखित आँकड़ों को पुनः समूहबद्ध किया गया है :

(ii) Demand of Rs. 14,76,620 under Section 73(1), interest under Section 75, penalty of Rs. 100 per day from 10.9.2004 to 17.4.2006 and Rs. 200 per day or 2 percent per month whichever is higher from 18.4.2006 till actual date of payment subject to maximum of Rs. 14,47,666 under Section 76 and penalty of Rs. 14,76,620 under Section 78 of Finance Act, 1994 imposed by Ld. Joint Commissioner, Service Tax, Chennai in respect of amount received by BIS from Hallmarking centres towards 10 percent cost of hallmarking charged by Centres (with minimum of Rs. 2 per article) from the licenced jewellers. BIS has filed an appeal before the Commissioner of Central Excise (Appeals), Chennai.

2.23 Income-tax Exemption : Bureau of Indian Standards has been approved for the purpose of sub-clause (iv) of clause 23C of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 vide Order No. 167 dated 30.4.2008 issued by Director General of Income-tax (Exemptions), Deptt. of Revenue, Ministry of Finance, Govt. of India [F.No. DGIT(E)/ 10(23C)(iv)/2008]. Accordingly, the income of BIS are not included in the total income. This order of Income-tax Department is applicable to BIS for Assessment Year 2007-08 and onwards. BIS has also requested to Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance through Deptt. of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution for a permanent tax exemption. The decision is awaited.

2.24 Surplus in Income & Expenditure Account : The surplus of **Rs. 81,81,19,657** in the Income & Expenditure Account has been carried to Capital Fund **(Schedule N – Item vi).**

2.25 The previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year figures. The following previous year figures have been re-grouped:

लेखा मद **Account Heads**	राशि (रु.) **Amount (Rs.)**	विगत वर्ष के लेखा समूह **Group in the previous year's Accounts**	इस वर्ष का लेखा समूह **Group in this year's Accounts**
परोपकारी निधि नामे शेष Benevolent Fund-debit balance	8,30,482	आरक्षित एवं निधि–अनुसूची ओ (ए) – मद 2 (क) Reserves and Funds – Schedule O (a) – Item 2(a)	वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम अनुसूची एस – मद 9 Current Assets, Loans & Advances-Schedule S – Item 9
बिहार सरकार – प्रयोगशाला उपस्कर अनुदान Govt. of Bihar – Lab. Equipment Grant	4,59,513	वर्तमान देयताएँ – अनुसूची–टी–मद 4 Current Liabilities – Schedule T – Item 4	आरक्षित एवं निधि–अनुसूची ओ (ए) मद 1.1 (ख) Reserves and Funds-Schedule O (a) – Item 1.1(b)

उपरोक्त पुनः समूहबद्धता के परिणामस्वरूप विगत वर्षों के आंकड़ों की अनुसूची के योग में निम्नलिखित परिवर्तन आए हैं :

As a result of the above re-grouping the total of the Schedules in the previous year's figures have changed as under:

तुलन पत्र अनुसूची **Schedule of Balance Sheet**	**विगत वर्षों के लेखा में योग (रु.)** **Total in the previous year's Accounts (Rs.)**	**इस वर्ष का लेखा योग** **Total in this year's Accounts (Rs.)**	**वृद्धि (+) / कमी (–)** **Increase(+)/ Decrease(-)**
आरक्षित एवं निधि–अनुसूची ओ (ए) Reserves and Funds Schedule O (a)	69,61,61,666	69,74,51,661	(+)12,89,995
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम अनुसूची एस Current Assets Loans & Advances – Schedule S	60,03,69,186	60,11,99,668	(+) 8,30,482
वर्तमान देयताएँ–अनुसूची टी Current Liabilities – Schedule T	5,43,02,266	5,38,42,753	(-)4,59,513

परिशिष्ट-II

APPENDIX-II

31.3.2008 तक निवेश का विवरण
DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2008

1. भा मा ब्यूरो धनराशियों के निवेश
INVESTMENT OF BIS FUNDS

(रुपये लाखों में / Rupees in Lakhs)

1.1 बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश
Investment with PSUs & Financial Institutions Other than Banks in Bonds & Deposits

क्र. सं. SI No.	संस्थान का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश Investment at Cost	निवेश का निर्दिष्टात्मक बाजार मूल्य* Indicative Market Value of Investment*
1.1.1	9.30% पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन 9.30% Power Finance Corporation	243.00	237.65
1.1.2	11.20% इंडस्ट्रीयल डिवल्प बैंक ऑफ इंडिया 11.20% Industrial Develop Bank of India	100.00	108.48
1.1.3	13.25% इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कार्पो. ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) (*देखें* टिप्पणी 2.3.5) 13.25% Industrial Finance Corpn of India (IFCI) (*see* Note 2.3.5)	80.00	80.00
1.1.4	15.00% मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (*देखें* टिप्पणी 2.3.4) 15.00% Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB) (*see* Note 2.3.4)	100.00	100.00
1.1.5	14.40% मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (एमपीएसआईडीसी) (*देखें* टिप्पणी 2.3.4) 14.40% M.P.State Industrial Development Corporation (MPSIDC) (*see* Note 2.3.4)	300.00	300.00
1.1.6	16% उ.प्र. सहकारी कटाई मिल संघ (यूपीसीएसएमएफएल) (*देखें* टिप्पणी 2.3.4) 16% U.P. Co-operative. Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL) (*see* Note 2.3.4)	200.00	200.00
1.1.7	6.75% भारतीय यूनिट ट्रस्ट – कर मुक्त ब्रांड 6.75% Unit Trust of India – Tax Free Bonds	10.55	10.55
	योग (1.1) TOTAL (1.1)	**1033.55**	**1036.68**
1.2	**बैंकों में सावधिक जमा राशियाँ** **Investment with Banks in Fixed Deposits**		
1.2.1	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank	2837.23	2837.23
1.2.2	केनरा बैंक Canara Bank,	675.00	675.00
1.2.3	आईसीआईसीआई बैंक ICICI Bank	11754.85	11754.85
1.2.4	इंडस्ट्रियल डिवल्पमेंट बैंक ऑफ इण्डिया Industrial Development Bank of India	5429.77	5429.77
1.2.5	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce	7844.19	7844.19
1.2.6	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर State Bank of Indore	1923.01	1923.01
1.2.7	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला State Bank of Patiala	4472.29	4472.29
1.2.8	सिंडीकेट बैंक Syndicate Bank,	6830.20	6830.20
1.2.9	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया Union Bank of India	450.00	450.00
1.2.10	विजया बैंक Vijaya Bank	2862.62	2862.62
	योग (1.2) TOTAL (1.2)	**45079.16**	**45079.16**
	योग (1) TOTAL (1)	**46112.71**	**46115.84**

कुल आवंटित निवेश Total Investment allocated towards:

क) पेंशन देयता खाता a) Pension Liability Account	38093.05
ख) सामान्य निवेश – पूंजी कोष b) General Investments – Capital Fund	8019.66
योग (1) (*देखें* टिप्पणी 2.3.2) TOTAL (1) (*see* Note 2.3.2)	**46112.71**

2	**कर्मचारी कोष निवेश** **INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS**		
2.1	सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund		
2.1.1	विशेष जमा में निवेश (आरबीआई) Investment in Special Deposit (RBI)	3127.09	3127.09
2.1.2	भारत सरकार में प्रतिभूतियां Government of India Securities	1172.28	1092.38
2.1.3	राज्य सरकार में प्रतिभूतियां State Government Securities	889.29	837.78
2.1.4	बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांड तथा जमाराशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial institutions (other than Banks) in Bonds & Deposits		
2.1.4.1	आईडीबीआई IDBI	470.09	431.99
2.1.4.2	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (एमपीएसआईडीसी) (*देखें* टिप्पणी 2.3.4) M.P. State Indl. Devp. Corp. Ltd. (MPSIDC) (*see* Note 2.3.4)	45.00	45.00
2.1.4.3	पॉवर फाइनेंस कार्पो. लि. Power Finance Corporation Ltd.	136.34	130.75
2.1.4.4	हुडको HUDCO	115.27	109.68
2.1.5	पब्लिक सैक्टर बैंक बॉंड Public Sector Bank Bonds	940.45	864.72
2.1.6	बैंकों में सावधि जमा Fixed Deposits with Banks	30.00	30.00
	योग (2.1) **TOTAL (2.1)**	**6925.81**	**6669.39**
2.2	नई पेंशन योजना विधि – बैंकों में सावधि जमा New Pension Scheme Fund – Fixed Deposits with Banks	62.18	62.18
3	**निवेश – अन्य** **INVESTMENT – OTHERS**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना – सावधि जमा – सिंडिकेट बैंक ABO Building Project – Fixed Deposit – Syndicate Bank	13.00	13.00
3.2	योजना परियोजनाएँ – सावधि जमा – केनरा बैंक Plan Projects – Fixed Deposit – Canara Bank	4.59	4.59
3.3	हॉलमार्किंग/मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना की योजना* – सावधि जमा राशि – आईडीबीआई Scheme for setting up of Hallmarking/Assaying Centres – Fixed Deposit – IDBI	45.00	45.00
	योग (3) **TOTAL (3)**	**62.59**	**62.59**
	कुल योग (1+2+3) **GRAND TOTAL (1+2+3)**	**53163.29**	**52910.00**

टिप्पणी : *निवेशों का बाज़ार मूल्य भा मा ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि, मुम्बई दिनांक 28.5.2008 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया जहाँ बाजार मूल्य उपलब्ध थे : अथवा यदि बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं हैं वहाँ अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। आईएफसीआई, एमपीईबी, एमपीएसआईडीसी, यूपीसीएमएफएल जैड ए सी और बिहार 2013 बांडो के बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे। बैंको की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शायी गई है। ब्यौरे निम्नानुसार है :

समुच्चय उद्धत निवेश	=	4069.30 लाख रुपए (बाजार मूल्य 3823.88 लाख रुपए)
समुच्चय अनुद्धत निवेश (सावधि जमा सहित)	=	49093.99 लाख रुपए
कुल निवेश	=	**53163.29 लाख रुपए**

Note: *Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd, Mumbai vide their letter dated 28.5.2008. The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of IFCI, MPEB, MPSIDC, UPCSMFL ,and Bihar ZAC 2013 Bonds. T he Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:*

The aggregate quoted investment	=	*Rs. 4069.30 lakhs (Market value Rs.3823.88 lakhs)*
The aggregate unquoted investment (including fixed deposits)	=	*Rs. 49093.99 lakhs*
Total Investment	=	***Rs. 53163.29 lakhs***

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के खंड 22 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खंड 19(2) के अधीन 31 मार्च 2008 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में भा.मा.ब्यूरो के 20 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं एक केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद के लेखे सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व भा.मा.ब्यूरो प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।
2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल सर्वोत्तम लेखा रीतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटीकरण के मानदंडो इत्यादि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संदर्भ में लेखा निरूपण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ निहित हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व और नियमन) तथा दक्षता एवं कार्यकारिता इत्यादि, यदि हो, के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन–देन पर ऑडिट आकलन को निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा अलग से बताया जाता है।
3. हमने अपनी लेखा परीक्षा लागू नियमों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा निहित है कि हम उपयुक्त रूप से यह आश्वस्त करते हुए ऑडिट की योजना बनाएं और करें कि वित्तीय ब्यौरे अर्थगत गलत विवरणों से रहित हो। ऑडिट में वित्तीय ब्यौरों में राशियों और प्रकटीकरण की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। ऑडिट में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानित खर्चों तथा वित्तीय ब्यौरों के सकल निरूपण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारा ऑडिट हमारे मत को उचित आधार प्रदत्त करता है।
4. अपने ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   (i) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमें ऑडिट के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
   (ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय का लेखा, लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट एकीकृत लेखा प्रारूप में न लेकर लेखा के लिए पहले से निर्दिष्ट प्रारूप में लिया गया है।
   (iii) हमारे मतानुसार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के खंड 22(2) के अंतर्गत लेखा बहियाँ तथा संबद्ध रिकार्ड अभी तक उचित तरीके से रखा गया है जैसा कि यथा दृष्टिगत ऐसी बहियों की जाँच से पता चलता है।
   (iv) हमारी आगे की रिपोर्ट इस प्रकार हैं :

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2008

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS) as at 31 March 2008 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986. These financial statements include the accounts of 20 Branch Offices, 4 Regional Offices and 1 Central Laboratory at Sahibabad of the BIS. These financial statements are the responsibility of the BIS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules, & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
   (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
   (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the earlier prescribed format of accounts instead of the Uniform Format of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.
   (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained under Section 22(2) Bureau of Indian Standards Act, 1986 in so far as it appears from our examination of such books.
   (iv) We further report that:

क. तुलन पत्र

वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

31.3.2008 तक ब्यूरो ने विभिन्न बैंको में रू. 461.63 करोड़ निवेश किए और इससे प्रोद्भूत आधार पर रू.46.45 करोड का ब्याज अर्जित किया। तथापि ऑडिट द्वारा वास्तविक अर्जित ब्याज रू.48.45 करोड़ निकाला गया। जबकि ब्यूरो द्वारा गलत गणता के कारण तुलन पत्र में वर्तमान परिसंपत्तियाँ रू. 2.00 करोड़ न्यून दिखाई गई थी और आय भी अनुवर्ती राशि से न्यून थी।

ख. सामान्य

पिछली ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बावजूद भी भा मा ब्यूरो ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत लेखा प्रारूप में वार्षिक लेखा–जोखा तैयार नहीं किया।

ग. सहायक अनुदान

वर्ष के दौरान मिले रू.1.5 करोड़ के सहायक अनुदान तथा पिछले वर्ष के रू.0.24 करोड़ के अव्ययित शेष में से संगठन ने रू. 0.32 करोड़ व्यय कर पाया जिसके कारण 31 मार्च 2008 तक रू.1.42 करोड़ की राशि अनुप्रयुक्त अनुदान के रूप में शेष रह गई है।

घ. प्रबंधन पत्र

अलग ऑडिट रिपोर्ट में शामिल की गई कमियां प्रबंधन को नैदानिक/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए अलग से लिखे गए पत्र द्वारा ब्यूरो के महानिदेशक के ध्यान में लाई गई है।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकना के आधार पर हम रिपोर्ट करते है कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र और आय एवं व्यय के ब्यौरे लेखा बहियों के अनुरूप है।

(vi) हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टकीकरण के अनुसार और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण विषयों के अधीन लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय ब्यौरे तथा इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट के संलग्नकों में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक और सही है।

क) जहाँ तक यह 31 मार्च 2008 को भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों की स्थिति के तुलनपत्र से संबंधित है; और

ख) जहाँ तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष आय एवं अधिशेष के आय–व्यय लेखा से संबंधित है।

हस्ता/–
(के.आर.श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 21 अक्तूबर 2008

A. Balance Sheet

Current Assets Loans and Advances

The Bureau has invested Rs. 461.13 crore as on 31.3.2008 in different Banks and accounted for the interest from it amounting to Rs. 46.45 crore on accrual basis. However, the actual accrued interest as worked out by audit was Rs. 48.45 crore. Thus, due to wrong calculation by the Bureau, current assets were understated by Rs. 2.00 crore in the Balance Sheet, and income was also understated by a corresponding amount.

B. General

The BIS did not prepare annual accounts in the Uniform Format of Accounts prescribed by the Ministry of Finance, despite being pointed out by audit in the previous Audit Report.

C. Grants in aid

Out of the grants in aid (Plan) of Rs. 1.5 crore received during the year (for specific purpose) and unspent balance of Rs. 0.24 crore of previous year, the organization could utilize a sum of Rs. 0.32 crore, leaving a balance of Rs. 1.42 crore as unutilized grant as on 31st March 2008.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Director General of Bureau through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Bureau of Indian Standards as at 31 March 2008; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Sd/-
(K.R. SRIRAM)
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries

Place : New Delhi
Date : 21 October 2008

अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. **भौतिक सत्यापन**

   वर्ष 2007–08 के लिए परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन (भा.मा.ब्यूरो भोपाल शाखा कार्यालय में) नहीं किया गया है।

ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT

1. **Physical Verification**

   The physical verification of assets (in BIS Bho Branch) has not been conducted for the year 200